बृहस्पतिवार,
१० दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद
(भाग १—प्रश्न और उत्तर)
शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १० दिसम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कारीगरों का प्रशिक्षण

*७९८. **श्री एस० एन० दास : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कारीगरों के प्रशिक्षण को प्रत्येक औद्योगिक व्यवसाय का अनिवार्य अंग बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : शिशिक्षु अधिनियम, १९५० में संशोधन करने सम्बन्धी सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या अखिल भारतीय टैक्नीकल शिक्षा परिषद ने कोई योजना प्रस्तुत की है तथा क्या सरकार ने इस प्रयोजन से स्वयं कोई योजना तैयार की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि जहां तक योजना के तैयार करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरे सामने कोई सूचना नहीं है । परन्तु इस मामले पर हम इस समय विचार कर रहे हैं । इस मामले मे सर्व प्रथम कार्यवाही मद्रास सरकार ने की थी जो शिशिक्षु अधिनियम १९५० को संशोधित करके अपना अधिनियम बनाना चाहती थी । हमें अनुभव हुआ कि यदि केन्द्रीय सरकार इसे बनाये तो यह अधिक उचित होगा । वास्तव में हम शिवा राव समिति की नौकरी दफ्तरों सम्बन्धी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इसका इस विशेष मामले से सम्बन्ध है । हमें औद्योगिक नियंत्रण तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कुछ अधिकार प्राप्त हैं, परन्तु हमने देखा कि ये अधिकार इस दिशा में किसी योजनाबद्ध कार्यक्रम के प्रयोजन से काफी क्रियाकारी नहीं हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस समय यह काम किसी औद्योगिक व्यवसाय द्वारा किया जा रहा है ? यदि ऐसा है तो वे व्यवसाय कौन कौन हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् विस्तृत रूप से कहते हुए कुछ औद्योगिक व्यवसाय इस काम को स्वेच्छा से कर रहे हैं । परन्तु मेरे सामने इसका पूरा ब्यौरा नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इन औद्योगिक व्यवसायों के सम्बन्ध में कोई आंक तैयार किए गए हैं तथा यदि हां तो वे क्या हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अभी हम उस निश्चित अवस्था में नहीं पहुंच सके यह सब कुछ अभी अन्वेषण के क्रम में ही है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के 'उद्योग में प्रशिक्षण' विषय में विशेषज्ञ श्री बिलक्फोर्ड फी को भारत सरकार द्वारा कारीगरों को स्वयं औद्योगिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के बारे में एक राष्ट्रीय योजना के बनाने में मंत्री सहायता देनें के लिए आमंत्रित किया गया है तथा क्या उन्होंनें सरकार को कोई योजना प्रस्तुत कर दी है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मेरे पास जो सूचना हैं, उससे मैं इस उत्तर का हां या नही किसी में उत्तर नहीं दे सकता ।

जंगपुरा में पूर्व निर्मित मकान

७९९. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली की जंगपुरा बस्ती में कोई पूर्व-निर्मित मकान खड़े किये गये हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो उनकी संख्या कितनी है तथा वे कहां खड़े किये गये हैं ?

(ग) क्या इस सारे काल में इन मकानों में किसी ने निवास नहीं किया ?

(घ) यदि ऐसा है तो उनके खाली रहने के कारण क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). जी हां । ऐसे २४ मकान (एकक) सरकारी गृह-निर्माण फैक्टरी के निकट जंगपुरा पुनर्वास बस्ती के दक्षिण पूर्व दिशा में रखे गये थे ।

(ग) तथा (घ). जी हां । इन मकानों को निवास के लिये नहीं दिया गया था क्योंकि उन्हें मनुष्य के निवास के उपयुक्त नहीं समझा गया । फिर भी उन्हें हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी को पट्टे पर दिया गया है तथा प्रयोग से पहले वे इसे काफी पक्का बनायेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रति मकान लागत क्या है तथा यदि उन में निवास किया जाता तो उनसे क्या किराया प्राप्त हो सकता था ?

श्री के० सी० रेड्डी : इन मकानों का खाते का मूल्य १,३५,००० रु० है । प्रश्न का दूसरा भाग कल्पनात्मक है, अतः मैं इस का निश्चित उत्तर नहीं दे सकता ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इस विषय में कोई निश्चय किया गया था कि प्रत्येक एकक के लिये कितना किराया वसूल किया जाय ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, मैं इस प्रश्न का पूर्व सूचना के बिना उत्तर नहीं दे सकता । कुछेक में थोड़ा समय निवास किया गया था । बाद में उन्हे कुछ विशेषज्ञों द्वारा मनुष्य के रहने के लिये अनुपयुक्त समझा गया तथा कुछ मकानों के निवासियों को उन्हे खाली करने के लिये कहा गया था । मैं नहीं बता सकता कि क्या किराया निश्चित हुआ था ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसा लाई गई सामग्री में किसी त्रुटि के कारण समझा गया अथवा ठेकेदार द्वारा निर्माण त्रुटि के कारण ?

श्री के० सी० रेड्डी : ऐसी कई त्रुटियां देखने में आई हैं । कुछ वस्तुओं को हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में तैयार किया गया था । इन्हीं त्रुटियों के कारण फैक्टरी के प्रारम्भिक कार्यक्रम को बदल दिया गया था तथा जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इसी कारण से फैक्टरी को बन्द भी होना पड़ा था । अब एक नये कार्यक्रम को बनाया गया है तथा

नये प्रबन्ध किये गये हैं । नये प्रबन्धों के अनुसार इस नये कार्यक्रम को पूरा किया जा रहा है ।

श्री बंसल: मैं जान सकता हूं कि बिना प्रयोग के इतने मकानों को वहां क्यों खड़ा किया गया था ?

श्री के० सी० रेड्डी: जैसा कि सदन को विदित है, यह एक बहुत पुराना सवाल है । इस गृह-निर्माण फैक्टरी के प्रारम्भिक कार्यक्रम को सभी प्रकार की उपलब्ध टैक्नीकल तथा अन्य जानकारी को प्राप्त करके ही अन्तिम रूप दिया गया था । बाद में जो कुछ हुआ, उसे माननीय सदस्य जानते ही हैं ।

अध्यक्ष महोदय: अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं माननीय सदस्य पुराने अभिलेख से सभी बृत्तान्त जान सकते हैं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*८००. **श्री एस० एन० मिश्र : योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना बनाने के लिये योजना आयोग ने क्या पग उठाये हैं ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : दूसरी पंच वर्षीय **योजना** बनाने के लिये अब तक जो मुख्य पग उठाया गया है वह हाल में सिंचाई व विद्युत सम्बन्धी परामर्श दात्री समिति की नियुक्ति है । यह समिति विभिन्न प्रस्तावों की टेकनिकल व वित्तीय और आर्थिक पहलुओं से जांच करेगी और इस बात की व्यवस्था करने में कि सब परियोजनाओं की पूरी जांच की जाय सहायता देगी । दूसरी योजना के लिये प्राथमिकताओं और जन शक्ति की आवश्यकताओं पर भी प्रारम्भिक रूप से विचार किया गया है ।

श्री एस० एन० मिश्र : जो पग उठाये गये हैं उनसे यह प्रतीत नहीं होता कि कोई नये निर्देश पद निर्धारित किये गये हैं । मैं जान सकता हूं कि अगली पंच वर्षीय योजना के लिये नये निर्देश पद निर्धारित करने का विचार है या वर्तमान निर्देश पदों के अनुसार ही कार्य किया जायेगा ?

श्री नन्दा : इस मामले पर अभी विचार नहीं किया गया ।

श्री एस० एन० मिश्र : यदि कोई निर्देश पद नहीं हैं, तो हम जान सकते हैं कि सरकार का द्वितीय पंच वर्षीय योजना कैसे बनाने का विचार है और क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना किसी नियमित तरीके से बनाई जायेगी ?

श्री नन्दा : पहली पंच वर्षीय योजना के निर्देश पदों में कुछ उद्देश्य रखे गये हैं जो कि अधिकांशतया कायम रहेंगे, और यदि किसी अवस्था पर सरकार को कोई नये निर्देश पद निर्धारित करने की आवश्यकता पड़ी तो वह ऐसा करेगी ।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या अगली पंच वर्षीय योजना के प्रयोजन के लिये वर्तमान आयोजन व्यवस्था को बढ़ाने या इसे फिर से बनाने का कोई विचार है, ताकि इसके निर्माण को शुरू से ही जनतंत्रात्मक रूप दिया जा सके ?

श्री नन्दा : यह बात ध्यान में रखी गई है । हाल में इस विषय पर विचार आरम्भ किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद में कुछ चर्चा हुई थी । नीचे से आयोजन करने के प्रस्ताव पर और इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त व्यवस्था स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री एन० एम० लिंगम: क्या सरकार ने इस बात का ध्यान रखने के लिये कोई पग उठाये हैं कि चालू योजना के अन्त और अगली योजना के आरम्भ के बीच कोई असंगति न हो और प्रशिक्षित कर्मचारियों को काम के अभाव के कारण निकाला न जाये ?

श्री नन्दा : जी हां, श्रीमान्. यह निस्संदेह एक उचित विचार है ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय योजना मंत्री ने अखिल-भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में यह शिकायत की थी कि सरकार योजना आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं कर रही ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक की ओर निर्देश कर रहे हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरम्भ करने से पहले पहली पंच वर्षीय योजना क्रियान्वित की जानी चाहिये थी । मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री की शिकायत दूर कर दी गई है और क्या सरकार ने पहली पंच वर्षीय योजना की सब सिफारिशें क्रियान्वित कर दी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न ग्राह्य नहीं है ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में केवल नदी घाटी योजनाओं को ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर से यही प्रतीत होता है कि समिति केवल सिंचाई और विद्युत के सम्बन्ध में है ? इस के अन्य पहलू क्या हैं ?

श्री नन्दा : दूसरी पंच वर्षीय योजना बनाने में इस बात पर आरम्भ में विचार किया है । उत्तर में यह बतलाया गया है कि नदी घाटी योजनाओं के अतिरिक्त, हम प्राथमिकताओं और जन-शक्ति की आवश्यकताओं पर ही विचार कर रहे हैं।

भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौता ।

***८०१. डा० राम सुभग सिंह : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पटसन और कोयला से भिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में किया गया भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौता ३० सितम्बर १९५३ को समाप्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दो देशों में इन वस्तुओं के व्यापार के लिये कोई प्रबन्ध किये जा रहे हैं; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). इन दो देशों के बीच व्यापार को इन की लाइसेंस सम्बन्धी नीतियों के द्वारा नियमित किया जाता है । आयात के सम्बन्ध में सुलभ मुद्रा तथा डालर क्षेत्रों के लिये एक देश के द्वारा जारी किये गये लाइसेन्स दूसरे से आयात करने के लिये मान्य हैं । निर्यात के सम्बन्ध में, दोनों देशों की नीतियों के अनुसार बड़े पैमाने पर कुछ वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है ।

डा० राम सुभग सिंह : समझौते को समाप्त करने की सूचना पहले किस ने दी थी ?

श्री करमरकर : सूचना देने का प्रश्न ही नहीं है । अवधि के अन्त होने पर यह अपने आप ही समाप्त हो जाता है ।

डा० राम सुभग सिंह : भाग (क) का उत्तर 'नहीं' है ।

श्री करमरकर : यह 'हां' था, श्रीमान् ।

डा० राम सुभग सिंह : समझौता समाप्त हो गया है ?

श्री करमरकर : जी हां, श्रीमान् ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि समाप्ति की सूचना भारत ने दी थी या पाकिस्तान ने ?

श्री करमरकर : किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है। तीन मासों की अतिरिक्त अवधि के समाप्त होने पर, जो कि दोनों पक्षों की सहमति से दी गई थी, यह अपने आप समाप्त हो गया था।

श्री कासलीवाल : मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान ने इस समझौते को बढ़ाने के लिये कहा था ?

श्री करमरकर : यह मामला विचाराधीन था। उस ने बढ़ाने के लिये कहा था। हम समझते हैं कि ऐसा करना न्यायसंगत नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इस समझौते के अन्त होने से पटसन और कोयला सम्बन्धी वर्तमान भारत-पाकिस्तान समझौते पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

श्री करमरकर : जी नहीं, श्रीमान्।

नीबु घास तेल

*८०२. **श्री वी० पी० नायर :** (क) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नीबु घास तेल अब किन किन राज्यों में तैयार किया जाता है और १९५०, १९५१, १९५२ में और जहां तक हो सके, १९५३ में, प्रत्येक राज्य में यह तेल कितना तैयार किया गया;

(ख) भारत में इस समय नीबु घास तेल का कितना संचय है ?

(ग) (क) में उल्लिखित वर्षों में इस तेल के औसत तथा अधिकतम मूल्य क्या थे ?

(घ) कुल कितनी भूमि में नीबु घास की कृषि की जाती है और इस की खेती और तेल के सेवन में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं ?

(ङ) इस तेल के अधिकतम मूल्यों की व्यवस्था करने के लिये भारत सरकार ने क्या पग उठाये हैं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (घ). नीबु घास तेल अब मुख्यतः त्रावनकोर कोचीन के राज्य में और मद्रास के मालाबार जिले में बनाया जाता है।

जानकारी का एक विवरण जहां तक यह मिल सकती है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७**]

(ङ) इस उद्योग की समस्याओं पर भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा स्थापित मसाला जांच समिति ने विचार किया है; समिति की सिफारिशें अब प्राप्त हो चुकी हैं और परीक्षणाधीन हैं।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि समुद्र पार के, विशेषतया अमेरीका और ब्रिटेन के खरीदारों द्वारा पैदा किये गये मूल्य के उतार-चढ़ाव के कारण, उद्योग को समय समय पर संकट का सामना करना पड़ता है और इन संकटों का त्रावनकोर-कोचीन के हजारों लोगों पर प्रभाव पड़ता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न में बहुत सी धारणायें हैं ?

मैं नहीं कह सकता कि ये सब धारणायें ठीक हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि मूल्यों का बहुत उतार-चढ़ाव होता रहा है और इस से निस्संदेह उत्पादकों के हितों पर प्रभाव पड़ता है।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारत सरकार ने नीबु घास तेल, विशेषतया आयट्रोल और आयनोन की आन्तरिक खपत को बढ़ाने की संभाव्यता की जांच की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं जानता कि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की है या नहीं। किन्तु मसाला जांच समिति ने नीबु घास तेल और इस के उत्पादन के बारे में अवश्य कुछ सिफारिशें की हैं।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि चूंकि हायटी, गुआटेमाला, बेल्जियन कांगो, ब्राजील और पोर्टो रिको में नीबु घास की बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, इसलिये त्रावनकोर-कोचीन और मालाबार में नीबु घास का भविष्य उज्जवल नहीं है और संभव है कि इन देशों की प्रतिस्पर्धा के कारण यहां कोई खेती न हो सके ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे लिये इन सब धारणाओं की पुष्टि करना कठिन है। मुझे ज्ञात हुआ है कि चूंकि अमेरीका में विटामिन 'ए' के निर्माताओं ने अपने तरीकों में कुछ परिवर्तन कर दिये हैं, इसलिये उस देश में नीबु घास तेल की खपत कम हो गई है। मैं नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य की सारी जानकारी सत्य है या नहीं।

श्री ए० एम० टामस : मैं पूछ सकता हूं कि माल का इस बात का प्रबन्ध करने के लिये कि अच्छे माल का निर्यात किया जाय सरकार ने कोई पग उठाये हैं, और क्या मैं यह भी पूछ सकता हूं कि श्रेणीकरण तथा अन्य बातों के लिये समुद्र शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत शक्ति लेने का कोई प्रस्ताव था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मुझे ज्ञात है निर्यात के माल के गुण प्रकार पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में या श्रेणीकरण के सम्बन्ध में कुछ अधिक कार्य नहीं हुआ। इस विषय में सरकार का निर्णय बहुत हद तक इस बात पर निर्भर है कि वह कहां तक मसाला जांच समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिये तैयार है।

कोयले का निर्यात

*८०३. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ११ मई १९५३ को कोयले के निर्यात पर वाणिज्य-शुल्क समाप्त किये जाने के पश्चात् कोयले के निर्यात में कुछ सुधार हुआ है ; तथा

(ख) यदि नहीं, क्या और कोई कार्यवाही विचाराधीन है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) नहीं।

(ख) सरकार ने कोयला आयुक्त को अधिकार दे दिया है कि वह जहां कहीं आवश्यक समझे, उत्तम श्रेणी के कोयले के निर्यात से कुछ प्रतिबन्ध हटा सकता है। निर्यात की प्रक्रिया भी सरल बना दी गई है ताकि लदान करने वाले विदेशी बाज़ारों की खोज कर सकें, ग्राहकों का पता लगा सकें और फिर निर्यात के लिये कोयला आयुक्त की अनुमति प्राप्त कर सकें। निर्यात में वृद्धि करने के लिये जो भी हाथ उठाये जा सकते थे विचाराधीन है।

श्री एस० एन० मिश्र : कोयले के निर्यात पर वाणिज्य शुल्क के समाप्त होने से क्या हानि होगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे खेद है कि मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या सरकार का यह निश्चय है कि निर्यात में कमी का कारण इस वाणिज्य शुल्क का लगाया जाना नहीं है ?

श्री के० सी० रेड्डी : नहीं। निर्यात में कमी होने का कारण यह है, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य को विदित होगा और जैसा कि मैं

अपने उत्तर में कह चुका हूं कि इन शुल्कों के समाप्त होने के फलस्वरूप निर्यात में कोई ध्यान देने योग्य वृद्धि नहीं हुई है। वह मुख्य कारण नहीं हो सकता।

श्री एस०एन० मिश्र: क्या सरकार का विचार कोयले के निर्यात पर फिर यह शुल्क लगाने का है ?

श्री के० सी० रेड्डी: फिर शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हमने उसे यह देखने की दृष्टि से समाप्त किया था कि क्या इसके फलस्वरूप निर्यात में वृद्धि होगी फिर शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाने का तेल तथा तिलहन

***८०४. श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) अक्टूबर १९५३ तक खाने के तेलों का, गत वर्ष के इस काल की अपेक्षा, कितना निर्यात हुआ है और उसका मूल्य क्या है ;

(ख) इस काल में कितने तिलहन का निर्यात हुआ है; तथा

(ग) योजना आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार मिल के तेल पर थोड़ा उपकर लगाने में क्या क्या कठिनाइयां उत्पन्न हुई।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८]**

(ग) बहुत से रुचि रखने वाले पक्षों के परामर्श से इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता हूं कि मूंगफली के तेल तथा तिलहन के निर्यात में कुछ कमी होने का कारण क्या था ?

श्री करमरकर: क्योंकि हमने उसे निरोत्साहित किया था।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि क्या मूंगफली के मूल उत्पादकों पर इसका हानिप्रद प्रभाव पड़ेगा ?

श्री करमरकर: हम नहीं समझते कि ऐसा होगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार का विचार खाने के सारे तेलों पर से निर्यात शुल्क हटाने का है क्योंकि भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ने हाल में ही सिफारिश की थी कि खाने के सारे तेलों पर से निर्यात शुल्क हटा दी जाये ?

श्री करमरकर: यह एक भिन्न प्रश्न है। उत्तर है नहीं।

श्री सिंहासन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह योजना आयोग की सिफ़ारिशों में से एक है कि खाने के सारे तेल केवल व्यक्तियों द्वारा निकाले जायें और मिलों से केवल न खाये जाने वाले तेल तैयार किये जायें ? सरकार ने गत सत्र में उत्तर दिया था कि मामला विचाराधीन है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने योजना आयोग की सिफ़ारिश के इस भाग के संबंध में कोई निश्चय कर लिया है ?

श्री करमरकर: प्रथम भाग के संबंध में कर लिया है। द्वितीय भाग के संबंध में अभी नहीं किया है।

श्री मुनिस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार तिलहन के निर्यात की युद्धपूर्व स्थिति बनाये रखने की स्थिति में है ?

श्री करमरकर: मेरा विचार है, नहीं।

पंजाब तथा पैप्सू को विद्युत देना

***८०५. श्री डी० सी० शर्मा :** (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि भाकड़ा नांगल परियोजना के अन्तर्गत पंजाब तथा पेप्सू के किन जिलों को विद्युत दी जायेगीं ?

(ख) उन्हें विद्युत कब मिलने लगेगी ?

(ग) विद्युत देने की प्रति इकाई (यूनिट) दर क्या होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९**]

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि उस समिति के सदस्य और कौन कौन हैं जिस से युक्ति मूलक कार्यक्रम, आदि पर परामर्श देने के लिये कहा गया है ?

श्री हाथी : आयोग में विद्युत संबंधी सदस्य उस समिति के सदस्यों में से एक हैं । पंजाब के एक इन्जिनियर भी एक सदस्य हैं । केन्द्रीय जल शक्ति आयोग के एक निर्देशक भी एक सदस्य हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति में साधारण व्यक्तियों को क्यों सम्मिलित नहीं किया गया है । यद्यपि यह एक प्रविधिक मामला है, साधारण व्यक्ति का दृष्टिकोण भी लाभदायक हो सकता है ।

श्री हाथी : क्योंकि यह एक प्रविधिक मामला है, इसलिये वे व्यक्ति समिति के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित कर दिये गये हैं जिन्हें इस विषय का अनुभव है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि कांगड़ा तथा गुरदासपुर को अनुसूची के उन क्षेत्रों में क्यों नहीं रखा गया जिन्हें विद्युत दी जायेगी ?

श्री हाथी : मेरा विचार है कि यह बाद में समिति के प्रतिवेदन पर निर्भर होगा ।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि यह निश्चय करने में क्या प्रविधि सन्निहित है कि विद्युत किस भाग को पहिले और किस भाग को बाद में दी जाये ?

श्री हाथी : सन्निहित प्रविधि भार-निरीक्षण, विद्युत का मितव्ययपूर्ण वितरण करने से लाभ होगा, किसी एक विषेश समय पर कितना भार होगा, आदि । इन प्रश्नों की जांच करनी है ।

टायर्स तथा ट्यूब्स का ठेका

*८०६. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी जिसने सरकार से टायर्स तथा ट्यूब्स का क्रय करने के लिये, जो सरकार के पास कलकत्ता तथा आसाम में पड़े हैं, ठेका लिया था और जिससे सरकार को लगभग १७ $\frac{1}{2}$ लाख रु० की हानि हुई ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : यह निश्चय किया गया है कि उस फर्म या उसके स्वामियों से कोई लेन देन न किया जाये ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले के ठेके में कोई वैधानिक दोष था, जैसी कि लोक लेखा समिति ने सूचना दी है, और यदि हां तो सरकार ने यह जानने के लिये क्या पूछ ताछ की है कि दोष जानकर रखा गया था या असावधानी से रह गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस के लिये मुझे अलग पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सत्य है कि बाद के इन टायरों तथा ट्यूबों में आग लग गई थी और ये नष्ट हो गये थे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वहां एक अग्निघटना हुई थी परन्तु यह लगभग सात या आठ वर्ष पूर्व हुई थी ।

श्री जोकीम आल्वा उठे--

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

चल चित्र

*८०७. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात का विश्वास करने के लिये क्या सावधानी रखी जाती है कि चलचित्रों के वे आपत्तिजनक भाग, जिन्हें चलचित्र-नियन्त्रण संबंधी केन्द्रीय बोर्ड प्रमाणित नहीं करता है, फिर बाद में चलचित्र में मिलाकर जनता में नहीं दिखाये जाते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) (१) १९५२ के सिने अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नवीनतम नियमों के अनुसार, इस बात को विश्वसनीय बनाने के लिये कि अप्रमाणित भाग चलचित्रों में नहीं मिलाये जाते हैं, निम्न कार्यवाहियां की गई हैं । जो चलचित्र कुछ भागों को निकालने के पश्चात् जनता में दिखाने के लिये उचित समझा जाता है, उसके लिए प्रमाणपत्र उस समय दिया जाता है जब प्रार्थी से यह घोषणा प्राप्त हो जाती है कि उसने चलचित्र की अपने पास की सारी प्रतियों में से आपत्तिजनक भाग निकाल कर चलचित्र-नियन्त्रण संबंधी केन्द्रीय बोर्ड को दे दिये हैं ।

(२) इस प्रकार दिये गये प्रमाणपत्र में सीधी ओर नीचे एक त्रिभुज का चिन्ह होता है और काटे गये भागों का विवरण उसकी उलटी ओर दिया होता है ।

(३) काटों का विवरण, जिनके निकाले जाने पर चलचित्रों को जनता में दिखाने के लिये प्रमाणित किया जाता, प्रति सप्ताह सरकारी राजपत्र में भी प्रकाशित होता है ।

(४) प्रार्थी को प्रमाण पत्र प्राप्त होने से पहिले, बोर्ड द्वारा प्रमाणित रूप में, चलचित्र की एक प्रति या उसके कथानक के घटनाक्रम की एक प्रति बोर्ड के पास जमा करनी पड़ती है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद : अब तक इन में से कितने क्षेपकों की सूचना सरकार को मिली है, और क्या पग उठाये गये हैं ?

डा० केसकर : यह बताना कि कितनी बार इन मामलों की हमें सूचना मिली, मुझे प्रश्न की अलग पूर्व सूचना चाहिये । परन्तु ऐसे कुछ मामले हमें विदित हुए हैं । वास्तव में, न्यायालय में एक विशेष मामले के जाने तथा न्यायालय के निश्चिय के पश्चात हमें सिने अधिनियम, १९५२, में संशोधन करने पर कुछ बाध्य होना पड़ा ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : हम से कहा जाता है कि यह निश्चय करने का उत्तरदायित्व, कि कोई चलचित्र जनता को दिखाये जाने के लिये उचित है अथवा नहीं, चलचित्र नियन्त्रण संबंधी केन्द्रीय बोर्ड को दे दिया गया है। मैं जान सकता हूं कि क्या बोर्ड के सदस्य प्रत्येक चलचित्र को प्रमाणित करने की दृष्टि से अलग अलग देखते हैं अथवा साथ साथ ?

डा० केसकर : सिने अधिनियम, १९५२ से यह सूचना विस्तृत रूप में पाना सम्भव है । मैं इसकी प्रति माननीय सदस्य को सहर्ष देना चाहूंगा ।

भारत-श्रीलंका चाय संवर्धन परिषद्

*८०८. **श्री एन० एम० लिंगम :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारत-श्रीलंका चाय संवर्द्धन परिषद् में सम्मिलित होने के लिये श्री **लंका** सरकार को आमंत्रित किया है ;

(ख) उक्त प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं ?

(ग) परिषद् की विभिन्न गति विधियां क्या होंगी ?

(घ) श्रीलंका से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

(ङ) क्या दूसरे पड़ौसी देशों के भी इसमें सम्मिलित होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ङ). भारत और श्रीलंका द्वारा चाय व्यापार तथा चाय उत्पादन करने वाले दूसरे देशों के सहयोग से प्रमुख उपभोक्ता देशों में संयुक्त चाय संवद्धन परिषदें स्थापित करने के प्रश्न पर अभी बातचीत हो रही है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: दूसरे किन किन देशों से इस परिषद् में सम्मिलित होंने के लिये कहा गया है ?

श्री करमरकर : जैसा कि माननीय सदस्या जानती हैं चाय उत्पादन करने वाले प्रमुख देश भारत, श्रीलंका और इण्डोनेशियां हैं। वर्तमान में हमारी बातचीत श्री लंका से चल रही है।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना (बम्बई)

***८०९. श्री दाभी : योजना** मंत्री दिनांक २४ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सरकार ने राष्ट्रीय विकास सेवा योजना कार्यान्वित करने के लिये क्षेत्रों का चुनाव करने के सम्बंध में प्रस्ताव उपस्थित कर दिये हैं ;

(ख) यदि यह सही है तो इस कार्य के लिये अन्तिम रूप से किन क्षेत्रों का चुनाव किया गया है ;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में कितने आवर्ती और अनावर्ती व्यय का अनुमान किया गया है ; और

(घ) वे संसाधन जिनसे व्यय की पूर्ति की जायगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां।

(ख) निम्न चक्रलेखित पुस्तिका की ओर ध्यान आमंत्रित किया जाता है :

"प्रत्येक राज्य में चुने गये क्षेत्रों की संख्या और संवर्गी (ब्लाकों) के सम्बंध में १९५३-५४ में निम्न शीषकों के अन्तर्गत उनकी स्थिति प्रकट करने वाले विवरण पत्र:—

(१) राष्ट्रीय विस्तार योजना; और

(२) सामुदायिक विकास योजना।"

उक्त पुस्तका की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) राज्य सरकार से आयव्ययक सम्बन्धी प्राक्कलन प्रतीक्षित है।

(घ) "राष्ट्रीय विस्तार सेवा संगठन और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विस्तार" पुस्तिका की ओर ध्यान आमंत्रित किया जाता है। इन पुस्तिकाओं की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

अपहृत माताओं के बालक

***८१०. श्री बी० के० दास: प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पता लगने के बाद पाकिस्तान भेजी जाने वाली माताओं द्वारा छोड़े गये बालकों की सख्या ; और

(ख) इस तरह के अनाध्यर्थित बालकों की संख्या और पिता अथवा दूसरे सम्बन्धियों द्वारा अधिकार में लिये गये बालकों की संख्या ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) उक्त प्रकार के बालकों की संख्या ३१ अक्टूबर, १९५३ तक १,४०० थी।

(ख) (१) अनाध्यर्थित: २१।

(२) अपहरणकर्ता पिताओं अथवा दूसरे सम्बधियों को सौंपे गये बालक: १,२८३।

श्री बी० के० दास: उक्त अनाध्यर्थित २१ बालकों की देखभाल के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सादत अली खान: जिन बालकों के सम्बंध में किसी ने अधिकार प्रकट नहीं किया उन्हें उचित पालन पोषण के लिये अलाहाबाद की बालकों की राष्ट्रीय संस्था में भेज दिया गया है।

श्री बी० के० दास: क्या यह संस्था भारत सरकार द्वारा संचालित है ?

श्री सादत अली खान: इस विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं यह कह दूं कि एक महिला संगठन द्वारा इस संस्था का संचालन किया जाता है।

श्री बी० के० दास: इन बालकों पर क्या व्यय किया जाता है ?

श्री ए० पी० जैन: प्रत्येक बालक पर ३० रु० महीने से अधिक व्यय होता है।

श्री अजित सिंह: भारत में कितने बालकों का पता लगाया गया है और कितने पास्कितान में भेजे गये हैं ?

श्री सादत अली खान: दिनांक ३१ अक्टूबर, १९५३ तक उन अपहृत माताओं द्वारा जिन्हें ढूंढ़ कर पास्कितान भेज दिया गया है अमृतसर, जालंधर, जम्मू और फीरोजपुर के विभिन्न अवरोध शिविरों में १,४०० बालक छोड़े गये थे। इनमें से ७६ बालकों की शिविरों में मृत्यु हो गई, २१ बालकों पर किसी ने अधिकार प्रकट नहीं किया, १,२८३ बालक अपहरणकर्ता (पिताओं) अथवा दूसरे सम्बंधियों को सौंप दिये गये और शेष २० अभी भी अमृतसर के शिविर में उनके अध्यर्थकों को सौंप देने की प्रतीक्षा में हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि ये सब बालक विभाजन के बाद भारत में पैदा हुए थे अथवा विभाजन के पूर्व ?

श्री सादत अली खान: इस विषय पर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री अजित सिंह खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय: दूसरा प्रश्न।

बम्बई राज्य मिथागार कामगर फेडरेशन

*८११. **श्री टी० बी० विट्ठल राव**: (क) **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बम्बई राज्य मिथागार कामगर फेडरेशन ने सरकार के समक्ष फरवरी, १९५३ में एक स्मरण-पत्र प्रस्तुत किया था ?

(ख) स्मरण-पत्र में लिखे गये कष्टों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) हां।

(ख) उक्त फेडरेशन द्वारा उठाये गये प्रश्नों के संबंध में स्थिति की व्याख्या करने वाला विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०]**

श्री टी० बी० विट्ठल राव: स्मरण-पत्र कब प्राप्त हुआ था और उसमें उठाये गये प्रश्नों पर कब निर्णय किया जायगा ?

श्री आर० जी० दुबे : स्मरण-पत्र श्रम मंत्रालय में इस वर्ष फरवरी में प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात् उत्पादन मंत्रालय में उसका निर्देश किया गया। अब मुझे मालूम हुआ है कि नमक आयुक्त इस विषय पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने पट्टेदारों के नाम सूचनाएँ जारी कर दी हैं।

श्री नानादास: विवरण के प्रथम भाग से यह प्रतीत होता है कि नमक उत्पादन करने वाले अनुपस्थित अनुज्ञाधारी नमक निर्माण में उचित रुचि नहीं ले रहे हैं। श्रीमान, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है कि इस तरह के अनुपस्थित अनुज्ञाधारियों को अनुज्ञप्तियां जारी न की जाएं और पुरानी अनुज्ञाप्तियों के अवसान होने पर यह कार्य सहकारी संस्थाओं के सुपुर्द किया जाय ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): इन सब विषयों पर उचित समय में विचार किया जायगा।

ग्राम उद्योग

*८१२. **श्री एस० सी० सामन्त:** **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० अप्रैल, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७४१ के अनुपूरकों की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि:

(क) क्या पांच लाख रुपयों के लागत की प्रस्तावित अनुसंधान संस्था स्थापित कर दी गई है ;

(ख) यदि यह सही है तो कितनी छोटी छोटी मशीनों का वहां प्रयोग कर उत्पादन किया गया है ; और

(ग) इसी बीच में अखिल भारत खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा क्या कोई और ग्राम उद्योग उन्नति के लिये हाथ में लिये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

श्री एस० सी० सामन्त: पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जापान से मंगाई गई एक तैल निकालने की मशीन की भांति और मशीनें यहां बनाई जा रहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जापान से मंगाई गई अन्य मशीनों को भी यहां बनाया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि गावों में प्रयुक्त होने वाली छोटी मशीनों के नवीकरण की ओर सरकार ध्यान दे रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे आशंका है कि अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न के विषय-क्षेत्र से परे जा रहा है। मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि इस अनुसंधान संस्था की स्थापना में इतनी देर क्यों ही रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: अखिल भारत खादी और ग्राम उद्योग द्वारा इस कार्य के लिये जून में एक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी और उन्होंने एक प्रारूप-प्रतिवेदन तैयार किया है। अनुमान है कि बोर्ड अपनी अगली बैठक में उस पर विचार करेगा।

केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग

*८१३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पटेलनगर, नई दिल्ली में, वर्षा के पानी की नालियां बनाने पर, प्रत्येक ठेके पर, कितने और किस श्रेणी के विशेष कार्ययुवत कर्मचारी रखे ; और

(ख) उनं में से कितनों को इस निर्माण कार्य के दौरान में काम से हटा दिया गया और किन कारणों से ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) तथा (ख) में सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिस में यह जानकारी दी हुई है, [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१**]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन लोगों को काम से हटाने का मुख्य कारण यह था कि उन्हें ठेकेदारों द्वारा किया गया घटिया काम पसन्द नहीं था ?

सरदार स्वर्ण सिंह: जी, नहीं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: कुछ हालतों में कर्मचारियों को इसलिए निकाला गया है कि उन्होंने अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा की है । क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कर्त्तव्य की कोई ऐसी उपेक्षा हुई है जिस के आधार पर इन लोगों को निकाला गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह: उन का काम निश्चित स्तर के अनुकूल नहीं था ।

श्री बी० पी० नायर: क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि एक विशेष कार्यायुक्त मिस्त्री ने सरकार को समाचार दिया कि ठेकेदार का काम घटिया दर्जे का है और यह कि उसे ठेकेदार ने घूस का लालच दिया है और उस मिस्त्री को बाद में काम से हटा दिया गया ?

सरदार स्वर्ण सिंह: शिकायत करने वाले का नाम बता दिया जाय तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं ।

श्री बी० पी० नायर : मैं उस का नाम बता सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: यहां नहीं ।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटिड

*८१७. **डा० एम० एम० दास**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को १९५३ में हड़ताल तथा तालाबन्दी के कारण उत्पादन की कितनी हानि हुई और उस का मूल्य कितना था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : १९५२ के औसत मासिक उत्पादन के आधार पर लगभग ८८,००० टन इस्पात की, जिस का मूल्य लगभग ४ करोड़ रुपये होता ।

डा० एम० एम० दास: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि हड़ताल के दिनों में, इस्पात के इस कारखाने के संयंत्र के किसी भाग को प्रयुक्त न होने के कारण हानि पहुंची ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: प्रयुक्त न होने का प्रश्न नहीं है । दुरुपयोग के कारण इस कारखाने की कुछ मशीनों को हानि पहुंची और उन की मरम्मत करनी पड़ी ।

डा० एम० एम० दास: मरम्मत पर कितना खर्च आया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे मालूम नहीं है ।

डा० एम० एम० दास: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस्पात के प्रतिधारण (रिटेन्शन) मूल्य में ५० रुपये प्रति टन की वृद्धि से, जो सरकार ने हाल ही में लागू की है, चालू साल में मह हानि पूरी हो जायगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे तो प्रतिधारण मूल्य और इस कम्पनी को हुई हानि के बीच कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता । मेरे विचार में सरकार इस हानि की पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है ।

कपड़ा उद्योग

*८१८. **श्री भागवत झा आजाद**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उद्योग

सलाहकार परिषद् ने अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में कपड़ा उद्योग की समस्याओं पर भी विचार किया था ?

(ख) इस विचार का परिणाम क्या हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां । कपड़ा मिलों के बन्द होने के खतरे के सम्बन्ध में कुछ विचार विमर्श हुआ था ।

(ख) मैं माननीय सदस्य का ध्यान, २४ अक्तूबर, १९५३ की विज्ञप्ति की ओर दिलाता हूं जिस की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२]**

श्री भागवत झा आजाद : इस विवरण से यह स्पष्ट है कि सरकार ने मिल मालिकों को कुछ रियायतें दीं । क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि मिल मालिकों ने सरकार से जो रियायतें छीन ली हैं, उन पर कितना खर्च आएगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ने "छीन" शब्द का प्रयोग किया । मुझे खेद है कि मुझे उन का विरोध करना पड़ेगा । रियायतें छीनी नहीं गईं । ये रियायतें इसलिए दी गईं कि मिलों में जो कपड़ा जमा हुआ पड़ा है वह उठा लिया जाय । उस दृष्टि कोण से स्थिति बहुत सन्तोषजनक रही है । उस समय जब कि सरकार को कार्यवाही करनी पड़ी, लगभग ४,२४,००० गांठ कपड़ा जमा हुआ पड़ा था । पिछले सप्ताह के अन्त में सारे भारत में मिलों के पास कपड़े की ३,२९,००० गांठें थीं । मुझे पता चला है कि विशेषकर बम्बई में मिलों के पास जितना कपड़ा पड़ा है वह उन के तीन सप्ताह के उत्पादन से भी कम है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि पर्याप्त पूर्व सूचना दिए बिना बन्द होने वाली मिलों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? इन मिलों के बन्द होने से बहुत से मजदूर बेकार हो गए हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि माननीय सदस्य बता रहे हैं । सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रभाव यह हुआ है कि मिलों के बन्द होने का खतरा बहुत हद तक टल गया है । मेरा विचार है कि अक्तूबर में १२ मिलें बन्द हुईं परन्तु उन के बन्द होने के विभिन्न कारण थे । सिवाय कानपुर और कलकत्ता की दो मिलों के, और मिलों के बन्द होने से बेकार होने वाले मजदूरों की संख्या भी बहुत अधिक नहीं है । परन्तु ये दो मिलें अन्य कारणों से बन्द हुईं न कि इसलिए कि उन के पास माल बहुत जमा हो गया था ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि जिन मिलों ने बन्द होने के सम्बन्ध में सरकार के आदेश का पालन नहीं किया, सरकार उन का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कोई आदेश लागू नहीं किया गया था ।

भारत-पाकिस्तान सम्मेलन

*८१९. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ अधिकारियों का जो भारत-पाकिस्तान सम्मेलन कराची में, अक्तूबर के मध्य में, निष्क्रमणार्थियों के दावों को तै करने तथा दावा संगठन के समुचित रूप से कार्य करने के सम्बन्ध में हुआ था उस में कोई समझौता हुआ ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) इस सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि केन्द्रीय दावा संगठन द्वारा प्रान्तीय सरकारों, राज्यों

तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के पेन्शन, भविष्य निधि, वेतन, छुट्टी का वेतन तथा प्रतिभूति-निक्षेपों सम्बन्धी दावों की जांच अधिक तेज़ी से करने के उपाय ढूंढे जायं। सम्मेलन ने इस सम्बंध में सर्वसम्मति से कुछ सिफारिशें की हैं और अभी पाकिस्तान सरकार ने इन्हें स्वीकार करना है। भारत सरकार उन्हें पहले ही स्वीकार कर चुकी है और उस ने इस बात की सूचना पाकिस्तान सरकार को दे दी है।

श्री गिडवानी : इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान सरकार इस मामले को तै करने में बार बार देरी करती है क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि निकट भविष्य में पाकिस्तान सरकार का कोई उत्तर न मिले तो कार्यवाही की जाय ?

श्री ए० पी० जैन : भारत सरकार बराबर पाकिस्तान सरकार पर इस बात के लिए ज़ोर देती है कि वह इन समझौते का अनुसमर्थन करे।

श्री गिडवानी यह तो मैं जानता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार इन समझौतों का अनुसमर्थन करने से इन्कार कर दे तो हमारी सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का मतलब है कि पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध कार्यवाही ?

श्री गिडवानी : जी नहीं, दोनों के एक दूसरे पर दावे हैं उन्हें हमें कुछ देना है और हमें उन को। हमें किसी न किसी तरह यह मामला निपटाना ही है। यह वह इसे तै कर के उन लोगों को कुछ न देना चाहे जिन्हें इतनी देर से कुछ नहीं मिला है, तो हमारी सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ए० पी० जैन : सच तो यह है कि हम ने यहां के लोगों को (क्षतिपूर्ति) देने की एक योजना बनाई है। इसमें सन्देह नहीं कि अन्तिम प्रमाणीकरण तो पाकिस्तान पर निर्भर है। रुपया तो एक देश से दूसरे देश को जा नहीं रहा है; यह तो हिसाब किताब ही है। सच तो यह है कि हिसाब किताब तै करने में देर होने से किसी को हानि नहीं हो रही है, सिवाय इस बात के कि हिसाब साफ नहीं है और मामला अन्तिम रूप से तय नहीं किया जा रहा है।

श्री भागवत झा आज़ाद : माननीय मंत्री ने कहा कि यह पाकिस्तान सरकार पर निर्भर है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार का ध्यान पाकिस्तान की संविधान सभा के एक सदस्य के इस वक्तव्य की ओर गया है कि भारत इन समझौतों के अनुसमर्थन से बचना चाहता है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि कुछ दिन पहले यह प्रश्न पूछा गया था और इस पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे गए थे।

कागज

*८२०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार को प्रति वर्ष सरकारी कार्य के लिए कुल कितने हाथ के बने कागज़ की आवश्यकता होती है; और

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को १,८६,९२५ रुपये का हाथ का बना कागज़ देने का आदेश दिया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) लगभग ३,००० रीम।

(ख) जी हां।

श्री रघुनाथ सिंह: कुल कितने रुपये के कागज़ की आवश्यकता सालाना हमारी सरकार को होती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह: मेरे पास मात्रा के सम्बन्ध में आंकड़े हैं, मूल्य के सम्बन्ध में नहीं । मेरे माननीय मित्र मात्रा जानना चाहते हों तो मैं बता सकता हूं । १९५२-५३ में आवश्यकता २४,०४६ टनों की थी ।

श्री रघुनाथ सिंह: कितने टन के हाथ के बने हुए कागज़ का आर्डर गवर्नमेंट ने दिया ? अब इस तरह से बता दीजिए ।

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं रीमों में यह मात्रा बता चुका हूं ।

पक्के एकड़ का नकद मूल्य

*८२२. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बारे में निश्चय कर लिया है कि पश्चिमी पाकिस्तान में गैर पंजाबी विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि के प्रत्येक पक्के एकड़ का नकद मूल्य क्या होगा ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रत्येक एकड़ के लिये कितना मूल्य निश्चित हुआ है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). यह मामला विचाराधीन है ।

श्री गिडवानी : क्या यह तथ्य है कि विस्थापित गैर पंजाबी ज़मीदारों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था और उनकी राय मांगी गई थी ?

श्री ए० पी० जैन : कोई सम्मेलन नहीं बुलाया गया था, किन्तु विस्थापित व्यक्तियों के कुछ प्रतिनिधियों को बातचीत करने के लिये मैंने आमन्त्रित किया था ।

श्री गिडवानी : इस प्रश्न के बारे में अन्तिम निश्चय होने में कितना समय लगेगा ?

श्री ए० पी० जैन : इस बारे में मैं कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता ।

नमक

*८२४. **सेठ अचल सिंह:** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खेवड़ा तथा सांभर नमक पर नियंत्रण है,

(ख) यदि हां, तो कहां पर; तथा

(ग) क्या सरकार इस व्यापार को सामान्य रूप से सभी दुकानदारों को खुले रूप से करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि यह नमक बाज़ार में सस्ता मिलने लगे ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे): (क) से (ग). आयात नियंत्रण विनियमन के अधीन खेवड़ा (पाकिस्तान) से भारत ने सेंधे नमक के आयात की आज्ञा नहीं है ।

सारभूत प्रदाय (अस्थाई अधिकार) अधिनियम १९४६ के अधीन जारी किये गये कार्यकारी आदेश अथवा नियंत्रण आदेश के द्वारा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य-प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पेप्सू, राजस्थान, देहली, भूपाल, विन्ध्य प्रदेश, अजमेर , मध्य-भारत, बिलासपुर तथा आसाम में सांभर नमक का आयात नियंत्रण तथा मूल्य विनियमित किया जाता है ।

राज्य नामीकृत व्यक्तियों द्वारा नमक का आयात किया जाता है जो बाद में इस नमक को अनुमति प्राप्त खुदरा व्यापारियों को राज्यसरकार द्वारा निश्चित मूल्य पर, जो सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित की जाती है, देते हैं । 'वस्तु नियंत्रण' समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार

पर 'नामीकृत' प्रथा में संशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

सेठ अचल सिंह : क्या गवर्नमेंट यह बताने की कृपा करेगी कि कंट्रोल के सम्बन्ध में नमक पर से कंट्रोल हटाने की क्या नीति है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैंने बताया कि कामोडिटी कन्ट्रोल कमेटी जो नियुक्त की गई है वह इस सवाल पर सोच रही है और कामोडिटी कंट्रोल कमेटी ने जो कुछ रिकमंडेशन्स की है, उनके बारे में गवर्नमेंट विचार कर रही है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सांभर नमक साल भर में कितनें टन होता है ?

श्री आर० जी० दुबे : यह फिगर्स तो में इस वक्त नहीं बता सकूंगा ।

श्री कासलीवाल : क्या यह तथ्य नहीं है कि नमक के मामले में भारतवर्ष स्वावलम्बी हो गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : यह सत्य है ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : किन्तु सांभर झील के नमक के मामले में नहीं ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : केवल आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु भारतवर्ष निर्यात करने की स्थिति में भी है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि खेवड़ा नमक --जो देखने में खेवड़ा नमक जैसा लगता है-- क्या दिल्ली में बनने लगा है ?

श्री आर० जी० दुबे : नहीं श्रीमान् ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि वह नमक जो मानव जाति के प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो चूका है उसकी खपत किस प्रकार होती है ?

श्री आर० जी० दुबे : जैसा कि प्रकट है कि नमक में सोडियम क्लोराइड का अंश इस चालू वर्ष के लिये ९४ प्रतिशत है, और जब इस बात का पता लगता है कि नमक की कोई विशेष मात्रा स्तर से नीचे है तो उस मात्रा को उपयोग के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है ।

हीराकुद में विस्थापित व्यक्ति

***८२५. श्री आर० एन० एस० देव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री १३ मई १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१२२ के उत्तर का निर्देश करते हुये बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हीराकुद परियोजना क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने और कृषि योग्य भूमि बनाने सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच समाप्त ही गई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव किस प्रकार के हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) कृषि योग्य भूमि बनाने तथा हीराकुद परियोजना क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने सम्बन्धी प्रस्ताव, जैसा कि हीराकुद नियंत्रण मंडल ने उन्हें स्वीकार किया है, आजकल उड़ीसा सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) ८० हजार एकड़ कृषि करने योग्य जंगल तथा बेकार भूमि पुनरोद्धार के लिये छांट ली गई है, और पुनर्स्थापन पुनरोद्धार कार्य में इस भूमि को साफ करना, कृषि के लिये खेत तैयार करना और इनकी सिंचाई के लिए जलाशय खोदना है । इनके अतिरिक्त कुछ सुविधाएं जैसे स्नानार्थ तालाब, कुएं, सड़क तथा आवागमन के साधन, डाक्टरी सहायता, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कल आदि

प्रत्येक पुनर्स्थापित गांवों में होंगे । दूसरे भागों की सिंचाई योग्य बेकार भूमि भी इस सूची में रखी गई है और उसका नकशा बनाया गया है । ये भूमि उन विस्थापित व्यक्तियों को जो बिना पुनरोद्धार की गई दशा में ही चाहते हैं, उनको दे दी गई है । पुनरोद्धार का कार्य मशीन तथा शारीरिक परिश्रम के आधार पर प्रारम्भ हो गया है । व्यापार तथा व्यवसाय के इच्छुक व्यक्तियों को व्यापार तथा व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिये उचित सुविधायें दी गई हैं ।

श्री आर० एन० एस० देव : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक कुल कितनी भूमि का पुनरोद्धार किया गया है एवं उस पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री हाथी : पुनरोद्धार की गई भूमि के वास्तविक आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं । किन्तु लगभग ८० हजार एकड़ भूमि का पुनरोद्धार किया जाना है ।

श्री आर० एन० एस० देव : क्या मैं जान सकता हूं कि हीराकुद परियोजना में विस्थापित होने वाले २० हज़ार परिवारों में से कितने परिवारों को पुनरोद्धार किये गये इस नये केन्द्र में वास्तव में भूमि दी गई है ?

श्री हाथी : लगभग १५ हज़ार व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दी गई है । जहां तक कि भूमि का सम्बन्ध है--मकानों के लिये भूमि --भूमि निशुल्क दी गई है !

श्री आर० एन० एस० देव : मेरा प्रश्न यह था कि नये केन्द्रों में कितने परिवारों को भूमि दी गई है ?

श्री हाथी : कृषि के लिये भूमि अथवा मकानों के लिये भूमि ?

श्री आर० एन० एस० देव : कृषि के लिये ।

श्री हाथी : अभी उस क्षेत्र में पानी नहीं भरा है । ६७८ परिवारों ने भूमि के लिये आवेदन पत्र दिये हैं और ३४६ परिवारों को भूमि दी गई है ।

श्री जी० एस० सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि इस ८० हज़ार एकड़ भूमि का जिसका कि पुनरोद्धार होना है, क्या हीराकुद परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अथवा केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन द्वारा, पुनरोद्धार किया जायगा ?

श्री हाथी : केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन द्वारा नहीं अपितु राज्य सरकार द्वारा ।

टर्की में भारत विरोधी प्रचार

*८२७. **श्री कासलीवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टर्की में पाकिस्तान भारत विरोधी प्रचार कर रहा है ; तथा

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) (क) तथा (ख). टर्की में पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार कभी कभी किया गया है । टर्की में भारतीय राजदूतालय ने इसके विरोध में प्रचार किया है जो कि साधारण रूप से कूटनीतिज्ञ मिशनों को खुले रूप से करने की छूट है । भारत के बारे में भ्रांतिजनक वक्तव्यों के विरोध में प्रेस द्वारा वक्तव्य जारी करके तथा समाचार पत्रों के सम्पादकों को ठीक सूचना देकर उनको सुधारा गया है । मैं यह कह सकता हूं कि टर्की की जनता एवं वहां के प्रेसों का भारत के साथ साधारणतया मित्रता का सम्बन्ध है और उन पर भारत विरोधी प्रचार का कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है ।

श्री कासलीवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि यह प्रचार अमरीका-पाकिस्तान-टर्की सैनिक संधि के लिये—यह जानते हुए भी कि भारत ऐसी संधि के विरुद्ध है—आधार तैयार करने के लिये किया गया था ?

श्री सादत अली खान : इस प्रकार की किसी बात का हमें कोई ज्ञान नहीं है कि इस प्रचार के पीछे उनका क्या उद्देश्य छिपा था ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह प्रोपेगैंडा जो कि टर्की में हुआ है, वह राजनैतिक आधार पर हुआ है या धार्मिक आधार पर किया गया है, धार्मिक भावना के संग है या राजनैतिक भावना के ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां तक हमें मालूम है, राजनैतिक आधार पर हुआ है, कभी कभी उसमें दूसरा इशारा हो, तो यकायक कहा नहीं जा सकता ।

श्री जी० पी० सिन्हा खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय शांति शांति ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार को मध्य-पूर्व के साधारणतः सभी देशों में होने वाले भारत विरोधी प्रचार के बारे में ज्ञान है, यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

श्री सादत अली खान : जी हां । सरकार को इस का ज्ञान है और साधारणतया हम इसका विरोध करते हैं तथा अपने मशन एवं उन देशों की जनता को वास्तविक तथ्य बताते हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : किस प्रकार ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सदन में कहीं भ्रांति न हो इस कारण मैं यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि जब वहां भारत विरोधी प्रचार है तो भी मध्य पूर्वीय देशों की विचार-धारा साधारणतया भारत के प्रति मित्रता-पूर्ण है ।

नमक का परिवहन भाड़ा

***८२८. श्री बीरबल सिंह**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई के नमक उत्पादक संघ ने केन्द्रीय सरकार से यह अपील की है कि तटवर्ती नगरों में नमक पहुंचाने का भाड़ा इतना कम कर देना चाहिये कि वह विश्व के भाड़ा-व्यय के समनुरूप हो जाय ;

(ख) क्या यह सत्य है कि नमक इस कारण महंगा पड़ता है क्योंकि इसे पहले स्टीमर द्वारा कलकत्ता भेजा जाता है और वहां से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम भेजा जाता है ; और

(ग) क्या संघ का यह सुझाव, कि यदि भाड़ा कम न किया जा सके तो नमक उत्पादकों को यह सुविधा दी जाये कि भारतीय या विदेशी जहाज कम्पनियों से माल ढुलवाने का वे स्वंयं प्रबन्ध करें, सरकार को मान्य होगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) भारतीय नमक निर्माता संघ बम्बई की ओर से इस प्रकार के अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) मुख्यतः यह तो संघ के लिये है कि वह भारतीय तटीय सम्मेलन से भाड़ा दर में कमी करने के लिये सामूहिक रूप से बात चीत करे । नमक व्यापार तथा भारतीय जहाजरानी के हित को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार यह उचित नहीं समझती कि वह जहाज से नमक भेजने वालों को किसी विदेशी अथवा भारतीय जहाजी कम्पनी से माल भेजने के लिये व्यक्तिगत समझौता करने की आज्ञा दे । संघ को भी इस स्थिति का विश्लेषण कर दिया गया था ।

श्री बीरबल सिंह : यदि सरकार परिवहन शुल्कों को घटाकर विश्व भाड़ा दरों

के स्तर पर कर दे तो उसको कितनी हानि होगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : किस स्तर पर ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वह यह कहना चाहते हैं कि परिवहन शुल्कों को घटाने से कितनी हानि होगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : रेल का भाड़ा ? श्रीमान्, रेल-परिवहन की कठिनाइयों के कारण नमक को समुद्र के मार्ग से भेजा जाता है। रेलों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वे सौराष्ट्र से कलकत्ता को नमक की यह सारी मात्रा भेजने के लिए आवश्यक संख्या में माल डिब्बे दे सकें ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या यह तथ्य है कि विदेशों को होने वाले हमारे नमक के निर्यात पर भाड़ा दरों का कुप्रभाव पड़ रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, मैं ऐसा नहीं समझता ।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में भाड़ा दर तथा विश्व भाड़ा दर क्या हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरे पास यहां आंकड़े नहीं हैं ।

कच्चा लोहा तथा मैंगनीज़

*८२९. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास बन्दरगाह से कच्चे लोहे तथा मैंगनीज़ का निर्यात होता है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो मद्रास बन्दरगाह से उनके निर्यात के लिये क्या क्या करना होता है ?

(ग) आजकल मद्रास राज्य में इन सामग्रियों की कुल मात्रा कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) निर्यात करने के लाइसेंस मुक्त रूप से दिये जाते हैं बशर्ते कि जहाजों से भेजने के लिये माल बन्दरगाह पर तैयार हो ।

(ग) वर्तमान मद्रास राज्य में कच्चे लोहे तथा मैंगनीज़ की खानें नहीं हैं । इस मास के आरम्भ में मैसूर तथा आंध्र राज्य से प्राप्त कच्चे लोहे तथा मैंगनीज़ की निम्नलिखित अनुमानित मात्रायें जहाजों द्वारा भेजे जाने के लिये तैयार थीं :

कच्चा लोहा	३१,२५७ टन
कच्चा मैंगनीज़ . .	१५,९९८ टन

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि मद्रास बन्दरगाह पर कलकत्ते के समान कोई पर्याप्त सुविधायें प्राप्य नहीं हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, खेद है कि इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि हमारे देश में यह कच्चा लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान्, यह तथ्य है ।

डा० सुरेश चन्द्र : कच्चा मैंगनीज़ तथा लोहा मुख्य रूप से किन देशों को निर्यात किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या केवल निर्यात पर निर्भर करने के बजाय कच्चे खनिज का भारत में ही उपयोग करने का कोई कार्यक्रम है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत में इसका उपयोग करने के लिये नहीं बल्कि उसको फेरो मैंगनीज़ के रूप में परिवर्तित करने के लिये एक कार्यक्रम है ।

फिल्म विभाग तथा प्रलेखीय चित्र

*८३०. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार का फिल्म विभाग कब खोला गया था ?

(ख) क्या सरकार अब तक देश की विभिन्न भाषाओं में बनाये गये प्रलेखीय चित्रों की संख्या सदन पटल पर रखेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) फिल्म विभाग को स्थापित करने की स्वीकृति जनवरी, १९४८ में दी गई थी ; प्रलेखीय चित्रों तथा समाचार चित्रों का नियमित रूप से वितरण जून, १९४९ में आरम्भ हुआ था ।

(ख) फरवरी १९५३ के अन्त तक फिल्म विभाग द्वारा प्रदर्शनार्थ जारी की गई फिल्मों की एक सूची, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त वे भाषायें भी दिखाई गई थीं जिनमें उक्त फिल्में बनी थीं, श्री बादशाह गुप्त द्वारा ६ मार्च, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४२३ के भाग (ख) के उत्तर में सदन पटल पर रखी गई थी । पहली मार्च १९५३ से नवम्बर १९५३ के अन्त तक प्रदर्शनार्थ जारी की गई फिल्मों की एक सूची अब सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]**

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन प्रलेखीय चित्रों को तयार करने में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करती है ?

डा० केसकर : नहीं, श्रीमान् । अधिकांश राज्य सरकारों के पास अपने फिल्म विभाग हैं अथवा प्रलेखीय चित्रों को बनाने के लिये वे अपने प्रबन्ध स्वयं करती हैं ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इनमें से कितने प्रलेखीय चित्र विदेशों में भेजे जा रहे हैं ?

डा० केसकर : मैं इसकी पूर्व सूचना चाहूंगा, परन्तु वैदेशिक कार्य मंत्रालय के द्वारा हम ऐसे काफी चित्र विदेशों में भेजते हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि इन प्रलेखीय चित्रों के विषयों के चुनाव में किस सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है ?

डा० केसकर : श्रीमान्, एकदम से यह बताना कि किन विभिन्न बातों को दृष्टि में रखा जाता है, मेरे लिये कठिन बात होगी । परन्तु दो मुख्य बातें यह हैं कि विषय रुचिकर और समझा जाने योग्य होना चाहिये और दूसरी बात यह कि वह सरकार द्वारा आरम्भ किये गये विभिन्न राष्ट्रीय तथा निर्माणकारी कार्यों को प्रभावशाली रूप में प्रदर्शित कर सके ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या यह तथ्य है कि सर्वोत्तम प्रलेखीय चित्र विदेशियों द्वारा बनाये गये थे न कि फिल्म विभाग द्वारा ?

डा० केसकर : श्रीमान्, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह अपने अपने मत का विषय है ।

"दि मार्च आफ इंडिया"

*८३१. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

का प्रकाशन विभाग कब से "दि मार्च आफ इंडिया" प्रकाशित कर रहा है ?

(ख) एक अंक की कितनी प्रतियां प्रकाशित की जाती हैं और उनका वितरण किस प्रकार होता है ?

(ग) क्या विदेशों में "दि मार्च आफ इंडिया" की बिक्री अच्छी है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जुलाई, १९४८ से ।

(ख)

	प्रतियां
प्रति अंक की प्रकाशित होने वाली प्रतियों की संख्या . . .	४३६८
भारत तथा विदेशों में बिकने वाली प्रतियों की संख्या . . .	३,६४८
नि:शुल्क वितरित की जाने वाली प्रतियों की संख्या	५१७

(ग) प्रत्येक अंक की लगभग २६०० प्रतियां विदेशों में बिकती हैं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस "मार्च आफ इंडिया" में सरकारी अधिकारियों को लेख लिखने की अनुज्ञा प्राप्त है ?

डा० केसकर : सरकारी अधिकारियों द्वारा लेख लिखे जाने के सम्बन्ध में इस विशेष पत्रिका के लिये विशेष नियम नहीं हैं । वे कुछ शर्तों के अधीन न केवल इसी पत्रिका में बल्कि अन्य गैर सरकारी पत्रिकाओं में भी लेख लिख सकते हैं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन सरकारी नौकरों को, जो इस पत्रिका में लेख लिखते हैं कुछ देती है ?

डा० केसकर : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री एस० एन० दास : "मार्च आफ इंडिया" समय की गति के साथ प्रगति क्यों नहीं कर रही है ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या इस पत्रिका के प्रकाशन का व्यय इसी से निकल आता है अथवा कोई घाटा होता है ?

डा० केसकर : इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य विदेशों को भारत की प्रगति दिखाना है; अत: मेरे विचार से यह पत्रिका वाणिज्यिक दृष्टिकोण से आत्म संतुलित नहीं कही जा सकती । लाभ और हानि का लेखा मैं सरसरी तौर पर नहीं दे सकता । मैं उसकी पूर्व सूचना चाहूंगा ।

यूरिया तथा अमोनियम नाइट्रेट के संयंत्र

***८३२. पंडित सी० एन० मालवीय** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने सिन्द्री में यूरिया तथा अमोनियम नाइट्रेट के संयंत्रों की स्थापना के लिये पांच विदेशी फर्मों से टेण्डर भेजने को कहा है ; तथा

(ख) यदि हां, तो (१) उन फर्मों के नाम क्या हैं और वे किन देशों की हैं, तथा (२) टेण्डर की शर्तें क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). हां । निम्नलिखित पांच फर्मों से टेण्डर भेजने के लिये कहा गया है :–

(१) सर्वश्री केमिकल कन्सट्रक्शन कारपोरेशन, न्यूयार्क–१, अमरीका ।

(२) सर्वश्री बाडीश एनीलाइन एण्ड सोडा फैब्रिक ए० जी०, लुडविगशाफन ए० रेन डिरेक्टिआन, पश्चिम जर्मनी ।

(३) सर्वश्री मांटकाटिनी, मीलां, इटली ।

(४) सर्वश्री फ्रीड्रिख अडे जी० एम० बी० एच०, डार्टमण्ड, पश्चिम जर्मनी ।

(५) सर्वश्री केलॉक एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क, अमरीका ।

टेण्डर आमंत्रित करने वाली सूचना की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४]**

पंडित सी० एन० मालवीय : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अभी तक कोई टेण्डर आये हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : नहीं, श्रीमान् । आशा की जाती है कि टेण्डर १५ फरवरी, १९५४ तक आजायेंगे ।

पंडित सी० एन० मालवीय : : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि केवल इन्हीं कम्पनियों को टेण्डर भेजने के लिये क्यों आमंत्रित किया गया है और दूसरों को क्यों नहीं ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, उस प्रविधिक मिशन ने, जिसने इस प्रश्न की जांच की थी, सारी चीज़ का अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद यह सिफारिश की थी कि इन्हीं पांच फर्मों को आमंत्रित किया जाये । यह उस मिशन की विशेष सिफारिश थी और सरकार ने इसको स्वीकार करके इसके अनुसार कार्य किया है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक इन संयंत्रों के स्थापित न होने से देश को कितनी हानि हुई है ?

श्री के० सी० रेड्डी: इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है ।

डा० सुरेश चन्द्र : उत्तर देना कठिन क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है ।

नमक

*८३३. **श्री नानादास :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१, १९५२ और १९५३ में आंध्र राज्य के इन लोगों ने कुल कितना नमक बनाया जिनके पास अनुज्ञप्तियां नहीं थीं ?

(ख) सरकार ने यह निश्चित करने के लिये क्या पग उठाये हैं, कि कारखानों के क्षेत्र से बाहर अनुज्ञप्तियों के बिना बनाया गया नमक सरकार द्वारा विहित स्तर के अनुसार हो ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) :

	मन
१९५१	७,७८,०००
१९५२	११,३५,०००
१९५३	१५,८२,०००
(अक्तूबर १९५३ तक)	

(ख) सरकार इस विषय पर सक्रिय विचार कर रही है ।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को नमक के अनुज्ञप्ति-धारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन आये हैं कि बिना अनुज्ञप्ति वालों द्वारा बनाया गया नमक अनुज्ञप्ति-धारियों द्वारा बानाये गये नमक का सख्त मुकाबला कर रहा है ?

श्री आर० जी० दुबे : हां, श्रीमान्, कई अभ्यावेदन मिले हैं ।

श्री नानादास : इस तथ्य का ध्यान रखते हुए कि नमक बनाने का मौसम बहुत पास आ रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार अनुज्ञप्ति रहित व्यक्तियों द्वारा बनाये गये नमक को विहित स्तर पर लाने के लिये शीघ्र क्या पग उठाने का विचार रखती है ?

श्री आर० जी० दुबे : जैसा मैंने कहा सरकार इस विषय पर ध्यान दे रही है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या नमक परामर्श-दात्री समिति ने भारत सरकार से यह सिफारिश की है कि वह नमक के बिना अनुज्ञप्ति के उत्पादन पर नियंत्रण करे और मैं यह भी जान सकती हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने का विचार रखती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : श्रीमान्, मैं इसका उत्तर अपने देश में नमक निर्माण की ओर निर्देश करते हुए देना चाहता हूं । गांधी इरविन समझौते और करार के कारण हमें नमक निर्माण के सम्बन्ध में एक विशेष नीति अपनानी पड़ी थी। तत्पश्चात भारत सरकार ने १९४७ में एक प्रेस वक्तव्य जारी किया जिसके अनुसार १० एकड़ तथा उस से कम क्षेत्रों में बिना किसी अनुज्ञप्ति के नमक का निर्माण संभव हो गया। परन्तु बाद में इस नीति के वास्तविक प्रवर्तन में कतिपय बुराइयां उत्पन्न हो गईं और भारत सरकार इस प्रश्न पर पूर्णतः विचार कर रही है। उन्होंने कई राज्य सरकारों के अभिमत मांगे हैं और कुछ राज्य सरकारों ने अपने मत बताये हैं हम अन्य राज्य सरकारों के अभिमतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । ज्यूंही वे मिलेंगे हम विषय पर पूर्णतः विचार करने की इच्छा रखते हैं और फिर आवश्यक पग उठायेंगे ।

घरों और दुकानों की अधिक बांट

*८३४. **श्री बी० सी० दास**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास मंत्रालय ने मई, १९५२ में ऐसे प्रार्थना-पत्र मंगवाये जिनमें घरों और दुकानों की अधिक बांट के मामलों का विवरण हो और उनके साथ २० रुपये के पोस्टल आर्डर हों ताकि यदि दी गई जानकारी गलत हो तो उन्हें जब्त कर लिया जाये ;

(ख) इन प्रार्थना पत्रों के मंगवाने का क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान टाईम्स आफ इंडिया (देहली संस्करण) दिनांक १८ नवम्बर, १९५३ के "किरायेदारों द्वारा पुनः किराये पर देने / प्रोत्साहन" शीर्षक अधीन प्रकाशित पत्र की ओर दिलाया गया है ; तथा

(घ) यदि उस पत्र में दिये गये अभिकथन सत्य हैं तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) देहली के पुनर्वास उप नगरों में बनाये गये घरों, भवनों और दुकानों के सम्बन्ध में ५३६ प्रार्थना-पत्र ।

(ग) जी हां ।

(घ) उस पत्र में दिये गये अभिकथन गलत हैं । ४७६ प्रार्थनापत्रों की जांच की जा चुकी है और बाकी ६० की जांच की जा रही है । जहां यह प्रमाणित हो गया है कि उप-भाटकी किराया देते रहे हैं, उन्हें कहा गया है कि वे किराया न दें जब तक कि उनका अधिकार विनियमित नहीं हो जाता। उप-भाटकियों से किराया केवल उन मामलों में मांगा गया है जहां यह प्रमाणित नहीं हुआ कि वे अलाटियों को किराया देते रहे हैं ।

श्री बी० सी० दास : मैं जान सकता हूं कि अपराधियों के विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री ए० पी० जैन : श्री मान्, मैं नहीं जानता कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है, प्रश्न कुछ अलाटियों के सम्बन्ध में था जिन्होंने

अपने घरों को पुन: किराया पर दिया जहां कि हमारा बांट से सम्बन्ध है ।

श्री बी० सी० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या वे उप-भाटकियों से उन द्वारा अधिकृत भाग के किराये की बजाये सारा किराया मांग रहे हैं ?

श्री ए० पी० : जी नहीं, जिन मामलों में यह सिद्ध है कि किसी भवन का भाग पुन: किराया पर दिया गया है, हम केवल उस भाग का किराया मांगते हैं जो किराये पर दिया गया है ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के संचालक तथा उप-संचालक

***८३५. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीन कितने विभाग हैं और उन में कितने संचालक तथा उप-संचालक लगाए गये हैं ; तथा

(ख) वर्तमान संचालकों में से कितने संघ लोक सेवा आयोग ने नियुक्त किये और कितनों ने पदोन्नति द्वारा इस पद को प्राप्त किया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख) सूचना देने वाला एक विवरण इस पटल पर रखा जाता है । **[देखें परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५]**

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान मैं जान सकता हूं कि १९४७ में कितने विदेशालय थे ?

डा० केसकर : श्रीमान विदेशालयों का इतिहास देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री नानादास : विवरण से पता चलता है कि दो संचालकों को न तो संघ लोक सेवा आयोग ने चुना और न ही उन्होंने पदोन्नति प्राप्त की । मैं जान सकता हूं कि वे किस प्रकार नियुक्त किए गए ?

डा० केसकर : कोई संचालक अथवा उपसंचालक अथवा अन्य अधिकारी जब तक संघलोक सेवा आयोग उसे पक्का न करे पद पर नहीं रह सकता । क्योंकि अखिल भारतीय रेडियो में भर्ती की प्रक्रिया भिन्न भिन्न रही है इसलिये जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती नहीं किया उन्हें तत्पश्चात अन्त में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर पक्का किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का घंटा समाप्त हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बी० बी० सी०

***८१४. श्री बी० एस० मूर्ति :**
श्री पुन्नूस :

(क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष में इंगलैंड के गत उच्च आयुक्त के कार्यालय के कितने कर्मचारियों ने बी० बी० सी० के प्रसारण कार्यक्रमों में भाग लिया ?

(ख) क्या वे भाषण जो उन्होंने बी० बी० सी० में दिये उच्च आयुक्त ने पहले देख लिये थे ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) ९ ।

(ख) जी हां, पदाधिकारियों को कुछ प्रसारित करने से पूर्व अनुज्ञप्ति लेनी पड़ती है और जब कभी संभव हो लेख को अनुज्ञप्ति देने से पूर्व देखा जाता है ।

छिल्के के घर

***८१५. श्री पुन्नूस** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान ट्रावनकोर-कोचीन राज्य में नारियल के

छिलकों से घर बनाने की नई खोज की सूचनाओं की ओर दिलाया गया है ?

(ख) क्या सरकार ने इस ढंग को अपना कर सस्ते घर बनाने की उपयुक्तता के सम्बन्ध में कोई जांच की है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां श्रीमान।

(ख) हां श्रीमान ।

इस्पात परियोजना

*८१६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **उत्पादन** मंत्री सरकार द्वारा प्रस्तावित इस्पात परियोजना को भारत में स्थापित करने के लिये जर्मन कम्बाइन क्रुप्स एण्ड डेमग से किये करार की प्रति सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : इस समय सरकार द्वारा हस्ताक्षरित करार की प्रति सदन पटल पर रखनी संभव नहीं क्योंकि उस के विवरणों पर कम्बाईन के साथ चर्चा हो रही है । तो भी यह विचार है कि ज्यों ही इस समय हो रही विस्तृत चर्चा पूर्ण होगी तो तुरन्त करार और सम्बन्धित पत्र सदन पटल पर रखे जायेंगे ।

चाय बोर्ड

*८२१. **श्री गोपाल राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ सितम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ११५२ के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान देंगे और बतायेंगे कि:

(क) क्या १९५३ के चाय अधिनियम के अधीन चाय बोर्ड बनाया गया है;

(ख) यदि नहीं तो इसे कब बनाने की आशा है ; तथा

(ग) विभिन्न हितों को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) श्रीमान अभी नहीं ।

(ख) आशा है कि यह शीघ्र बनाया जाएगा ।

(ग) इस विषय पर अभी विचार हो रहा है ।

विकास योजनायें

*८२३. **श्री हेडा** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या किसी भाग क या भाग ख राज्य ने कोई ऐसी विकास योजना आरम्भ की है जो पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है ?

(ख) किन राज्यों ने ये योजनायें आरम्भ की हैं और उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

(ग) क्या इन अतिरिक्त योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को कोई ऋण या सहायता मिल सकती है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है और एक विवरण यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) नहीं ; केन्द्रीय सरकार से केवल उन्हीं योजनाओं को सहायता मिल सकती है जो योजना में सम्मिलित हैं ।

कच्चे माल का वितरण

८२६. **श्री एन० पी० दामोदरन**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न उद्योगों में गन्धक, लोहे और इस्पात जैसे दुर्लभ कच्चे माल के

न्यायपूर्ण वितरण के लिये मंत्रालय के विकास विभाग ने कौन-से सक्रिय पग उठाये हैं ; और

(ख) उक्त जो पग उठाये गये हैं उनका क्या प्रभाव हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अधिक महत्व-पूर्ण औद्योगिक कच्चे माल में ढलवें लोहे, इस्पात और सीमेंट को अब भी "दुर्लभ कच्चा माल" कहा जा सकता है । एक विवरण जिस में समय समय पर उपलब्ध होने वाले सम्भरण के वितरण की वर्तमान प्रणाली दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६**]

(ख) इन पदार्थों के वितरण पर नियंत्रण रख कर सरकार इस बात की व्यवस्था कर सकी है कि विभिन्न उद्योगों को उन के महत्व के अनुसार इनका सम्भरण किया जाये और एक ही वर्ग के उद्योग के कारखानों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो ।

जिरेनियम का तेल

*८३६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के जिरेनियम के तेल का आयात किया गया ;

(ख) क्या यह सत्य है कि हमारे स्वदेशी उद्योगों में इस तेल की खपत सामान्य-तया बढ़ती जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या स्वदेशी जिरे-नियम के तेल के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस चीज का आयात व्यापारिक लेखे में अलग से नहीं दिखाया जाता ।

(ख) श्रीमान्, सामान्य प्रवृत्ति ऐसी ही प्रतीत होती है ।

(ग) मद्रास सरकार जिरेनियम के तेल के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है ।

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर

*८३७. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रतिकर देने की योजना से कितने विस्थापित व्यक्तियों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है ; और

(ख) कुल कितनी राशि बांटी जायेगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) (क) लगभग ५०,००० को ।

(ख) नकद भुगतान के लिये कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी अभी इसका कोई प्राक्कलन नहीं उपलब्ध है ।

कपड़े के निर्यात का लक्ष्य

*८३८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि इस देश से निर्यात किये जाने वाले कपड़े के लक्ष्य में बहुत बारीक, बारीक, बीच के और मोटे कपड़े की कितनी कितनी मात्रा होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : प्रत्येक प्रकार के कपड़े के लिये निर्यात के लक्ष्य अलग अलग नहीं निश्चित किये गये थे ।

ऊन

*८३९. **श्री कर्णी सिंहजी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रतिवर्ष ऊन का कितना उत्पादन होता है और कितनी खपत होती है ?

(ख) कुल वार्षिक खपत कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत में कच्ची ऊन के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु यह अनुमान लगाया गया है कि उत्पादन लगभग ५०० लाख पौंड प्रति वर्ष होगा और स्वदेशी ऊन की खपत लगभग २५० लाख पौंड प्रति वर्ष होगी ।

(ख) भारत में प्रतिवर्ष कुल ३५२·५ लाख पौंड ऊन की खपत का अनुमान लगाया गया है जिस में आयात की हुई ऊन, ऊन के टाप्स, वर्स्टेड धागे इत्यादि भी सम्मिलित हैं ।

भारतीय सहकारी संघ लिमिटेड

*८४०. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री १७ अप्रैल, १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९७ के उत्तर को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विशेष पदाधिकारी ने २४ लाख रुपये के ऋण के लेखे की परीक्षा कर ली है और यदि हां, तो क्या उक्त पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

(ख) विशेष पदाधिकारी ने क्या क्य॰ मुख्य परिणाम निकाले हैं ?

(ग) क्या सरकार उसकी रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखेगी ?

(घ) भारतीय सहकारी संघ लिमिटेड से २४ लाख रुपये का ऋण वसूल होने की कहां तक आशा है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) भारतीय सहकारी संघ लिमिटेड के ३० जून, १९५२ तक के सन्तुलन पत्र के सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक रिपोर्ट की, जिसे कि विशेष पदाधिकारी ने तैयार किया था, परीक्षा की जा रही है । २४ लाख रुपये के बाद के लेखे के सम्बन्ध में उसकी अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जब तक विशेष पदाधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट की परीक्षा नहीं कर ली जाती और कोई निश्चय नहीं कर लिया जाता इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि २४ लाख रुपये के ऋण के वसूल होने की कहां तक आशा है ।

पश्चिमी बंगाल की राष्ट्रीय विस्तार योजना

*८४१. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री एक ऐसा विवरण जिस में पश्चिमी बंगाल की राष्ट्रीय विस्तार योजना का ब्यौरा दिया हुआ हो सदन पटल पर रखने और यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में उस राज्य को कितनी राशि दी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : १९५३-५४ के लिये पश्चिमी बंगाल में छै राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकास खण्ड बनाये गये हैं । इन क्षेत्रों, कार्यक्रम और आय-व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलन के ब्यौरे की राज्य सरकार से प्राप्त होने की आशा है । धन उस के बाद दिया जायेगा ।

गोआ से दुर्लभ भू-खनिजों का निर्यात

३८२. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत से चौर्यानियन के पश्चात् गोआ से दुर्लभ भू-खनिजों का निर्यात किया जा रहा है ?

(ख) सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान् बहुत अधिक परिमाण में इन के चौर्यानयन की कोई गुंजाइश नहीं है।

उद्योगों का उत्पादन सामर्थ्य

३८३. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग, रेल और रक्षा मंत्रालयों ने निजी सार्थों के तीन प्रतिनिधियों के साथ मिल कर देश के उद्योगों के पूर्ण उत्पादन-सामर्थ्य के सम्बन्ध में सामग्री एकत्रित करने के लिये जांच आरम्भ कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने और किन किन उद्योगों का पर्यालोकन किया जा चुका है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) देश के इंजीनियरिंग उद्योग में इस समय कितना उत्पादन-सामर्थ्य बेकार पड़ा है इस का प्रारम्भिक पर्यालोकन करने के लिये एक समिति बनाई गई है जिस में वाणिज्य तथा उद्योग, रेल और रक्षा मंत्रालयों के तीन प्रतिनिधि हैं और उद्योगों के चार गैर सरकारी प्रतिनिधि हैं।

(ख) आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के लिये समिति ने इस समय पांच मंडलियां बनाई हैं अर्थात्, निम्न-लिखित के लिये–

(१) निर्माण उद्योग ;

(२) मशीनी औजार उद्योग ;

(३) कपड़ा मशीनरी उद्योग (पटसन, रेशम और कृत्रिम रेशम सहित) ;

(४) ढलाई उद्योग, और

(५) डाई बनाने का उद्योग।

इन मंडलियों के काम में प्रगति हो रही है।

हड्डियां (निर्यात)

३८४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में अब तक भारत से कितनी और कितने मूल्य की हड्डियों का निर्यात किया गया ;

(ख) किन किन देशों को हड्डियों का निर्यात किया गया ;

(ग) क्या हड्डियों के बने सामान का आयात भारत में होता है ;

(घ) यदि हां, तो १९५३ में अब तक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के ऐसे सामान का आयात किया गया; और

(ङ) किन किन देशों से ऐसे सामान का आयात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). कच्ची हड्डियों तथा हड्डी के टुकड़ों का निर्यात नहीं हो सकता। केवल हड्डी के चूरे तथा पिसी हुई हड्डी का निर्यात हो सकता है। चालू वर्ष में (जनवरी-सितम्बर इनका निर्यात दिखाने वाला देशानुसार एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७**]

(ग) कुछ नहीं।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

इमारती लकड़ी (निर्यात)

३८५. **श्री ब्रह्म चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३ में आसाम से पूर्वी पाकिस्तान को इमारती लकड़ी की कुल कितनी मात्रा निर्यात की गई ; तथा

(ख) ये निर्यात कितने मूल्य के थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८]

धोतियों का उत्पादन

३८६. { **श्री एच० जी० वैष्णव :**
श्री किरोलिकर :

(क) क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५३ में मिलों को ६० प्रतिशत से अधिक धोतियां उत्पादित न करने का जो सरकारी आदेश दिया गया था, उसका कितना कपड़ा मिलों ने उल्लंघन किया है और अपने कोटा से अधिक धोतियां उत्पादित की हैं ?

(ख) अक्टूबर १९५३ के अंत तक इन मिलों ने कितनी अधिक मात्रा उत्पादित की थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) फरवरी-अक्टूबर १९५३ के काल में--१७३ मिलें जिसमें से १११ मिलों ने स्वल्प मात्रा में ही धोतियों का अधिक उत्पादन किया है ।

(ख) २१,९४५ गांठें जिसमें स्वल्प मात्रा में अधिक उत्पादन करने वाली इकाइयों का अतिरिक्त उत्पादन सम्मिलित है ।

बृहस्पतिवार,
१० दिसंबर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृतान्त

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १० दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२-३० म० प०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

टिटेनियम डाइआक्साइड उद्योग सम्बन्धी प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : तटकर आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रतिलिपि पटल पर रखता हूं :—

(१) टिटेनियम डाइआक्साइड उद्योग पर तटकर आयोग का प्रतिवेदन, १९५३ (शुद्धि-पत्र तथा संशोधित परिशिष्ट ४ के सहित);

(२) दिनांक १२ नवम्बर १९५३ के के पत्र संख्या टी० सी०/आई० डी०/ई/८९ में दिया हुआ अंतिम प्रतिवेदन जो टिटेनियम डाइआक्साइड उद्योग पर तटकर आयोग के प्रति १९५३, में कुछ संशोधन निगमित करता है।

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ८(१०)—टी० बी० ५२ दिनांक ९ दिसम्बर, १९५३। [**पुस्तकालय में रखा गया—देखिये संख्या एस—२०१/५३.**]

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने के एक विधेयक को, पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने के एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

छावनी (संशोधन) विधेयक—समाप्त

अध्यक्ष महोदय : अब सदन छावनी अधिनियम, १९२४ में अग्रेतर संशोधन करने

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[अध्यक्ष महोदय]

के विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा जिसे कल श्री सुरजीत सिंह मजीठिया ने प्रस्तुत किया था ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

सठ गोविंद दास (मंडला जबलपुर—दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बात सभी लोग जानते हैं कि मैं वर्तमान सरकार का बहुत बड़ा समर्थक हूं । इसलिए जब मैं इस प्रकार का विधेयक देखता हूं कि जिस प्रकार का यह विधेयक यहां पर उपस्थित किया गया है, तब मुझे और अधिक दुःख होता है । लगभग तीस वर्षों से मैं केन्द्रीय धारा सभाओं का सदस्य रहा हूं और यह विधेयक देख कर मुझे, जिस समय हम लोग परतंत्र थे उस समय का, स्मरण हो आता है । उस समय इस बात का निरन्तर प्रयत्न किया जाता था कि छावनियों को अन्य स्थानों से सवथा अलग रखा जाय और उस सरकार का इस में बहुत बड़ा स्वार्थ था । वह सरकार अपना राज्य इस देश में इस देश के निवासियों की इच्छा के विरुद्ध कायम रखना चाहती थी । वह राज्य केवल जबरदस्ती से कायम रह सकता था और फौज और पुलिस दो ऐसी शक्तियां थीं कि जो उस राज्य को इस देश के निवासियों की इच्छा के विरुद्ध कायम रखने में उस समय की सरकार को हर प्रकार की पूरी पूरी सहायतायें देती थीं । लेकिन अब समय बदल गया है और समय बदले भी थोड़ा समय नहीं बीता है । छठवां बरस हमारे स्वराज्य को है और ६ वर्ष के बाद छावनियों के सम्बन्ध में इस प्रकार का विधेयक हमारी प्रजातंत्रात्मक राष्ट्रीय सरकार इस भवन में उपस्थित करेगी इस की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था ।

इस विधेयक को जब मैं ने पढ़ा तब मुझे इस देश की एक कहावत का स्मरण हो आया कि गधे को आप कितना ही धोइये वह घोड़ा नहीं बन सकता । जहां तक यह विधेयक ह वहां तक यही स्थिति है । इस में कोई सुधार नहीं किया जा सकता । इतने पर भी श्री गाडगील साहब ने, कि जो केंटोनमेंट बोर्ड के बहुत वर्षों तक सभापति रहे, इसे धोने का प्रयत्न किया । चूंकि मैं भी एक ऐसे स्थान से आता हूं कि जो बहुत बड़ी छावनी है, जबलपुर, इसलिए मैं ने भी इस सम्बन्ध में उन का साथ दिया और इस विधेयक पर कुछ सुधार भेजे । परन्तु मुझे बहुत दुःख है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय उन सुधारों को मंजूर नहीं कर सके । जब मैं ने देखा कि हमारी सरकार ही उन सुधारों को स्वीकार नहीं करती तो फिर मैं ने यह उचित नहीं समझा कि उन सुधारों को मैं यहां पर भेजूं ।

इस विधेयक की तयारी के पहले जो स्थिति थी उस ओर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए । जब यह विधेयक यहां पर लाया गया उस समय हमारी इन छावनियों को प्रजातांत्रिक छावनियां बनाया जाय इस पर बहुत आन्दोलन चल रहा था । यह आंदोलन स्वराज्य स्थापित होने के बाद चला यह नहीं, स्वराज्य स्थापित होने के पहले ही चल रहा था और वह आन्दोलन स्वराज्य स्थापित होने के बाद भी चलता रहा । तब छावनियों के कानूनों में कुछ परिवर्तन करने के लिए सरकार का विचार हुआ । एक कमेटी बनाई गई । उस कमेटी को बने तीन वर्ष से अधिक का समय बीत गया । अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इन तीन वर्षों में उस कमेटी के सदस्य किस किस छावनी में गये, किस किस से उन्हों ने इस विधेयक के सम्बन्ध में सलाह ली ? जो सरकार प्रजातांत्रिक सरकार है उस सरकार का काम तब तक चल

नहीं सकता जब तक कि इस देश की प्रजा की राय से सब काम न किया जाय। मैं आप से, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है वहां तक यह कमेटी किसी छावनी में नहीं गई। किसी की राय इस पर नहीं ली गई और दिल्ली में तीन वर्ष के बाद यह विधेयक उपस्थित किया गया जो इस दूसरी कहावत को चरितार्थ करता है कि पहाड़ खोदने के बाद एक छोटी सी चुहिया उस में से निकली। यहां पर भी इस विधेयक के सम्बन्ध में यथार्थ में कुछ नहीं हुआ। तीन वर्षों में शायद इस पर दो चार घंटे से अधिक विचार नहीं किया गया होगा। थोड़ा बहुत विचार कर के एक इस तरह की चीज़ हमारे सामने आ गई कि जिस के संबंध में मैं ने अभी आप से कहा कि गधे को चाहे कितना ही धोया जाय वह घोड़ा नहीं बन सकता। जो केंटोनमेंट बोर्ड इतने वर्षों से इस देश में काम करता था और अभी भी काम कर रहा है उस केंटोनमेंट बोर्ड ने इस सम्बन्ध में लम्बी लम्बी सिफारिशें भेजीं और मेरे पास उन में से कुछ मौजूद हैं। लेकिन उन पर भी कोई विचार नहीं हुआ। मालूम होता है वे सब भी यहां पर रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई।

हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। इस देश के सारे शासन को हम प्रजातंत्र के आधार पर चलाना चाहते हैं। मैं अभी तमाम दुनिया को देख कर आया हूं। तमाम दुनिया इस बात को देख रही है कि हमारे देश में प्रजातंत्र किस प्रकार से चलता है क्योंकि प्रजातंत्र का इतना बड़ा प्रयोग कि जितना बड़ा हमारे देश में हो रहा है आज तक दुनिया में मानव इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। उस प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले छावनियों में किसी प्रकार का प्रजातंत्र न रहे इस के समर्थक कैसे हो सकते हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि जहां तक फौज का मामला है वहां तक पूरा प्रजातंत्र फौजी कामों में लागू नहीं किया जा सकता। फौजी बस्तियों में आप पूरा प्रजातंत्र लागू न कीजिये परन्तु फौजी बस्तियों के सिवा छावनियों में दूसरी बस्तियां भी हैं। उन बस्तियों का जहां तक सम्बन्ध है वहां आप प्रजातंत्र को लागू न करें इस के लिये आप को क्या बहाना हो सकता है यह मेरी समझ में नहीं आता। यदि आप प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि जहां तक फौजी बस्तियों को छोड़कर बाकी बस्तियों का सवाल है वहां तक आप को प्रजातंत्र को पूरा लागू करना चाहिए। जो बाज़ार कमेटियां बनाने के बारे में प्रस्ताव आ चुके हैं उन पर आप को विचार करना चाहिये और उन बाज़ार कमेटियों को आप को पूरे पूरे अधिकार देने चाहिएं।

फिर हम ज़मीन के सवाल को लें। ऐसी छावनियों में बहुत सी ज़मीन ऐसी है कि जो फौज के काम में नहीं आती। जो ज़मीन वहां पर है वह या तो वहां के जो दूसरे निवासी है उन के बंगलों और मकानों के काम आती है या खेती के काम आती है। अब जहां तक इन बंगलों का संबंध है मैं आप को जबलपुर का दृष्टान्त देता हूं। जबलपुर एक बड़ी छावनी है। वहां पर इन बंगले वालों के पास बहुत बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े हैं। वहां के निवासी, आजकल चूंकि मकानों की बहुत कमी है, वहां उस ज़मीन पर मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन उन को मकान बनाने की इजाज़त नहीं मिलती। यह कहा जाता है कि बस्ती घनी हो जायगी और अगर वहां मकान बनेंगे तो जो ज़मीन है उस के बहुत टुकड़े हो जायेंगे। जब कि हमारे देश में ज़मीन की इतनी कमी है और मकान इतने थोड़े हैं तो इस प्रकार के प्रतिबन्ध हट जाने चाहिये। जिन छावनियों में ऐसी ज़मीन मौजूद है कि जहां पर बंगले बनाय जा सकते

[सेठ गोविंद दास]

है, वहां पर दूसरे बंगले बनाने की इजाजत होनी चाहिये ।

उसी के साथ खेती की ज़मीन के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि वह ज़मीन वहां पर किसानों को केवल पट्टे पर, लीज पर, दी जाती है । वहां के किसानों के लिये जो वह ठेके का समय होता है वह इतना कम समय रहता है कि वे लोग अपनी खेती वहां पर भली भांति नहीं कर सकते । जबलपुर में तो चार वर्ष के समय के लिये ज़मीन दी जाती है । जिन लोगों का थोड़ा सा भी खेती का परिचाय है वे मुझ से सहमत होंगे कि चार वर्ष का इतना थोड़ा समय है कि कोई भी किसान अपनी खेती की उन्नति नहीं कर सकता । इसीलिये हम देखते हैं कि जहां पर छावनियों में खेती होती है वहां की फ़सल बहुत कमज़ोर होती है । एक तरफ़ तो हम उत्पादन बढ़ाने की बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं दूसरी ओर इस प्रकार की चीज़ों में हम कोई सुधार नहीं करते । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छावनियों में जो ज़मीन खेती के लायक है और जो वहां पर ठेके पर दी जाती है वह कम से कम १५ वर्ष के लिए ठेके पर दी जानी चाहिये, । इस से कम समय के लिये कोई ज़मीन किसान को ठेके पर दी जाती है तो वह उस में अधिक उत्पादन नहीं कर सकता ।

फिर हम सब जगह से मालगुज़ारी हटा रहे हैं; ज़मींदारी हटा रहे हैं । जो लोग खेती करते हैं हम उन्हीं के कब्ज़े में वह ज़मीन रखना चाहते हैं । लेकिन जहां तक छावनियों की खेती की ज़मीन का सम्बन्ध है, सरकार वहां की सब से बड़ी मालगुज़ार, ताल्लुक़ेदार बनी हुई है और न जाने क्या क्या बनी हुई है । तो जब कि हम मालगुज़ारी, ताल्लुक़ेदारी और ज़मींदारी, इन सब का अन्त करना चाहते है तो उस समय छावनियों की ज़मीनों पर सरकार एक मालगुज़ार के रूप में बैठी रहे और वहां के किसानों को ज़मीन पर कोई अधिकार न मिले, यह एक अनुचित बात है ।

इस विधेयक से जो लोग छावनियों में रहते हैं, उन का किसी प्रकार का भी संतोष होने वाला नहीं है । आज तक इन छावनियों के सम्बन्ध में हमारा स्वराज्य होने से पहले से जो मांग सरकार से की गई और अब भी की जा रही है, वह वैसों की वैसी ही पड़ी हुई है । फिर इस विधेयक में कोई सुधार भी नहीं किया जा सकता । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बात की दरख्वास्त करूंगा और बहुत ज़ोर दे कर इस बात को कहूंगा कि वे छावनियों के सम्बन्ध में एक विस्तृत विधेयक यहां पर उपस्थित करें । उस विस्तृत विधेयक को पेश करने के पहले छावनियों में जा कर वहां के लोगों की राय, केंटोनमेंट बोर्ड के लोगों की राय, लें । उन सब के ऊपर पूरा विचार कर वह नया विधेयक लावें । जहां तक छावनियों के निवासियों के अधिकारों का सम्बन्ध है उस के विषय में कोई भी प्रजातांत्रिक रूप से चलने वाली सरकार के द्वारा इस प्रकार के विधेयक के लाने से उन में असन्तोष ही बढ़ेगा ।

मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी सरकार छावनियों के सम्बन्ध में एक विस्तृत विधेयक यहां पर लावेगी और उस के लाने से पहले केंटोनमेंट बोर्ड और छावनी के लोगों से विचार कर के लावेगी । इन सब बातों को देखते हुए तीन वर्ष के बाद यहां पर जिस प्रकार का विधेयक उपस्थित किया गया है इस विधेयक का समर्थन किसी प्रकार भी हम नहीं कर सकते । लेकिन चूंकि अब यह हमारी सरकार के द्वारा लाया गया है, इसलिये मैं इस का विरोध भी नहीं कर सकता इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो प्रजातंत्र में विश्वास करता ह, वह इस

तरह के विधेयक का, जिस में छावनियों के अफसरों के अधिकार और अधिक कर दिए गये हैं, कदापि स्वागत नहीं कर सकता और न समर्थन कर सकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : छावनी सम्बन्धी केन्द्रीय समिति के प्रतिवेदन के फलस्वरूप यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । किन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि तीन वर्ष के पश्चात् समति ने अपना प्रतिवेदन दिया जिस के आधार पर एक नया विधेयक इस सदन में रखा गया है जिस का उद्देश्य जनकल्याणकारी राज्य बनाना है—गणराज्य संविधान के आधार पर जनकल्याणकारी राज्य बनाना है और हम देखते हैं कि प्रायः उन व्यक्तियों को बहुत से अधिकार दिये गये हैं जोकि जनता से बहुत दूर रहते हैं—उन्हीं सैनिक कर्मचारियों के हाथ में बहुत से अधिकार दिये गये ह जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा भी बहुत से अधिकार दिये गये थे और जिन के कारण वे जनता से दूर रहते थे, किन्तु प्रजातंत्र के इस युग में हम आज यह सहन नहीं कर सकते ।

दूसरी विचित्र बात यह है कि इस समिति में अधिकतर शासकीय सदस्य हैं । मैं यहां यह बता देना चाहती हूं कि सैनिक क्षेत्रों तथा छावनी सेवाओं के पदाधिकारियों ने प्रारम्भ से ही इस छावनी अधिनियम को बदलने अथवा संशोधन करने के प्रत्येक प्रयत्न का ज़ोरदार शब्दों में विरोध किया, सैनिक क्षेत्र तथा छावनी सेवा संघ के अधीन एक पुस्तिका निकली है, जिस संघ के संचालक वास्तव में छावनी समिति के सचिव के नाते काम कर रहे थे । इस पुस्तिका में उन्होंने कुछ सुझाव रखे हैं (१) निर्वाचित सदस्यों की संख्या ४७ प्रतिशत से घटाकर २५ प्रतिशत कर दी जाय ; (२) निर्वाचित सदस्यों की बाज़ार समिति समाप्त कर दी जाय और उस के स्थान पर सरकारी स्थायी समिति बना दी जाय; (३) उन की मांग है कि कार्यपालिका पदाधिकारी सचिव होने के साथ साथ बोर्ड का सदस्य भी हो । प्रतवेदन की सिफारिशों के लिए प्रभारी व्यक्तियों का यह वही नौकरशाही तरीक़ा है । ये ही बातें पूरे प्रतिवेदन में भरी पड़ी हैं । छावनी बोर्डों के सुप्रबन्ध और अनुशासन के नाम पर सैनिक पदाधिकारियों को बहुत शक्तियां दी जा रही हैं, योजना की बात हो या छावनी बोर्ड की, हमारे माननीय मित्र सदैव प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, परन्तु क्या यही प्रजातंत्र है ? पुरानी साम्राज्यशाही वाली व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के स्थान पर सैनिक अधिकारियों को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिये जा रहे हैं। सभापति को निर्वाचित न बना कर आप पुरानी नीति ही अपना रहे हैं और मुअत्तली और विटो की शक्तियां भी सरकार को दी जा रही हैं । आप कहते हैं कि जनता के सम्पर्क में आने पर सेना का अनुशासन बिगड़ जायगा । क्या सेना में ही अनुशासन बनाये रखना तथाकथित राष्ट्रीय हितों के लिए पर्याप्त न होगा ? छावनियों के सैनिक पदाधिकारियों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करना—पुस्तकालय, विद्यालयों, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था करना कमान्डरों के हाथ में है और उस की पूर्ति सैनिक आय-व्ययक से की जाती है, पर छावनी के साथ बसने वाली जनता के लिए न जल की व्यवस्था होती है न विद्यालयों की । अखिल भारतीय छावनी संघ द्वारा भेजे गये ज्ञापन से पता चलता है कि १९२४ से एक भी छावनी बोर्ड अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा नहीं दे सका है । किसी भी बोर्ड का शिक्षा सम्बन्धी व्यय १० प्रतिशत भी नहीं बढ़ा है; न किसी बोर्ड ने कोई बड़ी गृह-निर्माण व्यवस्था अपनाई है । उन के पास ही रहने वाले सैनिक अधिकारियों को सर्व प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जनता की सेवा जनता के लिए ही कुछ कर के

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

हो सकती है । समय आ गया है कि बोर्डों के सदस्य निर्वाचित हों और उन्हें पूरी शक्तियां मिलें । मैं नहीं समझती कि जनता के सम्पर्क में आने से जन प्रतिनिधियों के नियंत्रण में रहने से सैनिक अधिकारियों का स्वास्थ्य तथा अनुशासन किस प्रकार बिगड़ जायगा ?

दूसरी बात मुझे सैनिक एस्टेट पदाधिकरियों के विषय में कहनी है । भवन-निर्माण के आवेदन स्वीकृत करना इन के ही हाथ में रहा है । धारा १८१ (३) को उड़ा कर हमें यह समाप्त कर देना चाहिए । फिर बोर्ड से कुछ अधिकार कार्यपालक अधिकारियों को प्रदान किये जा रहे हैं । इन अधिकारियों के निष्पक्ष और योग्य होने के लिये यह अत्यावश्यक है कि इन का चुनाव लोक सेवा आयोगों द्वारा किया जाय । खंड ५ जैसे प्रतिक्रियावादी प्रस्ताव को भी निकाल देना चाहिये ।

बोर्ड के कर्तव्य प्रवर्तन योग्य हों, उसे स्वविवेक की शक्ति दी जाय और बड़े बड़े नालों या बिजली संस्थापनों आदि के निर्माण का काम कार्यकारी पदाधिकारियों से छोड़ कर बोर्ड को देना चाहिए । पूर्ववक्ता ने छावनियों की जमीन के प्रश्न को बड़ी योग्यता से निपटाया है । जमीन किसानों को ही मिलनी चाहिए और देशव्यापी भूमि सुधारों की दृष्टि में बोर्डों को अपवाद नहीं बनाया जा सकता ।

नगर विकास और सुधार के विषय में मुझे एक बात और कहनी है और वह यह कि छावनी बोर्डों की नागरिक बस्तियों के बाज़ारों की दशा बहुत गिरी हुई है । अधिक बढ़ोतरी को रोकने के आधार पर नये मकानों के निर्माण को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया गया । सैनिक पदाधिकारी सब कुछ अपने लिए चाहते हैं जनता के लिए नहीं । हमें इस भावना का विरोध करना है और इस विधेयक में भी वैसी बातें आ जाने के कारण सदन में दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने इस का घोर विरोध किया है ।

एस्टेट पदाधिकारियों को मिली हुई पुलिस जैसी शक्तियों को जैसे कि मद्य विक्रय का समय स्थान निश्चित करना किसी व्यक्ति को छावनी क्षेत्र से बाहर निकाल देना आदि छीनना होगा । पश्चिमी बंगाल में बारकपुर छावनी के बाजार में किसी भी व्यक्ति को निकाला जा सकता है जब कि फोर्ट विलियम निवासियों के विषय में यह बात नहीं है । अनुशासन के नाम पर इन सब बातों का समर्थन किया जा रहा है । पर सेना को भी नागरिक अधिकारियों के नीचे काम करना होगा । ये नागरिक अधिकार उसे नहीं दिये जा सकते ।

अन्त में मुझे यह कहना है कि ऊपर वाले पदों पर अधिक व्यय कम से कम ५० प्रतिशत कम करना होगा । अंग्रेजों ने जो थोड़े से भी चुने हुए व्यक्तियों से डरते थे, ये व्यवस्था अपने हितों के लिये की थी और इसी लिये ऊपर वाले पदों पर ये व्यय बढ़ा रखे थे । अब युग बदल गया है और हम जनकल्याण-राष्ट्र का दावा करते हैं । अतएव हमें निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को स्थानीय स्वायत्त शासन के पूरे पूरे अधिकार देने चाहियें केवल सैनिक अधिकारियों को ही नहीं । प्रजातन्त्र से सेना को कोई हानि नहीं होती और उसी दृष्टि से हमें यह नया विधेयक बनाना चाहिये और नौकरशाही की भावना को तिलांजली दे देनी चाहिये ।

श्रीमती सचेता कृपालानी (नई दिल्ली): अंग्रेजी शासन काल में कांग्रेसी सदस्यों ने ही और इसी सदन में ही छावनियों में रहने वाली जनता को न मिलने वाली सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाई थी और यह सुधार की मांग वर्षों से चली आ रही है । फलतः लगभग पांच

वर्ष पहले स्वायत्त शासन मंत्रियों के एक सम्मेलन में एक केन्द्रीय समिति नियुक्त हुई; और उस समिति में रूढ़ीवादी भरे हुए थे और उसके निर्देश पद सीमित थे इस कारण उसके द्वारा सुझाये गये सुधार ऊपरी सुधार मात्र हैं। यह विधेयक उन्हीं सिफारिशों पर आधारित है। लक्ष्य और कारण के विवरण से पता चलता है कि यह छावनी प्रशासन व चुनाव प्रणाली में आधुनिक दृष्टि से सुधार करना चाहता है और साम्प्रदायिक संरक्षण हटाना चाहता है। इसके इलावा और भी अन्य अच्छी बातें हैं जिसके कारण मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहती हूं।

पर जसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह सुधार बिल्कुल ऊपरी है और कुछ तो प्रतिज्ञावादी भी हैं। समिति के वे सुझाव भी नहीं माने गये हैं जो नागरिक जनता को कुछ लाभ देने वाले थे। इस सुधार का अर्थ तो यह था कि असमानतांए दूर की जातीं और सभी नागरिकों को समान सुविधाएं दिलायी जातीं पर विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है।

छावनियां सेनाओं के अस्थायी निवास स्थानों के रूप में शुरू हुई थीं पर आज वे उप-नगर बन गये हैं और उनका नागरिक प्रशासन नौकरशाही प्रणाली पर आधारित है। अंग्रेज सेना को नागरिक जनता से अलग रखना चाहते थे और छावनी प्रशासन रक्षा विभाग द्वारा संचालित होने के कारण सब सुविधाएं सैनिक पदाधिकारियों को ही देना चाहते थे। वे स्वच्छता तो चाहते ही थे पर साथ ही राजनीतिक छूत को वहां न फटकने देना चाहते थे अतः सब नियम सेना को नागरिकों से अलग रखने के लिये बनाये गये थे। आज स्थिति बदल गई है और देश छावनी प्रशासन में सुधार की मांग करता है। मैं नहीं चाहती कि सेना में अनुशासन बिगड़े और वह राजनीति में भाग ले परन्तु वहां की नागरिक जनता को नागरिक सुविधाएं प्रदान करनी ही होगीं। केन्द्रीय समिति ने इन बोर्डों को तीन श्रेणियों में बांटा है (१) आवश्यकता से अधिक जमीन रखने वाली छावनियों में स्वतन्त्र स्थानीय सभाएं बनायी जायं; (२) अन्य छोटी छोटी छावनियां निकटवर्ती नगरपालिकाओं में मिला दी जायं; (३) सब से छोटी छावनियों को यथापूर्व छोड़ दिया जाय। समिति के ये सुझाव भी विधेयक में नहीं लिये गये हैं।

बोर्डों के सैनिक सभापतियों के विषय में कल जो बातें कहीं गई थीं वह मैं न कहूंगी परन्तु कम से कम अन्य काम रहने से वह बोर्डों की ओर विशेष ध्यान नहीं दे सकेगें। इसी से वे नागरिक जनताओं की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दे पाते। नई दिल्ली छावनी क्षेत्र में छावनी के गांव तक एक छोटी कच्ची सड़क थी। उस पर सीमेंट की दो लाइनें बिछा दी गईं जिससे मोटरें चल सकें पर जनता को इससे कोई लाभ न हुआ, सभी छावनियों की यह हालतें हैं। अ० भा० छावनी संघ ने अपने ज्ञापन में देश की छावनियों की इस दुर्दशा पर विस्तृत प्रकाश डाला है। उससे पता चलता है कि ये बोर्ड केवल सैनिक पदाधिकारियों को ही सभी नागरिक सुविधाएं देने का ध्यान रखते हैं न कि नागरिक जनता को। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने उन बातों पर प्रकाश डाला है। इनसे पता चलता है कि नागरिक सुविधाओं पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता।

मैं दिल्ली छावनी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूं जो कि मेरे चुनाव क्षेत्र में है। दिल्ली छावनी में ३०,००० नागरिक रहते हैं जिन्हें बहुत सी शिकायतें हैं। उन में से सब से बड़ी शिकायत यह है कि वहां पिछले ८ वर्ष से चुनाव ही नहीं कराए गए। वहां के लोगों की मांग है कि वयस्क मताधिकार के आधार

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

पर नई मतदाता सूचियां बनाई जायं। दिल्ली छावनी के निवासियों को तीन प्रकारके कर—पानी कर, मकान कर और सफाई कर—देने पड़ते हैं, और ये कर लगाए भी बड़े अजीब ढंग से जाते हैं। जिन घरों में पानी का नल नहीं है, उन्हें भी पानी कर देना पड़ता है। १५रु० मासिक किराए के मकान वालों को डेढ़ रुपया सफाई कर देना पड़ता है। किसी घर में दो परिवार रहते हों तो प्रत्येक परिवार को डेढ़ रुपया मासिक देना पड़ता है ये छावनी बोर्ड लाइसेंस आदि भी अपने लोगों को ही देते हैं।

इस के बाद भूमि का ही प्रश्न लीजिये। छावनियां अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक भूमि अपने लिये सुरक्षित रखती हैं। दिल्ली में लोगों की भूमि सैनिक आवश्यकताओं के लिये ले ली जाती है, वह सैनिक कामों में नहीं आती, तब भी वह उन लोगों को पट्टे पर नहीं दी जाती। दिल्ली छावनी में भूमि रोहतक और हिसार के लोगों को पट्टे पर दे दी जाती है। यह सब इस लिये होती है कि इन बोर्डों में जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं और इस कारण लोगों की मांगें और शिकायतें बोर्ड के सामने नहीं रखी जातीं।

दिल्ली छावनी में मकान ऐसे लोगों को किराए पर दे दिये जाते हैं जिन के अपने मकान भी हैं। वे अपने मकान "पगड़ी" लेकर किराए पर दे देते हैं। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के असंख्य उदाहरण हैं।

छावनी बोर्डों के सदस्यों के अधिकार भी बहुत अधिक हैं, छावनी बोर्ड का सदस्य मैजिस्ट्रेट होता है, और इन अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। दिल्ली छावनी में दूध बेचने वालों को ७५० लाइसेंस दिए गए हैं। बोर्ड के एक सदस्य ने एक डेरी खोल रखी है और दूध बेचने वालों को तंग करना शुरू किया है। वह एक व्यक्ति पर नाराज़ हुआ और पिछले वर्ष में अकेले उस व्यक्ति के ११ चालान किये गये।

देवलाली कैम्प की कांग्रेस कमेटी के मंत्री ने खंड २३ के सम्बन्ध में यह राय प्रकट की है:

"प्रस्तावित संशोधन बहुत आपत्तिजनक तथा कानून के विरुद्ध है। बोर्ड तथा कार्यपालक अधिकार को छावनी क्षेत्रों में स्थित सम्पत्ति की कुर्की के वारंट जारी करने का अधिकार है। जहां तक मकानों तथा भूमि के किराए की वसूली का सम्बन्ध है, केवल दीवानी न्यायालयों को इस सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार है। यह नहीं हो सकता कि बोर्ड मकान या भूमि पट्टे पर दे और फिर तत्सम्बन्धी झगड़े का निपटाने वाला न्यायाधीश भी हो"।

कल श्री बंसल ने कहा था कि छावनियों में रहने वाले लोग राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं ले सकते क्योंकि छावनी बोर्ड का सभापति जब चाहे उन्हें निकाल सकता है। नई दिल्ली में रहने वाले लोगों को राजनीति में भाग लेने के पूरे अधिकार हैं परन्तु कुछ मील दूर रहने वाले लोगों को नहीं। यह बड़ी बेहूदा बात है तो आप हम से यह आशा कैसे कर सकते हैं कि हम असमानता को स्थायी बनाने वाले इस विधेयक को मान लें? इसी लिए कांग्रेस दल के प्रमुख सदस्यों ने भी इस विधेयक का विरोध किया है।

हम सेना को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते परन्तु जब छावनियां छोटे छोटे नगर बन गई हैं तो यही ठीक है कि वहां नगरपालिका सम्बन्धी सुविधाएं हों और जनतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार काम हो। मैं इस सम्बन्ध में आप का ध्यान अखिल भारतीय छावनी संघ तथा देवलाली कैम्प के कांग्रेस मंत्री के स्मरणपत्रों की ओर दिलाना चाहती हूं। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इन दोनों पर ध्यान

दें, इस विधेयक को वापिस ले लें और नए रूप में इसे सदन के सामने रखें।

श्री जी० एच० देशपान्डे (नासिक—मध्य) : मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के उन लोगों की राय प्रकट करना चाहता हूं जिन पर इस विधेयक का प्रभाव पड़ने वाला है। मैं माननीय उपमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों की राय पर ध्यान दें। वे इस विधेयक के उपबन्धों को पसन्द नहीं करते, मैं यह कहना चाहता हूं कि लगभग प्रत्येक छावनी बोर्ड के क्षेत्र में रहने वालों ने इस विधेयक के विरुद्ध आवाज उठाई है। इस लिए मैं इस विधेयक के प्रभारी मंत्री से फिर प्रार्थना करूंगा कि सारी स्थिति पर फिर से विचार करें।

बस मुझे इतना ही कहना था।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : मैं किसी छावनी क्षेत्र का रहने वाला नहीं हूं, इसलिये भावुक्ता रहित हो कर इस विधेयक के उपबन्धों के बारे में अपनी राय प्रकट कर सकता हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि पुराने छावनी अधिनियम में कुछ संशोधन किये जायें। मैं ने देखा है कि छावनी क्षेत्रों में रहने वाले लोग पुराने समय से चली आ रही बातों के कारण भावुक्ता में आ गये हैं। ये छावनियां तो पिछले डेढ़ सौ वर्ष से चली आ रही हैं। इन की परम्परायें हमें प्रिय नहीं हैं क्योंकि इन का प्रारम्भ विदेशी सेना के लिये हुआ था। उन दिनों में छावनियों के आस पास रहने वाले नागरिकों की परवाह ही नहीं की जाती थी क्योंकि वह विदेशी सेना तो देश पर अधिकार जमाये रखने के लिये थी। आज तो वह बात नहीं है। आज हमारी सेना राष्ट्रीय सेना है। और राष्ट्रवादी होते हुए उसे देश के हितों का ध्यान है। इसी, अपनी सेना के लिये छावनियों के प्रशासन की वर्तमान व्यवस्था चलाई जा रही है। कल श्री गाडगिल ने बताया कि एक छावनी मैजिस्ट्रेट ने एक घोड़े को सड़क पर लीद करने के अपराध में न केवल गोली मार दी बल्कि उस के मालिक को जर्माना भी कर दिया। परन्तु जब सेना पर नियंत्रण, जनता की प्रतिनिधि सरकार का है तो ऐसे उदाहरण देने का क्या लाभ है? पहले जो कुछ होता रहा है, उस से विरोध भावना भले ही बन गई हो, परन्तु उसे इस विधेयक पर आलोचना के लिये युक्ति नहीं माना जा सकता। मेरे विचार में आज कल किसी छावनी मैजिस्ट्रेट से ऐसी आशा नहीं की जा सकती।

मेरा निवेदन यह है कि यह नहीं समझना चाहिये कि इस विधेयक से छावनी क्षेत्रों की सारी प्रशासन व्यवस्था में कोई व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य तो मामूली सुधार करना है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि इस विधेयक द्वारा जनतंत्र की हत्या की जा रही है। सम्भवतः इन क्षेत्रों में जनतन्त्रीय प्रशासन रहा ही कभी नहीं। यह तो कहा जा सकता है कि इस से भी अधिक व्यापक कोई और विधेयक रखा जाये।

मेरे माननीय मित्र श्री एस० एस० मोरे ने खण्ड ४ की निन्दा की है। इस में तो केवल यह संशोधन कि केन्द्रीय सरकार जो काम स्वयं ही किया करती थी, अब वह राज्य सरकार तथा सम्बद्ध छावनी बोर्ड के परामर्श से करेगी। क्या इस से जनतन्त्रवाद की हत्या होती है? मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि इस विधेयक में दोष क्या है। हां, यह अवश्य कहा जा सकता है कि यह विधेयक पर्याप्त नहीं है।

सेना के लोगों से अलग क्यों रखा जाता है, इस के विरुद्ध कई युक्तियां दी गई हैं। आज की सेना जनता से

[श्री पाटस्कर]

उतनी दूर नहीं हो सकती जितनी कि पहले की विदेशी सेना हुआ करती थी । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि अब तो सेना को जनता से अलग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा विचार है कि आज कल जनतंत्रवादी देश में भी, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि विभिन्न दलों के प्रचार का प्रभाव सेना पर न पड़ने पाये । आज सत्ता कांग्रेस के हाथ में है कल किसी और दल के हाथ में भी आ सकती है, अतः सेना को राजनीतिक दलों के प्रचार के प्रभाव से दूर ही रखना ठीक रहेगा। नहीं तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। कोरिया में ही देख लीजिये । क्या हो रहा है । दोनों पक्ष युद्धबन्दियों पर अपनी विचार-धारा का प्रभाव डालना चाहते हैं । किसी भी स्वतन्त्र देश में, यदि उसे स्वतन्त्र रखना हो तो सेना के सम्बन्ध में जनतन्त्रवादी ढ़ंग से काम नहीं लिया जा सकता । सेना का कर्त्तव्य तो यह है कि राष्ट्रहित का ध्यान रखे और दलभेद किये बिना सारे देश की सेवा करे। यदि सेना को जनता से बे रोक टोक मिलने दिया जाये तो देश की सुरक्षा का क्या बनेगा ? इसलिये इस विधेयक के सम्बन्ध में, सेना तथा जनता को अलग अलग रखने पर आलोचना उचित नहीं है ।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी ही एक और व्यापक विधेयक इस सम्बन्ध में सदन में लायें । कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि पास की किसी नगरपालिका का सदस्य छावनी बोर्ड का सदस्य भी हो, तो क्या हर्ज है । मुझे इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना है कि ऐसा होने से इन नगर-पालिकाओं तथा छावनी बोर्डों के काम ठीक से नहीं चल सकते ।

यह भी कहा गया है कि इन बोर्डों में नामनिर्देशित सदस्यों का २ या ३ प्रतिशत बहुमत है । यह बात विचारणीय है कि अधिकारियों के सम्बन्ध में, चुने हुए सदस्यों का बहुमत होना चाहिये । परन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, बोर्डों के गठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

इसलिये मैं सदन के दोनों ओर के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक पर केवल इस दृष्टिकोण से विचार न करें कि हमें इन क्षेत्रों में जनतंत्रात्मक व्यवस्था बनानी है, बल्कि अन्य दृष्टिकोणों से भी इस पर ध्यान दें ।

यह विधेयक व्यापक नहीं है, इसलिये इस मामूली से परिवर्तन पर इतनी आलोचना का क्या मतलब है ? छावनी क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले सदस्यों को वहां के लोगों की शि-कायतों का बहुत ध्यान है । यह स्वाभाविक ही है, परन्तु इस विधेयक पर सारे भारत के दृष्टिकोण से विचार कराना चाहिये । जैसा कि मैं ने प्रारम्भ में कहा, इस विधेयक पर बिना किसी भावुक्ता के विचार करने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि यह तो बड़ा निर्दोष तथा निरापद विधेयक है ।

स्वभावतः हमारी यह इच्छा है कि छावनियों के निवासियों के लिये सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाये ।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा—पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत को आजादी हासिल होने के बाद ऐसा ख्याल किया जाता था कें टोनमेन्ट बोर्डों में, जहां पर कि अंग्रेजों ने अपने मन के माफिक ऐक्ट बनाये थे और काम शुरू किया था, कुछ सुधार होगा । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजादी मिले ६ वर्ष हो गये पर कोई ऐसा बिल नहीं लाया गया । जो अमेन्डमेन्ट हमारे मन्त्री महोदय ला रहे हैं वह बहुत माइनर एमेन्डमेन्ट है और उस में ५० के बजाय १००) या १००) के बजाय २००) जुर्माना करना

और केन्टोनमेन्ट बोर्ड के अफसरों की ही ताकत को बढ़ाना है, इन अमेन्डमेंट्स में कोई सार नहीं । जब तक कोई काम्प्रिहेन्सिव ऐक्ट नहीं बनेगा तब तक जो केन्टोमेन्ट की २० लाख के करीब जनता है और जो तिलमिला रही है, उस का भला नहीं हो सकता । उस को अगणित मुसीबतों का सामना करना पड़ता है । रोज नये नये टैक्स लगते हैं, जुर्माना किया जाता है और अगर किसी ने लाइसेन्स नहीं लिया तो जुर्माना । ऐसे ऐसे टैक्स लगाये जाते हैं जो कि बराबर की म्यूनिसिपैलिटी में नहीं होते । मैं आगरा केंटोनमेन्ट बोर्ड के बारे में कहूंगा कि यह फर्स्ट क्लास बोर्ड है, उस में १५ मैम्बर हैं जिन में से ८ गवर्नमेंट के नामिनेटेड और ७ एलेक्टेड हैं । यह नामिनेटेड मेम्बर्स इस तरह से काम करते हैं कि जो ऐलेक्टेड मैम्बर्स होते हैं उन की कोई व्यवस्था कारगर नहीं होती है और न यहां प्राइमरी शिक्षा, सफाई, पानी, रोशनी, पक्की नालियों, सड़कों का समुचित प्रबन्ध है इस से लोगों को काफी परेशानियां होती हैं । इस सम्बन्ध में बहुत से रिप्रेजेन्टेशन किये गये लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है । इस के साथ ही साथ जो वहां का मिलिटरी एस्टेटस आफिस है वहां उस ने अलग परेशानियां पैदा कर रखी हैं । जो ऐजुकेशनल या पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स को लीज पर ज़मीनें दी गई हैं उन से हजारों रुपया नजराना लिया जाता है, हजारों रुपये सालाना किराया लिया जाता है जब कि वह नोमीनल नजराने और रेन्ट पर होनी चाहियें और सारी बातों से जनता बेचैन व परेशान है ।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे जल्द से एक काम्प्रिहैन्सिव बिल लावें जिस में जो कैन्टोनमेंटों की २० लाख जनता है, जो कि करीब २ करोड़ रुपये के रूप में टैक्स देती है, उस को कुछ सहारा मिल सके और लोग महसूस कर सकें कि वह प्रजातन्त्र राज्य में रह रहे हैं और कोई ब्यूरोक्रैटिक गवर्नमेंट नहीं है । अंत में मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह जल्दी ही एक काम्प्रिहैन्सिव बिल लावें जिस से जनता को राहत मिल सके ।

डा० एम० बी० खरे (ग्वालियर) : पूर्ववक्ता के भाषण ने मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिये उत्तेजित कर दिया है । मुझे यह देख कर प्रसन्नता है कि सदन में बोलते समय कांग्रेस जनों में तीव्र मतभेद है । यह समय का अच्छा लक्षण है । कल एक सदस्य ने विधेयक के सम्बन्ध में कहा था कि यह 'बहुत बुरा' है । आज मैं ने श्री पाटस्कर को विधेयक का समर्थन करते हुए देखा । मैं नहीं समझता कि यह विधेयक निरापद है अथवा निर्दोष है । मुझे नहीं मालूम कि यह तरबूज की भांति है अथवा दूध और पानी है । विधेयक के सम्बन्ध में 'निर्दोष' शब्द का प्रयोग किया गया था । मेरा विचार है श्री पाटस्कर इसे निर्दोष सिद्ध करने के प्रयत्न में असफल रहे हैं ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : उन की स्थिति हास्यास्पद थी ।

श्री पाटस्कर : मेरा विचार है श्री मोरे की अवस्था उस से भी अधिक हास्यास्पद थी ।

डा० एन० बी० खरे : उन्हों ने पुराने संसर्ग, पुरातन विचार और सैनिक आधिपत्य के पुराने शासन की बुराई पर अधिक जोर दिया । यह प्रश्न तथ्यों से सम्बन्धित है । क्या देश के छावनी क्षेत्रों में प्रशासन सम्बन्धी इस तरह के पर्याप्त तथ्य विद्यमान हैं जिन से वहां के निवासियों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है ? यह प्रश्न है । और इस का उत्तर है--'हां' । यह कहने में कोई लाभ नहीं कि यह पुराने शासन की देन है । क्या वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभालने

[डा० एन० बी० खरे]

के विगत छः वर्षों में इसे दूर किया है ? इसे दूर न करने के कारण सरकार असंदिग्ध रूप में निन्दा की पात्र है। श्रीमान्, मेरे विचार में तो कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन की सभी पिछली बातों को उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। इस में कोई सन्देह नहीं है। हिन्दी में कांग्रेस को 'कांग्रेज' पुकारा जाता है जिस का अर्थ है काला अंग्रेज, बीच का 'ला' लुप्त हो गया तो बन गया कांग्रेज । इस में कोई आश्चर्य नहीं है। उस जमाने में अंग्रेज इन छावनियों को सेना के आधिपत्य के लिये दुर्ग की भांति रखते थे ताकि वह जन प्रभाव से सुरक्षित रह सकें ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : पृथ्यकरण ।

डा० एन० बी० खरे : पृथ्यकरण ।

क्या आज के युग में इस का समर्थन किया जा सकता है । और श्री पाटस्कर ने ऐसा करने का प्रयन किया था ।

श्रीमान्, मेरा विचार है कि सेना पर किसी राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये । पर मैं पूछता हूं क्या वर्तमान शासन में सेना इस से अछती है । क्या यह कांग्रेस के प्रचार से मुक्त है ? यदि कांग्रेस को सेना में प्रचार करने का अधिकार है तो हमें भी वही अधिकार है। उन्हें इन सब बातों को समझना चाहिये । इस का अर्थ यह नहीं कि देश के कानूनों को तोड़ा जाय। सदन को इस विधेयक को रद्द कर देना चाहिये। यह तो विचारयोग्य भी नहीं है।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, कतिपय सदस्यों द्वारा तीक्षण घृणित और कटु शब्द कहने के बाद भी मैं यह अनुभव करता हूं कि देश के छावनी-नियमों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं पूर्ववक्ता से श्लेषों में स्पर्धा नहीं करना चाहता । किन्तु मेरा विश्वास कि छावनी विधियों के निरसन करने का यह उचित अवसर है । क्योंकि वे अब समयानुकूल नहीं रहे हैं। यह दुःख की बात है कि १८३६ के गवर्नर जनरल की मृत कलम से लिखे गये शब्दों से हम आज प्रशासित हो कर देश की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा रहे हैं। गवर्नर जनरल के नियम के अनुसार देशी लोगों और विदेशी शासकों में गहरा विभेद किया जाता था । अब इस तरह की अभिव्यंजनाओं की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सभी देशी लोग हैं पुराने नियम हमारी आत्मा को कष्टदायक प्रतीत होते हैं। और उन्हें संविधि ग्रंथ से हटा देना चाहिये ।

भूमि ग्रहण करने के सम्बन्ध में विधि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है । मैं एक उदाहरण जानता हूं जिसके अनुसार सरकार ने भमि-ग्रहण करने के लिये भूमि के स्वामी को ६००० रुपये का मूल्य चुकाया था। यहां यह स्मरणीय रहे कि उसी भूमि के लिये सरकार भूमि के स्वामी को १८८० रुपये वार्षिक किराया दे रही थी। यह कार्यवाही सन् १८३६ के सामान्य आदेश के अनुसार की गई थी। छावनी सम्बन्धी विधियों में और भी अनेक आपत्तिजनक बातें हैं । राजद्रोह के सन्देहमात्र में किसी भी व्यक्ति को छावनी के बाहर कर दिया जाता था और यदि वे फिर लौटने की घृष्टता करें तो उन पर दैनिक अर्थदण्ड लगाया जाता है। क्षेत्र से निष्कासित किये जाने वाले व्यक्ति के विषय में कभी यह विचार नहीं किया जाता कि उस का ठिकाना कहीं अन्यत्र भी है अथवा नहीं ।

मेरा विचार था कि प्रस्तुत विधेयक उक्त आपत्तिजनक अंशों को बहिष्कृत करेगा किन्तु इस के विपरीत विधेयक उन्हें दृढ़ करने में ही उद्यत है। यदि दैवात छावनी

जायदाद के किरायेदार पर बकाया राशि है तो उसकी अचल सम्पत्ति बेच कर रुपया वसूल किया जा सकता है । इस तरह के मामलों में मुकदमे की कार्यवाही की जानी चाहिये । नवीन नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर किराये की रकम बाकी है तो उसे अपनी चल सम्पत्ति भी छोड़ना पड़ेगी और उस की अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त उस के वृक्षों, उस की फसलों आदि पर भी कब्जा किया जा सकेगा ।

एक बात और मैं पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित छावनियों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । कैन्टोनमेंट के साथ ही वे स्वास्थ्य वृद्धि के केन्द्र भी हैं । वहां लोग छुट्टियां व्यतीत करने जाते हैं । पर्यटकों के लिये वहां सुविधायें उत्तरोत्तर कम हो गई हैं । वहां कोई भी व्यक्ति अपने मकान आदि नहीं बना सकते हैं । क्योंकि उन्हें छावनियों के पदाधिकारियों द्वारा उस के ले लिये जाने की आशंका बनी रहती है । किसी व्यक्ति की ५०,००० मूल्य की सम्पत्ति केवल एक महीने की सूचना और उस के दो या तीन वर्षों के किराये के भुगतान द्वारा प्राप्त की जा सकती है । यह सम्पूर्णतया छावनियों के पदाधिकारियों की सनक और भावनाओं पर निर्भर है । इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिये । इन दोषों को शीघ्र ही दूर कर देने की आवश्यकता है ।

श्री भक्त दर्शन : (जिला गढ़वाल—पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस विधेयक पर जितने कल से आज तक पक्ष में और विपक्ष में भाषण हुए हैं, उन को सुनने के बाद भी मैं अपने इस निर्णय पर दृढ़ हूं कि इस विधेयक का समर्थन अवश्य किया जाना चाहिये । लेकिन कुछ शर्तों के साथ । इस के विरोध में कहने वाले मेरे माननीय कुछ सदस्य यहां तक कहते चले गये कि सेना को अलग रखने व जन आन्दोलनों को कुचलने के लिये ही छावनी बोर्डों का प्रजातन्त्रीकरण या डिमाक्रैटाइजेशन नहीं किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि उन का यह आक्षेप बहुत ही अनुचित और असंगत है, क्योंकि हमारे संविधान के अन्दर ही प्रत्येक नागरिक को, यानी फौज में काम करने वाले लोगों को भी, मताधिकार दिया गया है और पिछले आम चुनावों के अवसर पर उन्हों ने उस का प्रयोग कर के इस तथ्य को सिद्ध भी कर दिया है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह का कोई भी लांछन गवर्नमेंट की भावना पर लगाना बिल्कुल ही अनुचित और असंगत है ।

दूसरी ओर मेरे कुछ साथी इस विधेयक का समर्थन करने के जोश में यहां तक कह गये और कहने लगे कि कैन्टूनमेंट बोर्डों का किसी प्रकार से प्रजातन्त्रीकरण किया ही नहीं जाना चाहिये । इस को सुन कर मुझे यह कहावत याद आ गई कि "मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त" । हमारे मिनिस्टर महोदय ने तो यह तर्क हमारे सामने दिया कि जैसी कि छावनियों की अभी परिस्थितियां हैं उन के अनुकूल अभी यह सुधार लागू नहीं किये जा सकते और भविष्य में उन को लागू करने का विचार कर रहे हैं । लेकिन इस विधेयक का समर्थन करने वाले कुछ सज्जनों ने तो यहां तक कह दिया कि हमें कोई प्रजातन्त्रीकरण ही नहीं करना चाहिये । मैं समझता हूं कि ऐसे ही लोगों के बारे में यह कहावत कही गई है कि "भगवान ऐसे मित्रों से हमें बचाये" या यह कि "खुदा ऐसे दोस्तों से हमें बख्शे" ।

मेरे एक माननीय मित्र श्री बंसल जी ने बचपन की कुछ कहानियां सुनाई जब कि वह रानीखेत में रहते थे कि किस प्रकार वहां गांधी टोपी पहनने पर ही सजा दी जाती थी । मैं समझता हूं कि यह उन की बचपन की बातें

[श्री भक्त दर्शन]

अब केवल इतिहास की वस्तुयें हैं। मैं स्वयं भी एक छावनी का निवासी हूं, लैंसडाउन छावनी का और मुझे बखूबी अच्छी तरह से वह दिन याद है जब कि वहां एक काला कानून लगा हुआ था, "सलामिंग आर्डर" का, उस के अनुसार हर एक गोरे अफसर को सलाम करना पड़ता था। इस प्रकार की वहां पर आज्ञा थी। गांधी टोपी पर यहां तक प्रतिबन्ध था कि जब मैं स्वयं विश्वविद्यालय से गरमी की छुट्टियों में घर आता था तो दूर ही से गांधी टोपी को मुझे बक्स में बन्द कर देना पड़ता था। इस के अलावा मुझे याद है कि किस प्रकार एक कांग्रेस कार्यकर्ता को पेशावर कांड के वीर श्री चन्द्र सिंह गढ़वाली की जय बोलने पर छावनी के बाहर कर दिया गया था याने बारह पत्थर बाहर कर दिया गया था। यह जो उदाहरण मैं ने आप के सामने दिये यह उस जमाने की बातें थीं जब कि हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। लेकिन आज यह बातें केवल इतिहास की वस्तुयें हो गई हैं। इसलिये श्री बंसल जी ने और दूसरे साथियों ने जो इस प्रकार की बातें कही हैं उन में आज की परिस्थिति में कोई तथ्य नहीं रह गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने जिस प्रकार से इन छावनी बोर्डों के विषय में कहा है कि वहां किस प्रकार से बोर्डों का प्रजातन्त्रीकरण भूमि सम्बन्धी मामलों में और इस प्रकार के दूसरे मामलों में सरकार ने कोई विधेयक लागू नहीं किया, मैं इस सम्बन्ध में एक एक बात पर प्रकाश नहीं डालना चाहता। मेरा जो अपना परिस्थिति का अध्ययन है वह यह है कि जैसे भी इस समय हमारे छावनी बोर्ड बने हुए हैं, यद्यपि उन में सरकारी अधिकारियों का बहुमत है, फिर भी वास्तविक सत्ता एग्जीक्यूटिव आफिसर के हाथ में है। वर्तमान विधान के अनुसार छावनी बोर्डों के प्रधान पदेन आफिसर कमांडिंग हुआ करते हैं। किन्तु उन को फौजी मामलों से बहुत कम अवकाश मिल पाता है। इस के अतिरिक्त उन में सरकारी आदमियों का बहुमत होता है, अतः एग्जीक्यूटिव आफिसर के अनुसार ही उन को चलना पड़ता है और उसी तरह आफिसर कमांडिंग के आर्डर भी हो जाते हैं। इसलिये हमारे एग्जीक्यूटिव आफिसर्स में स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता आ गई है। इस के पीछे यह भी बात है कि यदि कोई अपील की जाये, या कोई मैमोरेंडम या आवेदन पत्र भेजा जाय तो उस की सुनवाई नहीं होती। इस का एक मुख्य कारण यह है कि लैण्ड कैन्टूनमेंट सर्विस के अधिकारियों के हाथ में ही अन्तिम अधिकार रहते हैं और वे इन मामलों को बुरी तरह से तोड़ देते हैं।

मैं आप के सामने एक छोटा सा उदाहरण रखूंगा। आज से दो वर्ष पहले हमारी छावनी में एक सज्जन एग्जीक्यूटिव आफिसर बन कर आये और जिस दिन उन्होंने अपनी औथोरिटी संभाली उसी दिन वह बाजार में घूमने के लिये निकले और उन्होंने बड़े गर्व के साथ लोगों से यह कहना शुरू किया कि अब देखूंगा कि यहां पर किस तरह से नियमों का पालन करता हूं और यहां पर किस तरह से मैं शासन करता हूं। चनाचे जैसी कि इसके पीछे उनकी भावना थी धीरे धीरे जनता में असंतोष पैदा हुआ और एक आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। उसके बाद जितने गैर सरकारी निर्वाचित सदस्य थे उन्होंने उनके विरुद्ध प्रस्ताव रखा, यहां तक कि जितने सरकारी अधिकारी थे उन्होंने भी उसका समर्थन किया। इतना ही नहीं, जो आफिसर कमांडिंग थे, उन्होंने भी एग्जिक्यूटिव आफ़ीसर साहब के विरोध में डी० ओ० लिखे। यहां तक ही नहीं, बल्कि सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट ने भी उनके ट्रांसफर के सम्बन्ध में अधिकारियों को पत्र लिखे। लेकिन आपको जान कर

आश्चर्य होगा यद्यपि मुझे भी उसके बीच में पड़ना पड़ा और और स्वर्गीय श्री गोपालास्वामी आयंगर साहब के द्वारा उनका स्थानान्तरण हुआ, लेकिन पूरे एक वर्ष तक हम लोगों को यह आन्दोलन करना पड़ा। और अन्त में जब उनका स्थानान्तरण हुआ तो वह मूछों पर ताव देते हुए कहने लगे कि "मेरा क्या बिगाड़ा ? मैं तो तरक्की पर जा रहा हूं।"

तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत यदि एग्जिक्यूटिव आफिसर्स के ऊपर कोई नियंत्रण रखा जाय, उनको समय समय पर वहां की जनता की इच्छा जान कर बदला जाय, और उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय, तो मेरा निजी विश्वास है कि धीरे धीरे कैन्टोनमेंट बोर्ड के मामलों में सुधार किया जा सकता है। मैं ने एक संशोधन का भी इसलिये नोटिस दिया है और मैं यह आशा करता हूं कि जब माननीय मंत्री महोदय उसके बारे में मेरे तर्कों को सुनेगें तो उन्हें उसके स्वीकार करने में कोई विशेष अड़चन नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा कि इस विधेयक का समर्थन मैं जरूर करता हूं, लेकिन शर्तों के साथ। वे शर्तें तीन हैं, पहली तो यह कि इस विधेयक को वर्तमान रूप में लाने के सिवाय मेरा अपना ख्याल है कि मंत्रालय के सामने कोई चारा नहीं था। कुछ वर्ष पहले वह प्रख्यात पाटिल कमेटी नियुक्त की गई थी। उसने तीन वर्ष के प्रयत्न के बाद एक रिपोर्ट तैयार की। और यह जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है, यह मुख्यतः उन सिफारिशों के ही ऊपर आधारित है, उन सिफारिशों में से जहां तक मैं समझता हूं शायद ही कोई सिफारिश छोड़ी गई हो।

दूसरी बात इसमें यह है कि राज्य परिषद ने अर्थात हमारे दूसरे सदन ने इसे स्वीकार कर लिया है और अब गवर्नमेंट के लिये संभव भी नहीं होगा कि उसको इस हालत में वापस ले लिया जाय।

तीसरी बात यह है कि जैसा कि उपरक्षा मंत्री महोदय आश्वासन दे चुके हैं कि वे शीघ्र ही एक सर्वांगपूर्ण (कम्प्रीहैंसिव) बिल लाने वाले हैं, वह तो स्वागत योग्य है, लेकिन मैं अपने आदरणीय साथी गाडगिल के भाषण का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जिस संकोच और हिचकिचाहट के साथ उन्होंने यह आश्वासन दिया, उससे कुछ शंका का पैदा होना स्वाभाविक है। मैं आशा करता हूं कि हमारे उपमंत्री महोदय आज खड़े होकर खुले दिल और उदारता के साथ इस सदन में घोषणा करेंगे कि वह निकट भविष्य में ही बल्कि जो दूसरा सत्र हमारा प्रारम्भ होगा, उसमें ही एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करेंगे जिसमें छावनी बोर्डों की सारी मशीनरी का पूरा प्रजातंत्रीकरण हो जायेगा।

इसके अलावा मुझे दो बातों की ओर उनका थोड़ा सा ध्यान दिलाना है। उन्होंने जैसा कि कल बतलाया कि जगह जगह कैन्टूनमेंट बोर्डस का 'एक्सीशन' होने वाला है, उसको भी मैं समझता हूं कि कई वर्ष बीत चुके, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अल्मोड़ा कैन्टूनमेंट को उस एक्सीशन में शामिल नहीं किया गया है। वहां के म्यूनिसिपल बोर्ड के कुछ मेम्बरों ने मुझे बतलाया कि अल्मोड़ा कैन्टूनमेंट किस हालत में है, वहां जाने के लिये अल्मोड़ा म्युनिसिपल बोर्ड को पार करके जाना पड़ता है और इसलिये चुंगी के कई मामले बीच में चलते रहते हैं। इसके सिवाय उसकी आबादी इतनी कम हो गई है कि जैसे नैनीताल और लंधौर का एक्सीशन किया जा रहा है, उसी प्रकार मेरा सुझाव है कि अल्मोड़ा को भी एक्सीशन की सूची में शामिल कर लिया जाये।

[श्री भक्त दर्शन]

अल्मोड़ा सरीखा सुन्दर पर्वतीय स्थान शायद कम जगहोंमेंहोग, वहीं एक स्थान म्यूनिसिपल बोर्ड के पास होगा जहां पर वह अपना विकास अच्छी तरह कर सकें । इस आशा के साथ में माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि एक्सीशन के सम्बन्ध में जो जरूरी कार्रवाई करनी है, वह शीघ्र से शीघ्र की जानी चाहिए ।

अन्तिम बात जो मैं आपकी सेवा में उपस्थित करना चाहता हूं वह यह है कि आज कल छावनियों के अन्दर आज कोई आदमी जो बंगले का मालिक, हैं उसने अगर एक फूल पत्ती भी तोड़ने की कोशिश की तो उसे पत्ती तोड़ने पर जुर्माना अदा करना पड़ता है । मेरे पास इस बात के कई उदाहरण मौजूद हैं जहां ऐसा अन्याय किया गया है । समझ में नहीं आता कि उसको उस बंगले का अधिकारी माना जाता है, वह उसका टैक्स देता है यह सब बातें होते हुए भी इस तरहके प्रतिबन्ध उस पर लगाये जाते हैं । मैं आश करता हूं कि मंत्री महोदय इन तमाम बातों पर बहुत ही सहानुभूति के साथ और उदारता के साथ विचार करेंगे और शोध्र ही उस विधेयक को प्रस्तुत करेंगे जिसका वह आश्वासन दे चुके हैं । इन शब्दों के के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : मैं ने अपने सर्वप्रथम भाषण में यह स्वीकार किया था कि इस विधेयक से छावनियों की समस्या का हल नहीं होता है । इस विधेयक म अधिनियम सम्बन्धी सुधार करने के अभिप्राय से कुछेक मामूली संशोधनों का उल्लेख किया गया है । परन्तु बहस के दौरान में कही गई बहुत सी बातें इस संशोधक विधेयक से बिल्कुल असंगत हैं । उन के सम्बन्ध में कुछ न कहते हुए मैं केवल उन्हीं बातों के सम्बन्ध में कहूंगा जो इस विधेयक के अन्तर्गत आती हैं ।

श्री गाडगिल ने सेना की भूमि तथा छावनी अधिकारी सन्था द्वारा पाटिल समिति को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन का वर्णन किया है । मैं प्रारम्भ में यह कह देना चाहता हूं कि यह सरकार उक्त सन्था के कथनानुसार नहीं चलती है । यह सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है तथा इस सदन के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी है । प्रत्येक सन्था को अभिव्यक्ति का संविधान में अधिकार दिया गया है । परन्तु इस प्रकार की अभिव्यक्तियों से सरकार का पथ प्रशस्त नहीं होता ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : आप ने उन की सभी सिफारिशों को ले लिया है तथा आप की नीति इन्हीं पर आधारित है ।

सरदार मजीठिया : उस समिति ने एक प्रश्नावली प्रचालित की थी जिस के सम्बन्ध में बहुत अधिक तथा लम्बे लम्बे उत्तर प्राप्त हुए थे । उन सब को पढ़ने के बाद ही ये सिफारिशें की गई थीं । इन सिफारिशों में से कुछेक के सम्बन्ध में तो मतैक्य था, परन्तु शेष के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं था । इस विधेयक में मैं ने विशेषत: उन्हीं सिफारिशों को रखा है जिन के सम्बन्ध में मतक्य था । मैं निःसंकोच भाव से आश्वासन दे सकता हूं कि मैं छावनियों के क्षेत्र में से उस सब क्षेत्र को पृथक करने की समस्या पर फिर विशेष ध्यान दूंगा जिस की हमें आवश्यकता नहीं है । मैं प्राप्त होने वाले अनुभव से बाद में एक विस्तृत विधेयक के प्रस्तुत करने की आशा करता हूं ।

इस के अतिरिक्त कुछेक सुविधाओं की बहुत चर्चा की गई है । यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिस के लिए बहुत धन की आव-

श्यकता है । हम अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु किसी प्रकार से यह नहीं समझा जाना चाहिये कि हम कोई अच्छी बात नहीं करना चाहते । उदाहरण के लिए दिल्ली को १९५०-५१ में ३६,००० रुपये दिए गए थे, परन्तु इस वर्ष ७७,००० रुपये का सहायता अनुदान दिया गया है । हम उन्हें यथासम्भव अधिकाधिक सुविधाएं देने के सभी प्रयत्न करते हैं ।

श्री बंसल ने बहुत सी बातें कही हैं । परन्तु उन्हों ने एक ग़लती यह की है कि केवल एक ही उदाहरण को ले कर सभी छावनियों के सम्बन्ध में एक ही मत व्यक्त कर दिया है । यह एक खतरनाक बात है । इस से एक बिल्कुल ग़लत धारणा मिलती है । उन्हों ने अपने बाल्यपन का उदाहरण दिया है । बाल्यपन की बातों का भूलना कठिन हुआ करता है । कुछेक बातों को तो बहुत बहुत बढ़ा चढ़ा कर बतलाया गया है। उदाहरण के लिये उन्हों ने कहा है कि लोगों को केवल बारह घंटे की पूर्व सूचना दे कर बाहिर निकाला जा सकता है । इस में कुछ सत्य नहीं है । अनधिकृत कब्ज़े वाले लोगों को बारम्बार खाली करने के लिए कहा जाता है तथा कई बार कहने तथा प्रेरणा देने से यदि वे खाली न करें तो सख्त कार्यवाही की जाती है ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : यदि आप मेरे भाषण को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मैं ने कभी 'बारह घंटे' के शब्द नहीं कहे ।

सरदार मजीठिया : अस्तु, मेरा कहना है कि काफ़ी समय की पूर्वसूचना दी जाती है ।

इस के बाद उन्हों ने किराये के बढ़ाने का वर्णन किया है । मैं ने इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल की है तथा रानीखेत के संबंध में १९३९ में मिठाई बाज़ार का किराया ३०० रुपया था, १९४७ में यह ५०० रुपया हुआ तथा १९५२ में हम ने पुनः विचार के बाद इसे ३०० रुपया कर दिया है ।

श्री बंसल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने किरायों का नहीं, पट्टों का वर्णन किया है जिन्हें तीन या चार वर्षों के बाद नहीं बदला जाता ।

सरदार मजीठिया : आबकारी बाज़ार के किराये को भी हम ने कम कर दिया है । निश्चय ही हम अकड़ से काम नहीं ले रहे । हम चालू किरायों तथा मूल्यों पर उचित ध्यान देते हैं ।

श्री बंसल : मेरा निर्देश पट्टों से था जिन्हें प्रत्येक ३०, ४० या ९० वर्ष के बाद बदला जाता है । यह मामला संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता ।

सरदार मजीठिया : सेठ गोविंद दास ने कहा है कि आजकल जिन स्थानों पर बंगले बने हुए हैं, उन में अधिक इमारतें बनाई जा सकती हैं । मैं उन से सहमत हूं क्योंकि क्षेत्र इतना अधिक है कि अधिक इमारतों का बनाना सम्भव है । परन्तु उन्हें योजनाबद्ध नीति से काम करना पड़ता है तथा छावनियों में विकास का काम अन्धा धुन्ध तरीके से नहीं किया जा सकता । यद्यपि हम चाहते हैं कि अधिवास की कमी को दूर करने के लिए अधिक इमारतें बनें, आप को यह तथ्य नहीं भूलना चाहिये कि इस से ज़मीन की कीमतें बढ़ जायेंगी जिस से आवश्यक कर भी बढ़ेगा तथा लोगों को पहले से अधिक कर देना पड़ेगा । उन्हें इस के लिए तैयार रहना चाहिये । परन्तु मैं देखता हूं कि लोग बढ़ी हुई कीमत से प्राप्त होने वाले लाभ में से सरकार को कोई भाग नहीं देना चाहते ।

कृषि की भूमि के सम्बन्ध में उन्होंने १५ वर्ष की अवधि रखने के लिए कहा है । मैं कहना चाहता हूं कि हम ने इसे पहले ही चार वर्ष से बढ़ा कर दस वर्ष कर दिया है ।

[सरदार मजीठिया]

यदि हमें अनुभव से पता चला कि दस वर्ष भी काफ़ी नहीं हैं तो मैं इस सवाल पर खुशी से फिर विचार करूंगा ।

माननीय सदस्यों ने उन संशोधनों किया है जिन की उन्हों ने सूचना दे रखी है । मैं उन का उचित प्रक्रम पर उत्तर दूंगा । भाषण को समाप्त करने से पहले मैं बाज़ार समितियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । बाज़ार समितियां कम अधिक स्वतंत्र रूप से काम करती हैं । मैं ने बहुत कम अवसर देखे हैं जब बाज़ार समितियों की सिफारिशों को छावनी बोर्डों ने रद्द कर दिया हो । वस्तुतः एक प्रथा बन चुकी है जिस से इस निकाय की सिफारिशों को बोर्ड बिना बहस के स्वीकार कर लेता है । इस प्रकार से असैनिक जनसंख्या को लगभग स्वायतता प्राप्त है । जैसा कि श्री गाडगिल ने कहा, हमें इन समितियों को अधिक अधिकार देने चाहियें । मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि निकट भविष्य में इस अभिप्राय के प्रशासनात्मक आदेश जारी किए जायेंगे, परन्तु जैसा कि मैं ने कहा, उन्हें मुख्य निकाय के सर्वोपरि नियंत्रण में रहना होगा । इस अधीन निकाय को छावनी बोर्डों से अधिक अधिकार नहीं दिए जा सकते ।

श्रीमान्, लोकतंत्रवाद के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है । यह एक बहुत विस्तृत विषय है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, संयुक्त निर्वाचक-मण्डल, वयस्क मताधिकार अथवा इस प्रकार की किसी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया है । एकमात्र अन्तर इतना है कि निर्वाचित प्रतिनिधि थोड़ी सी अल्पसंख्या में हैं ।

श्री गाडगिल : शाश्वत अल्प संख्या, कानूनी रूप में अल्प संख्या ।

सरदार मजीठिया : बहुत अच्छा । वे मनोनीत सदस्यों से कानूनी रूप में अल्प संख्या में हैं ।

छावनी बोर्ड का अपना इतिहास है । छावनियां इस लिये बनीं कि सेना को वहां रखा गया था । उस कारण वहां कुछ लोग व्यापार आदि के अभिप्राय से चले आए जिस से छावनियों में सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार की जनसंख्या हो गई ।

सैनिक कर्मचारियों को मताधिकार से पूर्णतः वंचित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि छावनियां मुख्यतः उन की उन्नति के लिए होती हैं । उन में एक प्रकार के चुनाव की प्रथा का आरम्भ करना भी बहुत कठिन है । एक और कठिनाई यह भी है कि किसी छावनी विशेष में आज सेना की एक टुकड़ी है तो कल दूसरी । ऐसी अवस्था में वे लोग दूर से आ कर कैसे मत डाल सकते हैं। अतएव उन्हें दूसरों जैसे लोकतंत्रात्मक अधिकार नहीं दिए जा सकते । साथ ही उन के हितों को सुरक्षित रखने के लिये कुछ नामनिर्देशित व्यक्ति रखने पड़ते हैं। ऐसे नामनिर्देशन पर ही आपत्ति की गई है । मैं ने पहले भी कहा है कि इस प्रश्न पर फिर विचार हो सकता है । मैं इस पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहता ।

डा० लंका सुन्दरम : इस पर कब तक विचार होगा ।

सरदार मजीठिया : आप इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कुछ सुनेंगे ।

विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने सैनिक अधिकारियों के बारे में कुछ अपमानजनक बातें कही हैं । मैं समझता हूं कि मुझे इक अवसर पर उस बेचारे व्यक्ति के पक्ष में अवश्य ही कुछ कहना चाहिये जो यहां उपस्थित हो कर इन आक्षेपों का प्रत्युत्तर

नहीं दे सकता । उन्हों ने कहा है कि सेना के अधिकारी घमंडी होते हैं तथा वे नागरिकों की परवाह नहीं करते । कुछेक व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं यथा मैं उन के पक्ष में कुछ नहीं कहता हूं । मेरे मित्र ने एक अधिकारी का उल्लेख किया है । मैं निश्चय ही उस मामले की जांच करूंगा । उन्हें विश्वास होना चाहिये कि आवश्यक कार्यवाही की जायगी । मैं माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का उतना ही समर्थक हूं जितना कि वे स्वयं आप । फिर भी एक उदाहरण को ले कर सभी सैनिक अधिकारियों के विषय में ऐसा कह देना मेरे विचार से बहुत ज्यादती है । हमारे सैनिक अधिकारियों ने भारत में ही नहीं, बाहिर के देशों में भी बहुत कीर्ति प्राप्त की है । तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग के सभापति एक भारतीय सैनिक अधिकारी ही हैं । संरक्षा कटक को भी हमारी ही सेना से लिया गया है । हमारे सैनिक अधिकारी नेक हैं, सहानुभूति रखने वाले हैं तथा देश-भक्ति में किसी से कम नहीं हैं । उन के विरुद्ध कुछ कहना अन्याय होगा तथा मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य इस बात को अपने मन में रख कि जब कभी वे सेना, जल-सेना या वायु-सेना के बारे में कुछ कहें तो यह समझें कि वे हमारे ही भाई हैं । आप से वे किसी प्रकार से अलग नहीं हैं । वे आप की सेवा करते हैं, अच्छे प्रकार से सेवा करते हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : श्रीमान, मैं माननीय उपमंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । श्री राजगोपाल नायडू की विमति टिप्पणी में कहा गया है कि उपमंत्री महोदय ने प्रवर समिति की बैठक में यह विश्वास दिलाया था कि वह छावनी क्षेत्र को परि-सीमित करने के लिये समिति के सुझावों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से एक व्यापक विधेयक लाना सोच रहे हैं । क्या यह बात सही है ? यदि सही है तो इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

सरदार मजीठिया : मैं इस के बारे में पहले कह चुका हूं और यहां भी मैंने यह विश्वास दिलाया है । इस के आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस के बारे में कोई निश्चित तारीख देना संभव नहीं है । मैं ऐसा कोई वायदा करना नहीं चाहता जिसे मैं पूरा न कर सकूं । परन्तु मैं फिर यह विश्वास दिला सकता हूं कि उस विधेयक को शीघ्र से शीघ्र पुरःस्थापित करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सदन द्वारा स्वीकृत किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार चर्चा आरम्भ करेंगे ।

खंड २—(धारा २ का संशोधन)

श्री टेकचन्द : श्रीमान, खंड २ (क) में "हद बताने वाली दीवार" की परिभाषा दी गई है जिस के अनुसार यह "वो दीवार है जो किसी सड़क पर खत्म होती हो और जिस की ऊंचाई आठ फुट से अधिक न हो ।" मेरा निवेदन है कि इस परिभाषा से अधिनियम के तत्सम्बन्धी उपबन्धों को क्रियान्वित करना कठिन हो जायेगा । आप इसके द्वारा हद बताने वाली दीवार सिर्फ उसी को मान रहे हैं जो किसी सड़क पर खत्म होती हो । इस परिभाषा के रखने से अधिनियम की धारा १९४ तथा उपधारा (२) की क्रियान्विति में बड़ी कठिनाई होगी । यदि कोई दीवार ऐसी हो जो सड़क पर खत्म न होती हो, परन्तु बहुत बुरी हालत में हो और खतरनाक हो, तो उस स्थिति में बोर्ड कुछ नहीं कर सकेगा । वास्तव में इस की परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है; इस की परिभाषा दे कर बोर्ड अपने अधिकारों में कमी कर

[श्री टेक चन्द]

रहा है; जो बातें उस के लिये लोकहित में करनी आवश्यक होंगी, वे इस परिभाषा के होने के कारण नहीं की जा सकेंगी ।

सरदार मजीठिया : मुझे इस के अलावा और कुछ नहीं कहना कि यह चीज़ पहले भी थी यद्यपि इस की परिभाषा नहीं दी गई थी । इस में केवल इस बात का स्पष्टीकरण किया गया है कि "हद बताने वाली दीवार" क्या है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"खंड २ विधेयक का अंग बना लिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड —(धारा ४ का संशोधन)

श्री एन० बी० चौधरी : मैं प्रस्ताव करत हूं कि :

पृष्ठ १ पर पंक्ति १९ में

(१) "and" ["तथा"] शब्द हटा दिया जाये; तथा

(२) "Board" ["बोर्ड"] शब्द के पश्चात् "and the people of the locality"["और उस इलाके के लोग"] ये शब्द जोड़े जायें ।

जैसा हमें मालूम है, छावनी बोर्ड में एक नामनिर्देशित प्रधान होता है और नामनिर्देशित अधिकारियों का ही बहुमत होता है। दूसरे सदन की प्रवर समिति ने इस में एक सुधार किया है कि यदि किसी छावनी के क्षेत्राधिकार में कोई नया क्षेत्र लाने या उस से कोई क्षेत्र अलग करने का विचार हो तो इस मामले में राज्य सरकार तथा बोर्ड से सलाह ली जानी चाहिये । मेरी राय में यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि हो सकता है स्वयं बोर्ड में असैनिक जनता का उचित प्रतिनिधित्व न हो । इसलिये संबंधित स्थान में रहने वाले लोगों की राय मालूम करना भी आवश्यक है । राज्य सरकार तथा पर्षद का परामर्श लेना ही पर्याप्त नहीं, लोगों के प्रतिनिधियों से भी उन की राय ली जानी चाहिये । इसी अभिप्राय से मैं ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं माननीय मंत्री के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं । छावनी अधिनियम की धारा ४ के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, छावनी बोर्डों की सीमाओं में फेर-बदल कर सकती है; वह छावनी क्षेत्र की सीमा बढ़ा सकती है या उस में से कुछ क्षेत्र अलग कर सकती है । खंड ४ के इस संशोधन के अनुसार, केन्द्रीय सरकार यह अधिसूचना संबंधित राज्य सरकार तथा बोर्ड से सलाह ले कर जारी करेगी । आप जानते हैं कि हर क्षेत्र किसी न किसी निकाय के, चाहे वह पड़ौसी नगरपालिका हो या ज़िला बोर्ड हो, क्षेत्राधिकार में आता है । मेरा निवेदन यह है कि जब कभी किसी छावनी क्षेत्र में कोई क्षेत्र मिलाया जाना हो तो संबंधित निकाय या अधिकारियों की राय और स्वीकृति अवश्य ली जानी चाहिये । फिर, बोर्ड की सलाह लेने का तो कोई अर्थ ही नहीं है । बोर्ड तो स्वयं क्षेत्र की मांग करेगा और आप उसी की राय ले रहे हैं । यह एक अजीब सी बात है । सरकार को छावनी बोर्ड के हितों की रक्षा ही नहीं करनी है, उसे समस्त स्थानीय निकायों और पंचायतों आदि के हितों को भी ध्यान में रखना है । उदाहरणार्थ यदि

किसी गांव को मिलाने का मामला है, तो पंचायत की राय लेना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि सरकार स्वयं इस खंड को संशोधित करे और इस बात की व्यवस्था करे कि जब कभी किसी छावनी म कोई ऐसा क्षेत्र, जो किसी स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार में, मिलाया जाये, तो उस स्थानीय निकाय की राय अवश्य ली जाये। इसी तरह जब किसी क्षेत्र को अलग किया जाये तो भी इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि इस से वहां के रहने वालों को कोई असुविधा तो नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों पर विचार करें और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क़दम उठायें।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १ पर पंक्ति १९ में :—

(१) "and" ["तथा"]शब्द हटा दिया जाये; और

(२) "concerned" ["संबंधित"] शब्द के पश्चात् "and neighbouring local bodies" ["तथा पड़ौस के स्थानीय निकाय"] शब्द जोड़ दिये जायें।

किसी छावनी पर्षद के क्षेत्राधिकार में विस्तार करने से पहले यह आवश्यक होना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार संबंधित छावनी पर्षद से ही नहीं बल्कि पड़ौस के स्थानीय निकायों से भी सलाह ले।

यह ठीक है कि अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार के लिय यह आवश्यक है कि वह केन्द्र तक अपने विचार पहुंचाने से पहले प्रभावित इलाके की जनता के विचारों को मालूम करे परन्तु इस पर भी यह ज़रूरी है कि संबंधित निकाय की राय ली जाये क्योंकि यदि छावनी के किसी क्षेत्र को अलग कर के नगरपालिका क्षेत्र में मिलाया जाता है तो वहां की पंचायत को या नगर-समिति को ही उस नये क्षेत्र का बोझ उठाना पड़ेगा। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि छावनी क्षेत्र में सेवाओं का स्तर प्रायः ऊंचा होता है। वहां स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था अच्छी होती है। हमारे लिये यह देखना आवश्यक है कि छावनी क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्रों का स्तर पड़ौसी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों को उन का कुछ हिस्सा दे कर नीचा नहीं किया जाना चाहिये। इसलिये केन्द्र को चाहिये कि वह क्षेत्राधिकार बदलने के प्रश्न पर फ़ैसला करने से पहले प्रभावित स्थानीय निकय की सब मामलों में राय ले।

श्री भक्त दर्शन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १ पर पंक्ति १९ में

(१) "and" ["तथा"] शब्द को हटा दिया जाये; तथा

(२)"concerned" ["संबंधित"]शब्द के पश्चात् "and the contiguous local authority" ["और समीपवर्ती स्थानीय निकाय"] शब्द जोड़ दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपन संशोधन को इन शब्दों के साथ प्रस्तुत करता हूं कि मेरा जो मन्तव्य है, वह श्री लिंगम और श्री एन० बी० चौधरी के संशोधनों से पूरा हो जाता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि मेरे संशोधन की जो शब्दावली है, वह ज्यादा उपयुक्त है। श्री एन० बी० चौधरी का कहना है : "and the people of the locality' ["और उस इलाके के लोग"] म भी इस बात से सहमत हूं कि जो वहां उस इलाके की जनता है, उस की राय ली जाय, उस की राय लेने के वास्ते कौन सा साधन अथवा संस्था होगी,

[श्री भक्त दर्शन]

इसका भी स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये और मैं समझता हूं कि उन के संशोधन में यह त्रुटि है। श्री लिंगम ने अपने संशोधन में कहा है : "and neighbouring local bodies" [और पड़ौस के स्थानीय निकाय] मेरी समझ में नहीं आया कि किस कैन्टूनमेंट बोर्ड के समीप एक से अधिक म्युनिसिपल बोर्ड हो सकते हैं, कई लोकल बाडीज़ साथ नहीं हो सकतीं, ऐसा मेरा विचार है और इसलिए मैं ने अपना संशोधन रक्खा है "and the contiguous local authority" ["और समीपवर्ती स्थानीय निकाय"] । चाहे उस में काटना हो या चाहे उस संस्था को देना हो, यह तो अनिवार्य है कि वहां की संस्था का भी उस में सहयोग लिया जाय और उन का परामर्श लिया जाय। मैं समझता हूं कि इस में माननीय मंत्री महोदय को ऐतराज़ नहीं होना चाहिये और उस को स्वीकार कर लेना चाहिए ।

सरदार मजीठिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस मामले में कोई कठिनाई नहीं है। असल में मुझे शुरू में ही इस संबंध में कुछ कहना चाहिये था; शायद तब इस संशोधन के प्रस्तुत करने की आवश्यकता न रहती। खैर, स्थिति यह है कि संबंधित राज्य सरकार स्थानीय जनता के ही नहीं बल्कि स्थानीय निकाय के विचारों को भी हमेशा मालूम कर लेती है। उनकी राय मालूम करने के बाद ही वह केन्द्रीय सरकार को अपने विचार भेजती है; इसलिये यह प्रश्न कभी नहीं उठेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं संशोधनों को सदन द्वारा मतदान के लिये रखूं ?

श्री एन० बी० चौधरी : जी हां।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं अपन संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

श्री भक्त दर्शन : मैं भी आग्रह नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एन० बी० चौधरी का संशोधन प्रस्तुत किया गया और सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ५—(धारा १२ का संशोधन)

श्री एन० बी० चौधरी तथा श्री भक्त दर्शन द्वारा संशोधन (संख्या ६, ७ व ८ प्रस्तुत किये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य खंड तथा संशोधनों दोनों पर बहस कर सकते हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : यह उपबन्ध किया गया है कि सैनिक भूमि तथा छावनी पदाधिकारी की अनुपस्थिति में एक सैनिक पदाधिकारी को ३ मास की अवधि तक के लिये कार्यपालिका पदाधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। हमने छावनी बोर्ड के लोकतंत्रीकरण के लिये अनुरोध किया था, परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया। तो भी हमारी समझ मे नहीं आता कि केवल सैनिक पदाधिकारी ही कार्यपालिका पदाधिकारी नियुक्त किया जाय यह शर्त क्यों रखी गई है। आवश्यकता तो यह है किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए कि जिसे अनुभव प्राप्त हो जिसका छावनी के प्रशासन के साथ सम्बन्ध रहा हो या जो बोर्ड का निर्वाचित सदस्य रहा हो । कार्यपालिका पदा-धिकारी को छावनी के प्रशासन के लिये नियमों,

विभिन्न अधिनियमों और प्रशासन कार्य की प्रावैधिक प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। सैनिक पदाधिकारी जो यह सब न जानते हो कार्य का संचालन भली प्रकार नहीं कर सकता। इस लिये मेरा निवेदन है कि इस उपबन्ध में से सैनिक शब्द का लोप हो जाना चाहिए ताकि ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की गुंजाइश हो सके जो कार्य का अनुभव रखते हों।

श्री भक्त दर्शन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि पहले संशोधन के सम्बन्ध में मैंने यह रखा है कि "बीच में अन्तर्कालीन व्यवस्था के तौर अगर किसी फौजी अधिकारी की नियुक्ति भी की जाय तो उसको पहले कभी कैंटोनमेंट बोर्ड का मेम्बर जरूर रहा होना चाहिए"। जैसा कि पहले मैंने अपने निवेदन में बतलाया था कि सारी सत्ता एग्जिक्यूटिव आफिसर के हाथों में रहती है। अगर वह अनुभवहीन हुआ तो मैं समझता हूं कि और भी प्रशासन में खराबियां आ जायेंगी। जैसा कि सभी को मालूम है कैंटोनमेंट बोर्ड में सरकारी कर्मचारियों का बहुमत होता है, इसलिये उनमें से ऐसा अधिकारी छांटा जा सकता है जो कि कुछ दिनों के लिये, जैसी कि व्यवस्था की जा रही है कि अधिक से अधिक तीन मास के लिये एग्जिक्यूटिव आफिसर का कार्य सम्पादित कर सके। मैं समझता हूं कि इसमें कोई विशेष अड़चन नहीं पड़ेगी। इस से प्रशासन का स्तर अच्छा हो जायेगा और कार्य में भी सुविधा होगी।

दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि अभी तक यह व्यवस्था है कि जो एग्जिक्यूटिव आफिसर होता है उसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है। मैं नहीं जानता कि केन्द्रीय सरकार का इस बारे में क्या प्रोसीजर है, कोई पब्लिक सर्विस कमिशन बनाया गया है या नहीं, लेकिन जैसा मैंने पहले अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया था कि अभी तक एग्जिक्यूटिव आफिसर्स पर कोई अंकुश नहीं है, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, इस लिये मैं अपने संशोधन के द्वारा इसके अन्दर यह रखना चाहता हूं अगर कोई कैन्टोनमेंट बोर्ड किसी एग्जिक्युटिव आफिसर से विरुद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो उस को वहां से फौरन स्थानान्तरित तो जरूर कर दिया जाय, और अगर उसके विरुद्ध दो, तीन बार अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाय तो उसको सर्विस से निकाल दिया जाय। इसकी बहुत अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री टेकचन्द : मैं समझता हूं कि यह परन्तुक अनावश्यक भी है और अनुपयुक्त भी। परन्तुक में कहा गया है कि कोई सैनिक पदाधिकारी कार्यपालिका पदाधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। इस का यह अभिप्राय है कि कोई भी सैनिक पदाधिकारी चाहे वह कितना अनुभवहीन हो और चाहे कितने अधीन पद का अधिकारी हो—क्योंकि कमीशन अप्राप्त पदाधिकारी भी सैनिक पदाधिकारी हैं। कार्यपालिका पदाधिकारी के उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर आसीन हो सकता है। अधिनियम की धारा १२ के अधीन यह उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार लोक सेवा आयोग के परामर्श से कार्यपालिका पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। जब ये नियम हैं तो ऐसे पद के लिये सक्षम और उपयुक्त अर्हताओं वाला व्यक्ति मिल सकता है।

श्री एन० एम० लिंगम : छावनी बोर्ड में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति भी होते हैं। सरकार कार्यपालिका पदाधिकारी के अतिरिक्त कई अन्य पदाधिकारियों का नामनिर्देश करती है। इसलिये ऐसा उपबन्ध भी हो

[श्री एन० एम० लिंगम्]

सकता था कि नामनिर्दिष्ट पदाधिकारियों में से किसी एक को तीन मास की कालावधि के लिये कार्यपालिका पदाधिकारी चुना जाय। परन्तु इस उपबन्ध का उद्देश्य यह है कि इस चुनाव का क्षेत्र सीमित न हो जिससे अधिक सक्षम और योग्य व्यक्ति को कार्यपालिका पदाधिारी बनाया जा सके। यह अनुमान लगाना गलत है कि केवल अनुभव-हीन सैनिक पदाधिकारी को कार्यपालिका पदाधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

सरदार मजीठिया : श्रीमान प्रस्तुत किये गये संशोधनों में से मैं सर्वप्रथम श्री चौधरी के संशोधन को लेता हूं। सब से पहले तो यह नियुक्ति केवल स्थायी रिक्ति के लिये है। उदाहरणतः कार्यपालिका अधिकारी बीमार पड़ जाता है अथवा छुट्टी पर चला जाता है। आपको उस थोड़ी कालावधि के लिये रिक्ति को भरना होता है, इस लिये तीन मास की कालावधि का उपबन्ध किया गया है। इस बात के सम्बन्ध में कि यह कोई पदाधिकारी होना चाहिए, मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, वह अवश्य ही ऐसा पदाधिकारी होना चाहिए जो छावनी में सैनिक पक्ष के प्रश्न को भली प्रकार समझता हो और इस लिये वह सैनिक पदाधिकारी होना चाहिए।

जहां तक अन्य संशोधनों का सम्बन्ध है और मेरे माननीय मित्र श्री टेक चन्द ने कहा है कि वह कोई पदाधिकारी हो सकता है चाहे कमीशन अप्राप्त पदाधिकारी हो, यह तथ्य नहीं है क्यों कि पदाधिकारी की जो परिभाषा इस अधिनियम में की गई है वह कमीशन प्राप्त पदा-धिकारी है न कि कमीशन अप्राप्त इस लिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आप मुझ इस बात का श्रेय देगें कि वह आसामी केवल उपयुक्त व्यक्ति को ही दी जायेगी न कि किसी अनुभवहीन व्यक्ति को। इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि ये संशोधन अनावश्यक हैं।

श्री भक्त दर्शन के संशोधन के सम्बन्ध में अर्थात अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पदा-धिकारियों पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण होता है और वे उन सब अधिनियमों और नियमों के लिये उत्तरदायी हैं जो उन पदा-धिकारियों के नियंत्रण के लिये बनाये गये हैं, और इसलिये वह आवश्यक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय ने श्री चौधरी का संशोधन प्रस्तुत किया और वह अस्वीकार किया गया।

खंड ५ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ६ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ७—(धारा २८ का संशोधन)

श्री एन० बी० चौधरी : हम सारे खंड का विरोध करते हैं। यहां यह उपबन्ध किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थानीय निकाय का सदस्य हो तो वह बोर्ड के चुनाव के लिये खड़ा नहीं हो सकता। मूल अधिनियम में और बहुत सी अनर्हताओं का वर्णन है। इस नई अनर्हता की कोई आवश्यकता नहीं।

कुछ व्यक्ति एक साथ दो संस्थाओं में कुशलता पूर्वक कार्य कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : संस्थाओं के हितों का आपस में विरोध हो सकता है, उदाहरणतः सीमा सम्बन्धी झगड़ा हो सकता है।

श्री एन० बी० चौधरी : यह सामान्य उपबन्ध है। प्रति विरोधी हित होने पर

ऐसा उपबन्ध किया जा सकता है कि वह सदस्य उस बैठक में भाग न ले। परन्तु उसे चुनाव के लिये खड़े न होने देना ठीक नहीं है। इसे हम लोकतंत्र के नियमों के विरुद्ध समझते हैं।

श्री एस० एस० मोरे : मैं इस संविधानिक तर्क का समर्थन करता हूं जो कि प्रस्तुत किया गया है। संविधान में भी किसी राज्य विधान मंडल अथवा इस सभा का सदस्य बनने के लिये इतनी सख्त अनर्हताएं नहीं हैं जितनी कि छावनी बोर्ड का सदस्य बनने के लिये हैं। लोक प्रतिनिधान अधिनियम म पहले ही यह उपबन्ध है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह के कारण सरकारी सेवा से निकाल दिया गया हो वह किसी राज्य विधान मंडल अथवा लोक सभा का सदस्य नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति भी छावनी बोर्ड के पदाधिकारियों के कोप का भाजन हो सकता है ऐसी स्थिति में केवल कुछ काल के लिये वरन सदा के लिये अनर्हित हो जाता है। इस प्रकार ये मूल उपबन्ध ही प्रतिक्रियापूर्ण और हानिकारक हैं। और उनमें खंड ७ जोड़ा जा रहा है।

यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दो स्थानीय प्राधिकारों का सदस्य हो तो उन प्राधिकारों के हितों में पारस्परिक विरोध हो सकता है। यद्यपि संविधान में भी ऐसे उपबन्ध हैं और फिर भी ऐसे उदाहरण हैं कि कुछ लोग विधान मंडल और लोक सभा दोनों के सदस्य चुने जाते हैं। तत्पश्चात् उन्हें एक पद को छोड़ना होता है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि कोई व्यक्ति एक साथ दो प्राधिकारों के कार्यों की ओर ध्यान नहीं दे सकता। परन्तु यदि कोई व्यक्ति पंचायत के क्षेत्र में रहता हो और अपना व्यापार छावनी के क्षेत्र में चलाता हो और ऐसी स्थिति में यदि वह पंचायत का सदस्य होते हुए छावनी बोर्ड का सदस्य चुना जाय तो उसे दोनों पदों में एक चुन लेने का विकल्प देना तर्क संगत है। परन्तु यहां उसे निर्वाचन के लिये सर्वथा अनर्हित कर देना अवैधानिक तथा तानाशाही पूर्ण उपबन्ध है। यह बहुत संभव है कि समीपस्थ क्षेत्र के व्यक्ति को बहुत ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो, इस लिये यह समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसे व्यक्ति को क्यों हानि में रखना चाहती है।

एक और बात यह है कि सारे देश भर में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिस के अनुसार कोई व्यक्ति दो म्यूनिसिपलिटियों का सदस्य न बन सकता हो। ऐसी स्थिति में इस उपबन्ध का अभिप्राय यह है कि छावनी के क्षेत्र के समीप के स्थानीय प्राधिकारों के सदस्यों पर एक अवैधानिक और अन्यायपूर्ण बाध्यता लादी जा रही है। यह बात संविधान के विरुद्ध होगी और न्यायालय इस के विरुद्ध निर्णय देगा।

सरदार मजीठिया : उपाध्यक्ष महोदय आपने ठीक ही कहा है कि संभव है कि कोई पारस्परिक विरोध खड़ा हो जाये। इस लिये हम सदस्यों से यह कह देना चाहते हैं कि वे पहले ही निश्चय कर लें ताकि यह विरोध उत्पन्न ही न हो। उन्हें आरम्भ में ही यह निर्णय करना चाहिए कि वे किस निकाय के सदस्य बनना चाहते हैं और उन्हें वह आवश्यक व्यय नहीं करना चाहिए जो वे निर्वाचन में प्रायः करते हैं। यह वैधानिक रूप में गलत नहीं है जैसा कि यह कहा गया है कि एक धारा के अधीन कोई व्यक्ति दो सदनों का अथवा इस सभा और राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ७ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ८ से २४ तक विधेयक के अंग बना लिये गये ।

खंड १—(संक्षिप्त शीर्षक)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १ पंक्ति ३ में

"१९५२"के लिये "१९५३" आदिष्ट किया जाये ।

[सरदार मजीठिया]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया ।

शीर्षक और अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़े गये ।

सरदार मजीठिया : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

निरसक तथा संशोधक विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री श्री बिश्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"That the Bill to repeal certain enactments, as passed by the Council of States, be taken into consideration".

["कतिपय अधिनियमों के निरसन और अन्य कतिपय अधिनियमों के संशोधन के विधेयक पर जैसा कि वह राज्य परिषद द्वारा पारित हुआ विचार किया जाये ।"]

श्रीमान्, यह ऐसे सामान्य विधेयकों में से एक है जो कभी कभी परिनियम पुस्तकों में से उन अधिनियमों को निकालने के लिये संसद के समक्ष लाये जाते हैं, जो अप्रयुक्त है अथवा समाप्त हो चुके हैं । आपको विधेयक में ३ अनुसूचियां मिलेंगी । पहली अनुसूची में वे अधिनियम हैं जिन का निरसन करना है दूसरी अनुसूची में कुछ ऐसे अधिनियम हैं जो भारत की विधि के अंग नहीं हैं और तीसरी अनुसूची में ऐसे अधिनियम हैं जो दिखाये गये ढंग में संशोधित किये जाने हैं ।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।]

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि इन तीन अनुसूचियों में समाविष्ट अधिनियमों में से किसी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप नहीं होगा । यह अधिकतया औपचारिक ढंग का विधेयक है और मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) खड़े हुए--

अध्यक्ष महोदय : हम इस समय और विषयों को लेंगे क्योंकि केवल दो तीन बाकी हैं । मैं याद रखूंगा कि माननीय सदस्य खड़े हुए थे ।

सरकारी निगमों पर संसदीय नियंत्रण

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है । परन्तु मैं यह नहीं जानता कि क्या वार्ता बीच में ही समाप्त कर देनी चाहिये और बाद में हम इस के लिये एक दिन ले लें । क्योंकि यदि इसका प्रसंग–प्रवाह रुक

जाता है तो इसका प्रभाव नष्ट हो जाता है । मेरा ऐसा विचार है। यदि आवश्यक हो तो हम आज कुछ अधिक समय तक बैठ सकते हैं और मंत्री महोदय कल उत्तर दे सकते हैं आगामी सप्ताह के लिये स्थगित करने की अपेक्षा इसे निरन्तर चालू रहने दीजिये ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : श्रीमान्, मैं यह चर्चा इस दृष्टि से छेड़ रहा हूं कि इसकी अत्यधिक आवश्यकता है । मेरी इच्छा है कि विभागों की अपेक्षा मन्त्रियों के हाथ सुदृढ़ किये जायें, तथा इस से बढ़ कर यह कि इसका पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण कर दिया जाये कि लोक सभा पिछले कुछ वर्षों में स्थापित हुए सरकारी निगमों के कार्य की जांच कर सकती है । इस चर्चा से किसी एक मन्त्रालय का सम्बन्ध नहीं है । उत्पादन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय, संचरण मन्त्रालय, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मन्त्रालय, तथा पुनर्वास मन्त्रालय इस चर्चा से सम्बन्धित हैं ।

भारत में राष्ट्रीकरण तथा निश्चित आर्थिक व्यवस्था की घोषणा होने के पश्चात्, बहुत से निगम तथा समवाय स्थापित हुए हैं । सर्वप्रथम वह श्रेणी है जिसके लिये सम्पूर्ण वित्त की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ती है, जैसे दामोदर घाटी निगम आदि । एक और श्रेणी है जिसमें कुछ धन सरकार को लगाना पड़ता है और कुछ जनता लगाती है जैसे 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड' तथा 'टाटा लोकोमोटिव एण्ड इन्जिनियरिंग कम्पनी' । अन्त में, एक और श्रेणी है जिसमें वह समवाय आदि आते हैं जो समवाय विधि अन्तर्गत निगमित नहीं हुए हैं जैसे चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस तथा रक्षा मन्त्रालय की शस्त्रास्त्र निर्माणशालायें । ये पूर्णतया विभागीय संस्थायें हैं । इन निगमों में लगे सरकारी धन के बारे में जानने का प्रयत्न किया है परन्तु मैं कोई अधिकारपूर्ण आंकड़ों का पता नहीं लगा पाया हूं । हाल में ही एक इस्पात उद्योग स्थापित होने वाला है और इस पर अनुमानतः ८० करोड़ रुपया व्यय होगा । एक अन्य इस्पात उद्योग की घोषणा कल के समाचार पत्रों में हुई है । इस प्रकार, इन विविध श्रेणियों की संस्थाओं के खोलने में ४०० से ५०० करोड़ तक सरकारी रुपया लगेगा ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): भाकरा नंगल तथा हीराकुद निगम नहीं हैं और न ही वे समवाय हैं । धन सम्बन्धित सरकारों द्वारा लगाया जाता है ।

डा० लंका सुन्दरम: केन्द्रीय सरकार का किस बात से सम्बन्ध है ?

श्री सी० डी० देशमुख: भाकरा नंगल के मामले में, वैत्तिक नियन्त्रण तथा कुछ टेकनिकल व प्रशासकीय नियन्त्रण राजस्थान, पंजाब, पैप्सू के साथ साथ केन्द्रीय सरकार के संयुक्त बोर्ड द्वारा होता है । यह केवल प्रशासकीय उद्देश्य से होता है । अतः वह आंकड़े योग से निकाले जायेंगे ।

डा० लंका सुन्दरम : मैं माननीय वित्त मंत्री का कृतज्ञ हूं । इन सब निगमों तथा समवायों में एक सामान्य प्रतिरूप नहीं है, और इस समस्या के प्रति मैं एक सामान्य विचार प्रकट कर रहा हूं ।

अन्य दृष्टि से भी यह प्रश्न बड़ा आकर्षक है । बहुत से विदेशी विभिन्न निगमों व उद्योगों आदि के लिये आ गये हैं । मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिये अत्यन्त इच्छुक हूं कि प्रथम बार ये निगम तथा समवाय कैसे निगमित किये जाते हैं । मैं विस्तार में नहीं जा सकूंगा तथापि यह स्पष्ट है कि केन्द्र के तथा राज्यों के विभागीय प्रमुखों को प्रारम्भिक बातचीत का उत्तरदायित्व दिया जाता है । मैं अधिकारियों की विदेश यात्राओं तथा सामग्री के

[डा० लंका सुन्दरम्]

क्रय सम्बन्धी रसपूर्ण तथा सर्वश्रुत कुवार्ताओं की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता । मैं जिस विषय का वर्णन कर रहा हूं वह यह है कि आरम्भ से ही मैं ने देखा है कि साधारणतया मंत्रीगण तनिक भी प्रकाश में नहीं आते हैं । एक बार ये संस्थाएं देश की विधि के अनुसार या अधिशासी कार्यवाही के अन्तर्गत स्थापित हो जाते ही , ये अधिकारी सरकारी नियन्त्रण तथा सरकारी आलोचना के प्रति सर्वथा अवेध्य हो जाते हैं और नौकरी इस ढंग से दी जाती है जिसे यह सदन कभी भी उचित नहीं मान सकता है । आरम्भ से ही ये समवाय सरकारी अधिकारियों द्वारा चलाये जाते हैं और मंत्रालयों तथा सदन को भी वास्तविक मामले का पता नहीं चलता है ।

ये समवाय तथा निगम वाणिज्य प्रबन्ध तथा बचत व कार्यकुशलता के ध्यान रखे बिना चलाये जाते हैं । इन संस्थाओं के व्यापार में करोड़ों रुपये सम्मिलित हैं । ये निगम तथा समवाय दफ्तरों की फाइलों की भांति चलाये जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों करोड़ रुपये से सम्बन्ध रखने वाली इन संस्थाओं के प्रबन्धके सम्बन्ध में सदन की स्थिति आज बड़े ही रुचि का विषय बन जाता है । हां, लोक लेखा समिति है परन्तु यह धन के व्यय होने के एक या दो वर्ष पश्चात जांच करती हैं । प्राक्कलन समिति है, जिसका मैं दो वर्ष से सदस्य हूं । परन्तु अब तक हम भारत सरकार द्वारा निगमित निगमों तथा समवायों में से एक का भी मामला अब तक अपने हाथ में नहीं ले पाये हैं । क्योंकि इन दोनों समितियों के पास न समय है और न ही अवसर मिलता है कि वे इन प्रश्नों में से किसी को अपने हाथ में ले सकें ।

सिंदरी उर्वरक तथा रसायन लि० द्वारा किये गये समझौतों संबंधी सूचना देने में सरकार की अनिच्छा के संबंध में १६ नवम्बर १९५३ को पूछे गये प्रश्न के उत्तर में श्री रेड्डी ने कहा था कि विधि के अन्तर्गत ऐसा अधिकार अंशधारियों को पूर्णरूप से नहीं दिया जाता है । एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि समवाय की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अंशधारियों को सूचना देने पर भी किसी ऐसी बात का प्रकटन नहीं होना चाहिये जिसका समवाय के हित पर उलटा प्रभाव पड़े । इस स्थान पर हस्तक्षेप करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था कि "इन मामलों में सरकार आपका पथप्रदर्शन चाहती है । यह सदन सदैव ही किसी भी बात में हस्तक्षेप कर सकता है और इस सदन के अधिकार को किसी ने भी चुनौती नहीं दी है ।" तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय, आपने हस्तक्षेप किया था और कहा था कि "मेरी प्रतिक्रिया यह है कि सदन को वह सब सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जो उचित रूप में आवश्यक है । परन्तु इसे दिन प्रति दिन की क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।" यहां मैं घोषित करता हूं कि इन निगमों की दिन प्रति दिन क्रियाओं में किसी को भी कोई अभिरुचि नहीं है । प्रश्न तो उत्तरदायित्व का है । यह महत्वपूर्ण विषय है।

अब संविधानीय स्थिति पर ध्यान दीजिये । मेरे विचार में, कुछ के अतिरिक्त, इन निगमों में से अधिकतर अधिशासी कार्यवाही द्वारा संसदीय अनुमति के बिना निगमित किये गये थे श्रीमान्, आज मेरे तर्क का मुख्य आधार यह है कि बहुत से निगमों तथा समवायों के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद ११४ (३) तथा २६६ (३) का पालन नहीं किया गया है । यह एक व्यापक आक्षेप है परन्तु फिर भी मैं इसका समर्थन करने को तैयार हूं ।

दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में अनुमान समिति के पांचवें प्रतिवेदन, १९५१-५२ की कण्डिका ४६ में कहा गया है कि समिति के विचार में निगम का वर्तमान प्रशासकीय तथा वैत्तिक ढांचा अत्यधिक अपूर्ण, युक्तिहीन तथा आलोचनाई है । फिर कण्डिका संख्या

१०५ में कहा गया है कि सम्पूर्ण स्थिति असन्तोषपूर्ण है। निगम ने सरकार के अधिकार या परामर्श की ओर भी ध्यान न देने का प्रयत्न किया है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने के पश्चात क्या हुआ ? एक विशेष समिति स्थापित की गई जिसके सभापति श्री पी० एस० राव थे। इसने कहा कि-नदी घाटी योजनाओं सम्बन्धी निगमों पर पूर्ण संसदीय नियन्त्रण होने से उनकी स्थिति सरकारी दफ्तरों से भी बुरी हो जाएगी।

लोक लेखा समिति के १९५०-५१ के प्रतिवेदन के ७वीं कण्डिका में कहा गया है कि सरकार की मनोवृति पर्याप्त रूप से विचार किये बिना ही प्रत्येक प्रकार की योजनायें आरम्भ करने की रही है। इससे निरन्तर अस्तव्यस्तता होती रही है। फिर इसके बाद १९५२-५३ के प्रतिवेदन में कहा गया है कि उप-समिति सरकार द्वारा राज्य उद्योगों को जिसके राष्ट्रपति तथा एक या अधिक अधिकारी अंशधारी बन जाते हैं, असार्वजनिक सीमित समवाय बनाने के संविधानीय औचित्य पर संदेह करती है। इस क्रिया से वे केवल संसदीय नियन्त्रण से ही मुक्त नहीं हो जाते अपितु इसका प्रभाव नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा के नियन्त्रण पर भी पड़ता है। १३ दिसम्बर १९५२ को नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने लोक लेखा समिति की इस उप-समिति से कहा था कि :

"मेरे विचार में ये 'असार्वजनिक सीमित' समवाय, समवाय अधिनियम तथा संविधान के प्रति एक धोखा है। क्योंकि कुछ व्यवसायों की स्थापना तथा असार्वजनिक समवायों में बदलने के लिये राष्ट्रपति तथा सरकारी सचिव के नाम से रुपया संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। समवाय अधिनियम के अन्तर्गत, समवाय कई व्यक्तियों को मिला कर बनाया जा सकता है और राष्ट्रपति तथा सरकारी सचिव अपना व्यक्तित्व नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त किसी सरकारी व्यवसाय को पूर्णतया अधिशासी कार्यवाही से असार्वजनिक समवाय बनाना संविधान के विरुद्ध है।"

इसके अतिरिक्त एक और बात भी सन्निहित है और वह भी उनके निवेदन का भाग है। वह यह है : "भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत, असार्वजनिक समवायों का लेखा परीक्षण निर्देशक-बोर्ड के नाम-निर्देशित लेखा परीक्षक करता है। अतः नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को ऐसे समवाय के लेखा परीक्षण को स्वतः अधिकार न होगा। इसके परिणामस्वरूप संसद् अपनी लोक लेखा समिति द्वारा कार्यवाहियों के नियमबद्ध होने तथा ऐसे समवाय के वैत्तिक परिणामों की जांच नहीं कर सकेगी।" अन्त में, श्रीमान्, महालेखा परीक्षक ने कहा था : "इन मामलों में जो प्रक्रिया अपनाई गई मैं उसे पूर्णतया असंविधानीय मानता हूं, और यह समझता हूं कि इस आधार पर मुझे समवाय का लेखा-परीक्षण करने का अधिकार है कि धन का अनुचित रूप में लगाया जाना मेरे लेखापरीक्षण से नहीं बचना चाहिये।"

दिसम्बर १९५१ में, ब्रिटेन की लोक सभा ने राष्ट्रीयकृत उद्योगों के प्रश्न की जांच के लिये एक प्रवर समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन में सिफ़ारिश की थी कि लोक सभा को एक स्थायी समिति होनी चाहिये जिसे ब्रिटेन में उन सरकारी निगमों के जो राष्ट्रीयकृत उद्योगों को चला रहे हैं केवल वर्तमान तथा भूत में वैत्तिक वस्तुस्थिति तथा दृढ़ता का ही नहीं अपितु उन की भावी योजनाओं को भी जांच करने का अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त होना चाहिये। फिर, लोक सभा की प्रवर समिति ने सिफ़ारिश की कि एक नई समिति स्थापित होनी चाहिये जो इन उद्योगों

[डा० लंका सुन्दरम]

के लेखा पराक्षण का काम करेगी । इस ने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों संबंधी प्रस्तावित प्रवर समिति के कर्मचारियों में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा एक व्यवसायिक लेखालेखक होना चाहिये ।

भारत में इन निगमों में से प्रत्येक को एकाधिकार प्राप्त हो गया है और उस का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है । इस के परिणामस्वरूप उपभोक्ता का दृष्टिकोण पूर्णतया भुला दिया गया है । मैं चाहता हूं कि राष्ट्र के हित की दृष्टि से मंत्री के नियंत्रण को प्रभावी बनाने, तथा इस सदन के अधिकार को बनाये रखने के लिये तत्काल ही कोई कार्यवाही करनी चाहिये ।

अन्त में, म यह सुझाव देता हूं कि एक समिति आप के नेतृत्व के अन्तर्गत स्थापित होनी चाहिये जिस का मुख्य कार्य इन विभिन्न श्रेणियों के निगमों, समवायों तथा संस्थाओं के कार्यों की जांच करना हो । इन में से कुछ की स्थापना किसी भी विधि के अनुसार नहीं हुई है, इस से मंत्रियों के हाथ दृढ़ होंगे तथा यह संसद् के अधिकार को सुदृढ़ बनायेगा इस से भी अधिक यह कि इस से करदाताओं को आश्वासन मिलेगा कि उन का धन उचित रूप से लगाया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस समय कुछ कहने को तैयार है ? यदि वह तैयार हो, तो बाद में बोलने वाले सदस्यों को मालूम हो सकेगा कि इस सम्बन्ध में सरकार की राय क्या है ।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, सरकार का दृष्टिकोण तो उस का लगभग पूरा उत्तर होगा । कोई जानकारी तो नहीं देने को है परन्तु मुझे माननीय सदस्य द्वारा कही गई बहुत सी बातों का खंडन करना है । तो यह वास्तव में माननीय सदस्य के भाषण का उत्तर होगा । यह अच्छा होगा कि हमें अन्य सदस्यों के विचार भी मालूम हो जायें । तब सरकार विस्तृत उत्तर दे सकेगी ।

अध्यक्ष महोदय: मैं कुछ और सोच रहा था । यदि सदन को मालूम हो कि पहले वक्ता के आम विचारों के सम्बन्ध में सरकार की क्या राय है तो इस से सदस्यों को बहस कम करने, या और आलोचना करने में सहायता मिलेगी ।

श्री सी० डी० देशमुख : क्या एक ही वक्ता को दोबारा सरकार की ओर से बोलने का अवसर मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां ।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : हमें अवसर मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को सरकार के विचार मालूम हो जाये तो उन्हें अधिक अच्छा अवसर मिलेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : तो शायद मैं इस समय वादविवाद में कुछ योग दे सकता हूं ।

मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने दो तीन विभिन्न प्रश्नों को मिला दिया है । इन का भ्रम दूर करना आवश्यक है । पहला यह है कि विधान बनाए बिना कम्पनियां बना ली जाती हैं । उर्वरक जैसा सामान बनाने के लिए आपातकालीन कार्यवाही के रूप में ऐसा किया भी गया था । वह कोई अन्तिम निर्णय नहीं था और यह बात भी हमारे ध्यान में है कि समुचित समय पर या तो हम ऐसा विधान बनाएं जिस से सरकार को व्यापार या उद्योग के सम्बन्ध में सरकारी निगम बनाने का अधिकार मिल सके और या हम कम्पनी विधि (संशोधन) विधेयक में, जोकि सदन

के सामने है, ऐसी कम्पनियों के सम्बन्ध में जो पूर्णतया या मुख्यतः सरकार की है, एक अलग परिच्छेद जोड़ दिया जाय। हम यह मानते हैं और नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की इस बात में बहुत कुछ तथ्य है--यद्यपि हमें "धोखा" शब्द पर आपत्ति है...

श्री एन सी० चटर्जी (हुगली) : संविधान से धोखा।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यह मानता हूं कि सारी बातें विनियमित कर देनी चाहिएं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की यह धारणा गलत है कि इन कम्पनियों में जो धन संचित निधि में से लगाया गया है, बिना विनियोग के लगाया गया है। संचित निधि में से कोई भी धन बिना विनियोग के नहीं लगाया जा सकता। इसलिए वास्तविक प्रश्न संचित निधि में से धन देने या संगठन के रूप का इतना नहीं है बल्कि यह है : (क) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अधिकार और (ख) इन संगठनों पर विशेषकर वित्तीय मामलों में, कार्यपालिका तथा संसद् का प्राधिकार अर्थात् वित्तीय नियंत्रण। नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की स्थिति के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जिस विधान की बात हम सोच रहे हैं, उसे हम रखेंगे या वह परिच्छेद शामिल करेंगे तो हम ऐसा उपबन्ध कर देंगे जिस से कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक उन कार्यों को कर सकेगा जो कि संविधान के अनुसार उसे करने चाहिएं। जिन संस्थाओं या संगठनों की मालिक सरकार ही है उन के सम्बन्ध में निस्सन्देह यह बात है कि यह उपबन्ध सदा ही किया जायगा कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक उन के लेखों की परीक्षा करेगा। उन कम्पनियों और निगमों के सम्बन्ध में--सम्भावना यह है कि वे निगम नहीं वरन् कम्पनियां होंगी--जिन में सरकार का हिस्सा मात्र ही हो, सन्देह उत्पन्न होंगे। ऐसी कोई सीमा बतानी होगी कि जिस से किसी कम्पनी आदि को राज्य की ऐसी कम्पनी समझा जा सके कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक उस के सम्बन्ध में अपना कर्तव्य निभाए। मुझे इस में कोई सन्देह दिखाई नहीं देता कि समुचित समय पर सदन से कहा जायगा कि इन मामलों पर विचार करे। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या लोक समिति के मन में जो शंकाएं हों, उन्हें संभवतः हम दूर कर सकेंगे।

दूसरा प्रश्न यह है : कार्यपालिका द्वारा इन निगमों पर कौन सा वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है? निस्सन्देह यहां अपने अधिकार का प्रयोग न करने की भावना है। अर्थात् कार्यपालिका दिन प्रति दिन वित्तीय नियंत्रण नहीं करती जैसा कि अन्य वित्तीय मामलों पर किया जाता है। कार्यपालिका द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग न करने या उसे निलम्बित करने के विभिन्न रूप हैं। परन्तु अनुभव के परिणाम स्वरूप कार्यवाही के कुछ ढंग निकलते आते हैं और जहां हम उस निकाय को, कम्पनी हो या निगम, प्रशासन की सुविधा के लिए या लाल-फ़ीताशाही समाप्त करने के लिए, कुछ वित्तीय शक्तियां देते हैं, कुछ पूर्वोपाय कर लिये जाते हैं। ऐसा एक उपाय यह होता है कि किसी संयुक्त सचिव या सचिव को वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में उस कम्पनी का संचालक बना दिया जाता है। इसलिए जब वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है तो चाहे स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जाता कि जो भी होगा उस की रजामन्दी से होगा, व्यवहार रूप में होता यही है। परन्तु यदि उस की बात न मानी जाय तो वह यही बात वित्त मंत्रालय को बता सकता है और वित्त मंत्रालय निगम से इस सम्बन्ध में बातचीत कर सकता है और सरकार से ऐसे परिवर्तन करने को कह सकता है जिन के द्वारा ऐसी व्यवस्था हो जाय कि वित्त सम्बन्धी परामर्श मान लिया जाय।

[श्री सी० डी० देशमुख]

सरकार में वित्त मंत्रालय की स्थिति भी यही है। संविधान में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है कि वित्त सम्बन्धी औचित्य के निर्णय में वित्त मंत्री के निर्णय को अस्वीकार नहीं किया जायगा। परन्तु साथ ही यह कभी नहीं हुआ है कि किसी वित्त मंत्री--या यह कहना चाहिए कि किसी आत्मसम्मानी वित्त मंत्री--के निर्णय को ठुकरा दिया गया हो। इस का कारण यह है कि मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के परिणामस्वरूप, मतभेद होने की दशा में, या तो वह ऐसे निर्णय को स्वीकार कर लेता है, जो किसी मूल सिद्धान्त के विरुद्ध न हो, और या वह मंत्रिमंडल छोड़ जाता है--या उसे मंत्रिमंडल छोड़ जाना चाहिये। जहां तक अनुच्छेद ७७ के अधीन कार्यक्रम नियमों का सम्बन्ध है, उन में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी विभाग, राजस्व तथा व्यय विभाग की अनुमति लिए बिना, ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जिस से (क) ऐसा राजस्व छोड़ा जा रहा हो या ऐसा खर्च किया जा रहा हो, जिस के लिए विनियोग अधिनियम में कोई व्यवस्था न की गई हो, या (ख) कोई भूमि या राजस्व या रियायत या अनुदान, या खान या वन संबंधी अधिकार या जलशक्ति संबंधी अधिकार सौंपे जा रहे हों या ऐसी किसी रियायत के संबंध में किसी अन्य की भूमि आदि पर अधिकार या विशषाधिकार दिए जा रहे हों, (ग) या ऐसा आदेश जो किसी सेवा के पदों की संख्या की श्रेणी या सरकारी कर्मचारियों के वेतन या भत्ते या उन के किसी सेवा पद के सम्बन्ध में हो और जिस से वित्त संबंधी प्रभाव पड़ता हो और या (घ) **जिस का और कोई वित्तीय प्रभाव हो चाहे उससे नया खर्च करना पड़ता हो या नहीं।**

तो ये तो बड़े ही व्यापक उपबन्ध हैं। यद्यपि कार्यक्रम नियम राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद ७७(३) के अन्तर्गत, मंत्रिमंडल के परामर्श के अधीन बनाए जाते हैं और इस का तात्पर्य यह है कि इन में परिवर्तन किया जा सकता है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं किया जा सकता जब तक कि वित्त मंत्री यह बात स्वीकार न कर ले।

और जैसा कि मैं ने कहा इन निगमों में वित्त मंत्रालय का शक्तिशाली प्रतिनिधि रहता है।

और फिर आम तौर पर हम देखते हैं कि या तो कार्यपालिका आदेशों द्वारा या अधिनियम द्वारा यह उपबन्ध किया जाता है कि सरकार निगम् को निदेश देगी। यह बड़ी लाभकारी शक्ति है जिस के द्वारा प्रशासन तथा वित्त--दोनों के क्षेत्रों में प्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में मैं यह बता सकता हूं कि दामोदर घाटी निगम में, बड़े वेतन की कुछ नियुक्तियां करने के समय यह निदेश दिया गया था कि ऐसे पद पर, जिस का वेतन २,००० रुपये प्रति मास से अधिक हो, कोई भी नियुक्ति सरकार से अनुमति लिए बिना न की जाय। इस प्रकार का निदेश सदा ही दिया जा सकता है।

ऐसा क्यों है कि कार्यपालिका अपनी शक्तियों का निलम्बन करने के लिए तैयार है? सरकारी धन के उचित उपयोग तथा समुचित ढंग से काम का होना--इन दोनों में संतुलन रखने की चेष्टा सदा ही की जाती है अर्थात् यह प्रबन्ध किया जाता है कि लालफ़ीताशाही न रहे। किस समय इन दोनों में से एक पर इतना अधिक ज़ोर दिया जाय कि दूसरे विकल्प के लिए स्थान न रहे, यह तो अपने विवेक तथा अनुभव की बात है। अभी तो इस सम्बन्ध में हमारे अनुभव का प्रारम्भ मात्र ही है। ज्यों ज्यों हमें और अनुभव प्राप्त होगा--और इस अनुभव में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा लोक लेखा समिति की राय शामिल है--और

इस प्रकार की राय तथा इस प्रकार के विचार विनिमय से जो बातें हमें सूझेंगी और उन से हम जिन सिद्धान्तों पर पहुंचेंगे, उन के आधार पर हम इस बात का निर्णय और अच्छी तरह कर सकेंगे कि वित्तीय नियंत्रण का ढांचा कैसा हो। परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस बात पर ज़ोर देना अच्छा नहीं होगा कि विभागीय कार्यपालन के क्षेत्रों में जो वित्तीय नियंत्रण होता है, वैसा ही सभी जगह हो, क्योंकि यदि हम ऐसा करने की चेष्टा करें तो हमारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा।

अब मैं संसद के नियंत्रण की बात करूंगा। माननीय सदस्य ने ब्रिटेन का हवाला दिया। जहां तक मुझे मालूम हुआ है इन मामलों में लोक लेखा समिति का हाथ तो सदा रहता ही है। मैं नहीं कह सकता कि मैं ने उन की बात ग़लत समझी है या नहीं। जो भी हो, मैं यह कहता हूं कि निगमों की सभी रिपोर्टें तथा हिसाब किताब संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं और परिणामस्वरूप लोक लेखा समिति उन की जांच कर सकती है। नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का इन मामलों में सदा कोई हाथ नहीं रहता है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, ऐसा प्रस्ताव है कि लेखा परीक्षक के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाय जिस का दर्जा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के बराबर होगा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह तो निश्चित है कि लेखा परीक्षा की जाती है। परन्तु मैं जो बात कहना चाहता···

डा० लंका सुन्दरम् : मैं ने जिस सिफ़ारिश का हवाला दिया था कि संसद की एक समिति हो जो नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के दर्जे वाले अधिकारी की सहायता से काम करे। मैं संसद की समिति की बात कर रहा हूं।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं उस की बात अन्त में करूंगा। माननीय सदस्य की मुख्य प्रस्थापना यही है। मेरा विचार है कि उन्हों ने कहा था कि लोक लेखा समिति का इस मामले में कोई हाथ नहीं रहता है।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं ने ऐसा नहीं कहा।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं कहता हूं कि यह कभी नहीं हो सकता कि लोक लेखा समिति का हाथ न रहे। फिर, उन्हों ने यह कहा कि यह प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि लोक लेखा समिति तो किसी बात के हो चुकने पर ही उस के सम्बन्ध में निर्णय दे सकती है। मेरा उत्तर यह है कि स्वाभाविक तो यही है कि लोक लेखा समिति किसी बात के हो चुकने पर ही उस के सम्बन्ध में निर्णय दे। दूसरे शब्दों में कार्यपालिका द्वारा वित्तीय नियंत्रण के ढंग और विधानमंडल द्वारा वित्तीय नियंत्रण के ढंग में अंतर होना चाहिए। दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। दूसरे शब्दों में इस का अर्थ यह है कि संसद संविधानीय रोक तथा संतुलन का प्रयोग करती है। परंतु कार्यपालिका की स्थिति वैसी नहीं है।

जब धन का विनियोग होता है, तब संसद का सम्बन्ध आता है। इन विनियोगों का किस प्रकार उपयोग किया गया है, इस सम्बन्ध में जब लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन देती है, तब संसद का सम्बन्ध आता है, और जब लोक लेखा समिति इस पर विचार करती है, तब उसके सामने सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पड़ते हैं। वह समिति किसी विशेष सम्बन्धित फर्म या कम्पनी के सारे लेखा मांग सकती है। संविदाओं की सूचियां देने के सम्बन्ध में मेरे माननीय सहयोगी ने जो उत्तर दिया है, मैं समझता हूं, उसको लेकर बात को अनावश्यक रूप से बढ़ाया गया है। संभव है, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा, यदि संसद यह कहे कि सभी संविदा सदन के सामने रखे जायें, तो उसको यह मांग करने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु व्यवहारिकता की दृष्टि से संभव है ये चीज़ें आवश्यक न हों। दूसरे शब्दों में, वे सरकारी पदाधिकारी जिनके जिम्मे कुछ कार्य

[श्री सी० डी० देशमुख]

होते हैं, एक प्रकार से अपना सिर हथेली पर लेकर चलते हैं और यदि बाद में यह सिद्ध हो जाये कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन नहीं किया है, तो वह भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। अतः मैं समझता हूं कि संसद जानकारी और उसकी अनुमति से और निगम बना कर लोक लेखा समिति के द्वारा जो कार्य किया गया है, उससे संसद के अधिकार में कोई कमी नहीं होती। अब हमें चाहिये कि हम इस विवादास्पद विषय को विधान मण्डल द्वारा बनाये गये निगम के अति स्पष्ट और बहुत सुलझे हुए मामले तक ही सीमित रखें। अतः स्वयं संसद से अपने अधिकारों का कुछ कम प्रयोग करने के लिये कहा जायेगा अथवा उससे कम से कम इस बात को मनाने के लिये कहा जायेगा कि कार्यपालिका अपने वित्तीय नियन्त्रणों के अधिकार का कम प्रयोग करें, और यदि ऐसी परिस्थिति होती है, तब अगर अनुभव यह सिद्ध करता है कि यह चीज़ उचित रूप से नहीं हो रही है, तो संभव है कि हमें अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था के सारे आधार में संशोधन करना पड़े। हो सकता है कि हम यह पायें कि हमारे कर्मचारीगण ऐसे कुछ मामलों को निबटाने में असमर्थ हैं, जो उनको सौंपे गये हैं।

माननीय सदस्य ने इस बात का हवाला दिया कि एक खाद्य-सचिव शिपयार्ड का प्रबन्ध संचालक अथवा उसका कोई उच्च अधिकारी नियुक्त किया गया है, और महासचिव को नौवहन निगम का सभापति नियुक्त किया गया है। उनको कदाचित यह याद नहीं है कि वह व्यक्ति वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में बहुत वर्षों तक था। दूसरे शब्दों में, वह नौवहन निगम के सभापति होने के लिये बहुत योग्य व्यक्ति था।

जहां तक इन वार्त्ताओं का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को भारी गलतफहमी है। मैं स्वयं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूं कि तेल साफ करने के कारखानों अथवा इस्पात सम्बन्धी होने वाली वार्त्ताओं से वित्तीय दृष्टिकोण से, मैं लगभग प्रत्येक मुख्य अवस्था पर सम्बन्धित रहा हूं। जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है मंत्रिमण्डल की एक तदर्थ समिति है, जिसमें प्रधान मंत्री, उत्पादन मंत्री, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री, स्वयं मैं तथा एक या दो अन्य मंत्रीगण हैं, जो समय समय पर सभी प्रारूप करारों के मुख्य पहलुओं पर विचार करते हैं। और यदि हमने किसी पदाधिकारी को करार करने के लिये वार्ता करने के हेतु भेजा, तो वह तार द्वारा हमारे अनुदेश मांगता था और ऐसे अनुदेश उसको प्राप्त होते थे।

अतः मेरे विचार से, इन करारों को अन्तिम रूप देने की इस आवश्यक क्रिया अथवा इन करारों का पहले प्रारूप तैयार करने और तब अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध संसद को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिये। उचित समय पर इन करारों को विधान मण्डल के सामने रखने के लिये हम सदैव उद्यत एवं उत्सुक रहते हैं। मैं समझता हूं कि तेल साफ करने के कारखानों से सम्बन्धित करार विधान मण्डल के सामने रखे जा चुके हैं।

अतः मुख्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक शासन का सम्बन्ध है, हमें दूसरों के द्वारा अपने कार्यों पर दिये गये निणय सुनने पड़ते हैं और यदि हम गलत पाये जाते हैं, तो उसमें सुधार कीजिये। इस अवस्था में और किसी भी प्रकार सुधार नहीं हो सकता।

अन्त में माननीय सदस्य ने एक संसदीय समिति की स्थापना की ओर निर्देश किया। यदि संसद चाहे कि ऐसी एक समिति हो, तो निश्चय ही ऐसी एक समिति होनी चाहिये। इस से पूर्व कि संसद कोई निश्चय करे, मैं इस सम्बन्ध कुछ में बातें कह देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा, कहीं न कहीं पर संतुलन करना

है । हम उस निकाय के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण चाहते हैं—— यदि वह विधायिनी नियन्त्रण है, तो वह विधान मण्डल का कार्य है और यदि वह कार्यपालिका का नियंत्रण हो तो वह कार्यपालिका का काम है । हम यह भी कह सकते हैं कि मंत्रियों की एक छोटी सी उप-समिति बनाई जाय जो समय समय पर सिन्द्री का दौरा किया करे । यह केवल कार्यपालिका के क्षेत्र में एक दूसरा परिवर्तन है ।

अब मैं यह कहता हूं कि जहां तक विधायिनी क्षेत्र का सम्बन्ध है, वित्तीय नियंत्रण की सभी अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि औद्योगिक विस्तार एवं विकास की हमारी इस अवस्था पर, हमारी बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करने तथा अपने आपको प्रशासन में बहुत डुबा देने का भय है । मैं इस बात को समझता हूं कि माननीय सदस्य का यह इरादा नहीं है कि किसी भी प्रकार का दैनिक हस्तक्षेप हो और मैं समझता हूं कि उनका उद्देश्य यह था कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त हो कि क्या हो रहा है । और यहीं पर मेरा उनसे मतभेद है । क्या यह आवश्यक है कि संसद को दिन प्रति दिन अथवा सत्र प्रति सत्र इस बात की सूचना दी जाय कि कोई निगम विशेष किस प्रकार चलाया जा रहा है ? क्या यह अच्छा नहीं है कि कार्यपालिका को इनका प्रबन्ध करने दिया जाये और फिर कार्यपालिका से स्थिति को स्पष्ट करने के लिये उस ढंग से कहा जाये जैसा कि संसद कार्यपालिका से करने को कहती है । इस मामले में कोई निर्णय लेने से पूर्व संसद को इस बात का ध्यान रखना होगा ।

जो कुछ मैंने कहा है , उसे मैं किसी अन्य अवसर पर विस्तार पूर्वक बताऊंगा, किन्तु मेरी समझ में इस समस्या की मुख्य बातें यहीं हैं ।

श्री वी० वी० गांधी: आरम्भ में ही सदन को यह समझ लेना चाहिये कि विवाद विन्दु यह है कि सरकारी स्वामित्व वाले तथा सरकार द्वारा नियन्त्रत उद्योगों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में क्या सरकार कोई ऐसी चीज़ कर रही है जिसके द्वारा इस संसद का नियन्त्रण बहुत कम होता जा रहा है ? इस सम्बन्ध में संसद को यह देखना है कि सार्वजनिक निगम होनें चाहियें अर्थात हमारे उद्योगों का प्रबन्ध विधिवत स्थापित निगमों सार्वजनिक सीमित समवायों अथवा असार्वजनिक सीमित समवायों द्वारा हो जिसमें एक सुनिश्चित सीमा तक हम अपने नियन्त्रण को स्वयं समाप्त करदें अथवा ऐसी कोई चीज़ न हो बल्कि हम पूर्ववत् सारे व्ययों पर अपना अबाधित संसदीय नियन्त्रण बनाये रखें । स्पष्ट है कि इस सदन ने सरकारी निगमों के पक्ष में निर्णय किया है क्योंकि इस सदन की अनुमति से बहुत से संविहित निगम स्थापित किये गये हैं । इसके उपरान्त, असार्वजनिक सीमित समवायों द्वारा प्रबन्ध के अन्य रूप भी स्थापित गिये गये हैं । सदन को देखना यह है कि क्या ऐसा करने से इन उद्यमों एवं उपक्रमों पर सरकारी निगमो की अपेक्षा, उसके नियंत्रण के अधिकार में कमी हुई है ।

पहले सरकारी निगमों को लीजिये । इस सम्बन्ध में सब से बड़ा प्रयोग १९४५—५० में ब्रिटेन में हुआ था । उस काल में वहां के अनेक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था । इनमें से अधिकांश उद्योगों में ब्रिटेन की संसद ने सरकारी निगम की व्यवस्था को ही चुना था । हमारे देश में भी कुछ ऐसे ही निगम हैं, उदाहरणार्थ, दामोदर घाटी निगम तथा अभी हाल ही में बने वायु-निगम । इससे स्पष्ट है कि अनेक रूप में हमारे सरकारी निगम ब्रिटिश नमूने पर बनाये गये हैं । अतः जब हम इन सरकारी निगमों पर संसदीय नियन्त्रण की बात करते हैं , तो हमें ब्रिटेन में ऐसे निगम

[श्री वी० बी० गांधी]

पर संसद के नियन्त्रण को कुछ सीमा तक कम करने के विचार को भी स्वीकार करना चाहिये संसदीय नियंत्रण की सीमा निश्चित होनी चाहिये जिसके अन्दर ही किसी मंत्री से प्रश्न पूछे जा सकें । ब्रिटेन में कोई मंत्री केवल उन्हीं शक्तियों के सम्बन्ध में उत्तरदायी होता है जो कि उसे उन निगमों को बनाने अथवा शासित करने वाले अधिनियमों के अधीन प्राप्त हो ी है।

ब्रिटेन के अधिकांश अधिनियमों में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद क हाउस आफ कामन्स का सदस्य है, वह बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता । यही व्यवस्था दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में भी है ।

इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सम्बन्ध में मूल विचार संसद द्वारा बीच बीच में होने वाले हस्तक्षेपों से इन निगमों की स्वतंत्रता को सुरक्षित एवं बनाये रखना है ।

दूसरी बात उन असार्वजनिक सीमित समवायों के सम्बन्ध में कही गई थी जो यहां पर स्थापित की जा रही हैं । प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार समवायों पर, संविहित सरकारी निगमों की अपेक्षा, संसद के नियंत्रण सम्बन्धी अधिकारों में कोई कमी हो रही है अथवा इनके कारण संसद से अपने इस प्रकार के अधिकारों को कम करने को कहा जा रहा है ? यदि प्रबन्ध की इन दोनों व्यवस्थाओं पर को हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि इस सदन के अधिकार, असार्वजनिक सीमित संयुक्त-पूंजी समसवायों की अपेक्षा, उन अधिनियमों के अधीन अधिक सीमित हैं जो हमारे सरकारी निगमों को शासित करते ह । इनम मंत्रि की शक्तियां पूर्ण रूप से परिभाषित हैं । असार्वजनिक सीमित संयुक्त पूंजी समवयों के सम्बन्ध में यह बात नहीं है । अत: उनके सम्बन्ध में मंत्री की शक्तियां अधिक विस्तृत हैं ।

डा० लंकासुन्दरम ने कुछ सरकारी अधिकारियों की उच्च पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में कहा था । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि किसी अधिकारी का उतना महत्व नहीं है जितना कि उस स्वतंत्रता योग्यता तथा लचीलेपन की दशाओं का महत्व है, जिनके अधीन उसे काम करने दिया जाता है । इसी अधिकारी को सरकारी विभाग में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा किन्तु व्यवसायिक संस्था का भार सौंपे जाने पर वह अधिक आत्मविश्वास एवं लचीलेपन से काम कर सकता है । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर): मैं कोई भाषण नहीं करूंगा, केवल कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिनकी सूचना मैं पहले ही मंत्रालय को दे चुका हूं । उन में कुछ प्रश्न यह हैं : (१) कुछ समय के असार्वजनिक सीमित समवाय उचित अधिनियमों के बिना काम कर रहे हैं । क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसे अधिनियम कब बनाये जायेंगे ?

(२) क्या संसदीय अधिनयमों के बिना इन निगमों को चलाने के लिये भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग संविधान के अनुच्छेद २६६ (३) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं है ?

(३) इन असार्वजनिक सीमित समवायों की आय और व्यय के प्राक्कलन संसद के सामने क्यों नहीं रखे जाते, जैसा कि अन्य विभागों का वार्षिक आयव्ययक रखा जाता है ;

(४) क्या इन समवायों के कारबार के प्रबन्ध संचालकों की नियुक्ति, भ्रष्टाचार दूर करने तथा अनुशासन के बारे में विनियम बनाये गये हैं या निदेश जारी किये गये हैं ?

(५) इन समवायों के व्यय पर संसद द्वारा क्रियाकारी नियंत्रण रखने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

ये मेरे मुख्य प्रश्न हैं ।

श्री तलसीदास (मेहसाना पश्चिमी) जब कि किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, या इसे राष्ट्रीयकृत आधार पर रखा जाता है तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि यह कार्य देश के सामान्य हित में हो । इस के लिये इन उद्यागों को लोगों के सामने और संसद के सामने जो कि लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, उत्तरदायी होना पड़ेगा । इस लिये राष्ट्रीयकरण के बाद, संसद द्वारा कुछ नियंत्रण रखा जाना आवश्यक है । इसे आप 'हस्तक्षेप' कहें परन्तु यह अनिवार्य है । ब्रिटेन में इस मामले की विस्तारपूर्वक जांच की गई है और सब पहलुओं पर विचार करने के बाद वहां सदन की एक समिति बनाने का निर्णय किया गया है । यहां इस प्रकार की एक समिति होनी चाहिए । तब हम कुछ नियंत्रण रख सकेंगे । किन्तु इस समिति को इन निगमों के दिन प्रति दिन के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए । इस प्रयोजन के लिये हमें एक वैधानिक उपबन्ध बना देना चाहिए, ताकि उनके दिन प्रति दिन के प्रबन्ध में हस्तक्षेप न हो सके । हम एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं जो कि सरकार और संसद से अधिकार प्राप्त करके, संसद की इच्छानुसार इन उद्योगों को चलाये ।

इस व्यक्ति के पास पर्याप्त अधिकार होने चाहिए ताकि उसके अपने विशिष्ट क्षेत्र में संसद हस्तक्षेप न कर सके । किन्तु फिर भी उद्योग के वित्तीय पहलू की नीति के सम्बन्ध में वही उत्तरदायी होगा ।

अध्यक्ष महोदय: अब सदन की बैठक स्थगित होगी ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार, ११ दिसम्बर, १९५३ के डेढ बजे तक के लिए स्थिगत हो गई ।